इसे वेबसाईट **www.govtpressmp.nic.in** से भी डाउन लोड किया जा सकता है.

मध्यप्रदेश राजपत्र

प्राधिकार से प्रकाशित

क्रमांक 27] भोपाल, शुक्रवार, दिनांक 8 जुलाई 2011—आषाढ़ 17, शक 1933

विषय-सूची

भाग 1.—(1) राज्य शासन के आदेश, (2) विभाग प्रमुखों के आदेश, (3) उच्च न्यायालय के आदेश और अधिसूचनाएं, (4) राज्य शासन के संकल्प, (5) भारत शासन के आदेश और अधिसूचनाएं, (6) निर्वाचन आयोग, भारत की अधिसूचनाएं, (7) लोक-भाषा परिशिष्ट.

भाग 2.—स्थानीय निकाय की अधिसूचनाएं.

भाग 3.—(1) विज्ञापन और विविध सूचनाएं.
(2) सांख्यिकीय सूचनाएं.

भाग 4.—(क) (1) मध्यप्रदेश विधेयक, (2) प्रवर समिति के प्रतिवेदन, (3) संसद् में पुर:स्थापित विधेयक,
(ख)(1) अध्यादेश, (2) मध्यप्रदेश अधिनियम, (3) संसद् के अधिनियम,
(ग) (1) प्रारूप नियम, (2) अंतिम नियम.

भाग १

राज्य शासन के आदेश

सामान्य प्रशासन विभाग
मंत्रालय, वल्लभ भवन, भोपाल

भोपाल, दिनांक 17 जून 2011

क्र. ई-5-819-आयएएस-लीव-5-एक.—(1) श्री केदार शर्मा, आयएएस., कलेक्टर, जिला खरगोन को दिनांक 20 से 25 जून 2011 तक, छ: दिन का अर्जित अवकाश स्वीकृत किया जाता है तथा इस अवकाश के साथ दिनांक 18, 19 एवं 26 जून 2011 का सार्वजनिक अवकाश जोड़ने की अनुमति दी जाती है.

(2) श्री केदार शर्मा की अवकाश की अवधि में श्री अशोक कुमार शर्मा, अपर कलेक्टर (राजस्व), जिला खरगोन को अपने वर्तमान कर्तव्यों के साथ-साथ, अस्थायी रूप से, आगामी आदेश तक, कलेक्टर, जिला खरगोन का प्रभार सौंपा जाता है.

(3) अवकाश से लौटने पर श्री केदार शर्मा को अस्थायी रूप से, आगामी आदेश तक, स्थानापन्न कलेक्टर, जिला खरगोन के पद पर पुन: पदस्थ किया जाता है.

(4) श्री केदार शर्मा द्वारा कलेक्टर, जिला खरगोन का कार्यभार ग्रहण करने पर श्री अशोक कुमार शर्मा, कलेक्टर, जिला खरगोन के प्रभार से मुक्त होंगे.

(5) अवकाशकाल में श्री केदार शर्मा को अवकाश वेतन एवं भत्ता उसी प्रकार देय होगा जो उन्हें अवकाश पर जाने के पूर्व मिलता था.

(6) प्रमाणित किया जाता है कि यदि श्री केदार शर्मा अवकाश पर नहीं जाते तो अपने पद पर कार्य करते रहते.

नियंत्रक, शासकीय मुद्रण तथा लेखन सामग्री, मध्यप्रदेश द्वारा शासकीय केन्द्रीय मुद्रणालय, भोपाल से मुद्रित तथा प्रकाशित—2011.

भोपाल, दिनांक 20 जून 2011

क्र. ई-5-454-आयएएस-लीव-5-एक.—(1) श्री बी. पी. सिंह, आयएएस., प्रमुख सचिव, मध्यप्रदेश शासन, उच्च शिक्षा विभाग को दिनांक 20 से 25 जून 2011 तक, छः दिन का अर्जित अवकाश स्वीकृत किया जाता है तथा उक्त अवकाश के साथ दिनांक 26 जून 2011 का सार्वजनिक अवकाश जोड़ने की अनुमति दी जाती है.

(2) श्री बी. पी. सिंह की अवकाश अवधि में श्री आई. एस. दाणी, आयएएस., प्रमुख सचिव, मध्यप्रदेश शासन, चिकित्सा शिक्षा विभाग को अपने वर्तमान कर्तव्यों के साथ-साथ, अस्थायी रूप से, आगामी आदेश तक, उच्च शिक्षा विभाग का प्रभार सौंपा जाता है.

(3) अवकाश से लौटने पर श्री बी. पी. सिंह को अस्थायी रूप से, आगामी आदेश तक, स्थनापन्न प्रमुख सचिव, मध्यप्रदेश शासन, उच्च शिक्षा विभाग के पद पर पुनः पदस्थ किया जाता है.

(4) श्री बी. पी. सिंह द्वारा प्रमुख सचिव, मध्यप्रदेश शासन, उच्च शिक्षा विभाग का कार्यभार ग्रहण करने पर श्री आई. एस. दाणी, उच्च शिक्षा विभाग के प्रभार से मुक्त होंगे.

(5) अवकाशकाल में श्री बी. पी. सिंह को अवकाश वेतन एवं भत्ता उसी प्रकार देय होगा जो उन्हें अवकाश पर जाने के पूर्व मिलता था.

(6) प्रमाणित किया जाता है कि यदि श्री बी. पी. सिंह अवकाश पर नहीं जाते तो अपने पद पर कार्य करते रहते.

क्र. ई-1-193-2011-5-एक.—श्री ज्ञानेश्वर बी. पाटिल, भाप्रसे (2003), संयुक्त मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी, मध्यप्रदेश तथा पदेन उपसचिव, मध्यप्रदेश शासन, विधि एवं विधायी कार्य विभाग (केवल निर्वाचन से संबंधित कार्य के लिए) की सेवाएं विधि एवं विधायी कार्य विभाग से वापस लेकर उन्हें अस्थायी रूप से, आगामी आदेश तक स्थानापन्न कलेक्टर, श्योपुर पदस्थ किया जाता है.

भोपाल, दिनांक 21 जून 2011

क्र. ई-1-202-2011-5-एक.—(1) श्री पंकज राग, भाप्रसे (1990) आयुक्त-सह-संचालक, पुरातत्व संग्रहालय, मध्यप्रदेश को अपने वर्तमान कर्तव्यों के साथ-साथ, आगामी आदेश तक, प्रबंध संचालक, मध्यप्रदेश राज्य पर्यटन विकास निगम का प्रभार अतिरिक्त रूप से, सौंपा जाता है.

(2) इस विभाग के समसंख्यक आदेश दिनांक 17 जून 2011 की तालिका के अनुक्रमांक 2 जिसके द्वारा श्रीमती दीपाली रस्तोगी, भाप्रसे (1994), प्रबंध संचालक, मध्यप्रदेश हस्तशिल्प एवं हाथकरघा विकास निगम तथा आयुक्त-सह-संचालक, हाथकरघा का अतिरिक्त प्रभार को प्रबंध संचालक, मध्यप्रदेश राज्य पर्यटन विकास निगम तथा प्रबंध संचालक, मध्यप्रदेश हस्तशिल्प एवं हाथकरघा विकास निगम तथा आयुक्त-सह-संचालक, हाथकरघा का अतिरिक्त प्रभार से सौंपा गया है. एतद्द्वारा निरस्त किया जाता है.

भोपाल, दिनांक 22 जून 2011

क्र. ई-5-299-आयएएस-लीव-एक-5.—(1) श्री सत्य प्रकाश, आयएएस., अपर मुख्य सचिव, मध्यप्रदेश शासन, वाणिज्य, उद्योग एवं रोजगार विभाग को दिनांक 20 से 30 जून 2011 तक, ग्यारह दिन का एक्स-इंडिया अर्जित अवकाश स्वीकृत किया जाता है तथा इस अवकाश के साथ दिनांक 18, 19 जून 2011 का सार्वजनिक अवकाश जोड़ने की अनुमति दी जाती है.

(2) अवकाश से लौटने पर श्री सत्य प्रकाश को अस्थायी रूप से, आगामी आदेश तक, स्थानापन्न अपर मुख्य सचिव, मध्यप्रदेश शासन, वाणिज्य, उद्योग एवं रोजगार विभाग के पद पर पुनः पदस्थ किया जाता है.

(3) अवकाशकाल में श्री सत्य प्रकाश को अवकाश वेतन एवं भत्ता उसी प्रकार देय होगा जो उन्हें अवकाश पर जाने के पूर्व मिलता था.

(4) प्रमाणित किया जाता है कि यदि श्री सत्य प्रकाश अवकाश पर नहीं जाते तो अपने पद पर कार्य करते रहते.

क्र. ई-5-485-आयएएस-लीव-एक-5.—(1) श्री के. पी. सिंह, आयएएस., वि.क.अ.-सह-पंजीयन महानिरीक्षक एवं अधीक्षक, मुद्रांक, मध्यप्रदेश को दिनांक 20 जून से 2 जुलाई 2011 तक, तेरह दिन का अर्जित अवकाश स्वीकृत किया जाता है.

(2) श्री के. पी. सिंह की अवकाश की अवधि में श्री मनीष रस्तोगी, आयएएस., आयुक्त, कोष एवं लेखा तथा पदेन सचिव, मध्यप्रदेश शासन, वित्त विभाग को अपने वर्तमान कर्तव्यों के साथ-साथ अस्थायी रूप से, आगामी आदेश तक, वि.क.अ-सह-पंजीयन महानिरीक्षक एवं अधीक्षक, मुद्रांक, मध्यप्रदेश का प्रभार सौंपा जाता है.

(3) अवकाश से लौटने पर श्री के. पी. सिंह को अस्थायी रूप से, आगामी आदेश तक, स्थानापन्न वि.क.अ-सह-पंजीयन महानिरीक्षक एवं अधीक्षक, मुद्रांक, मध्यप्रदेश के पद पर पुनः पदस्थ किया जाता है.

(4) श्री के. पी. सिंह द्वारा वि.क.अ-सह-पंजीयन महानिरीक्षक एवं अधीक्षक, मुद्रांक, मध्यप्रदेश का कार्यभार ग्रहण करने पर श्री मनीष रस्तोगी, वि.क.अ-सह-पंजीयन महानिरीक्षक एवं अधीक्षक, मुद्रांक, मध्यप्रदेश के कार्यभार से मुक्त होंगे.

(5) अवकाशकाल में श्री के. पी. सिंह को अवकाश वेतन एवं भत्ता उसी प्रकार देय होगा जो उन्हें अवकाश पर जाने के पूर्व मिलता था.

(6) प्रमाणित किया जाता है कि यदि श्री के. पी. सिंह अवकाश पर नहीं जाते तो अपने पद पर कार्य करते रहते.

भोपाल, दिनांक 23 जून 2011

क्र. ई-5-687-आयएएस-लीव-5-एक.—(1) श्री नीतेश कुमार व्यास, आयएएस., अध्यक्ष-सह-प्रबंध संचालक, मध्यप्रदेश मध्य क्षेत्र विद्युत् वितरण कम्पनी लिमिटेड, भोपाल को दिनांक 29 अक्टूबर से 5 नवम्बर 2011 तक, आठ दिन का एक्स इंडिया अर्जित अवकाश स्वीकृत किया जाता है.

(2) अवकाश से लौटने पर श्री नीतेश कुमार व्यास को अस्थायी रूप से, आगामी आदेश तक, स्थानापन्न अध्यक्ष-सह-प्रबंध संचालक मध्यप्रदेश मध्य क्षेत्र विद्युत् वितरण कम्पनी लिमिटेड, भोपाल के पद पर पुनः पदस्थ किया जाता है.

(3) अवकाशकाल में श्री नीतेश कुमार व्यास को अवकाश वेतन एवं भत्ता उसी प्रकार देय होगा जो उन्हें अवकाश पर जाने के पूर्व मिलता था.

(4) प्रमाणित किया जाता है कि यदि श्री नीतेश कुमार व्यास अवकाश पर नहीं जाते तो अपने पद पर कार्य करते रहते.

भोपाल, दिनांक 24 जून 2011

क्र. ई-5-547-आयएएस-लीव-5-एक.—(1) श्री शैलेन्द्र सिंह, आयएएस., आयुक्त, वाणिज्यिक कर, मध्यप्रदेश, इन्दौर को दिनांक 9 से 16 जून 2011 तक आठ, दिन का कार्योत्तर अर्जित अवकाश स्वीकृत किया जाता है.

(2) अवकाश से लौटने पर श्री शैलेन्द्र सिंह को अस्थायी रूप से, आगामी आदेश तक, स्थानापन्न आयुक्त, वाणिज्यिक कर, मध्यप्रदेश, इन्दौर के पद पर पुनः पदस्थ किया जाता है.

(3) अवकाशकाल में श्री शैलेन्द्र सिंह को अवकाश वेतन एवं भत्ता उसी प्रकार देय होगा जो उन्हें अवकाश पर जाने के पूर्व मिलता था.

(4) प्रमाणित किया जाता है कि यदि श्री शैलेन्द्र सिंह अवकाश पर नहीं जाते तो अपने पद पर कार्य करते रहते.

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
अवनि वैश्य, मुख्य सचिव.

भोपाल, दिनांक 24 जून 2011

क्र. ई-5-814-आयएएस-लीव-5-एक.—(1) श्रीमती उर्मिल मिश्रा, आयएएस., अपर आयुक्त, भोपाल/ नर्मदापुरम संभाग को दिनांक 6 से 10 जून 2011 तक, पांच दिन का लघुकृत अवकाश कार्योत्तर स्वीकृत किया जाता है.

(2) अवकाश से लौटने पर श्रीमती उर्मिल मिश्रा को अस्थायी रूप से, आगामी आदेश तक, स्थानापन्न अपर आयुक्त, भोपाल/ नर्मदापुरम, संभाग के पद पर पुनः पदस्थ किया जाता है.

(3) अवकाशकाल में श्रीमती उर्मिल मिश्रा को अवकाश वेतन एवं भत्ता उसी प्रकार देय होगा जो उन्हें अवकाश पर जाने के पूर्व मिलता था.

(4) प्रमाणित किया जाता है कि यदि श्रीमती उर्मिल मिश्रा अवकाश पर नहीं जातीं तो अपने पद पर कार्य करतीं रहतीं.

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
व्ही. एस. तोमर, अवर सचिव कार्मिक.

भोपाल, दिनांक 17 जून 2011

क्र. ई-1-202-2011-5-एक.—नीचे तालिका के खाना (2) में दर्शाये भाप्रसे के अधिकारियों को उनके नाम के समक्ष खाना (3) में दर्शाये गए पद पर, आगामी आदेश तक, स्थानापन्न रूप से, पदस्थ किया जाता है:—

क्रमांक	अधिकारी का नाम तथा वर्तमान पदस्थापना	नवीन पदस्थापना	खाना (3) में अंकित पद असंवर्गीय होने की दशा में संवर्गीय पद जिसके समकक्ष घोषित किया गया
(1)	(2)	(3)	(4)
1	श्री हरिरंजन राव (1994), प्रबंध संचालक, मध्यप्रदेश राज्य पर्यटन विकास निगम तथा पदेन सचिव, मध्यप्रदेश शासन, पर्यटन विभाग एवं सचिव, मुख्यमंत्री का अतिरिक्त प्रभार.	आयुक्त, पर्यटन मध्यप्रदेश तथा पदेन सचिव, मध्यप्रदेश शासन, पर्यटन विभाग एवं सचिव, मुख्यमंत्री का अतिरिक्त प्रभार.	सचिव, मध्यप्रदेश शासन

(1)	(2)	(3)	(4)
2	श्रीमती दीपाली रस्तोगी (1994), प्रबंध संचालक, मध्यप्रदेश हस्तशिल्प एवं हाथकरघा विकास निगम तथा आयुक्त-सह-संचालक, हाथकरघा का अतिरिक्त प्रभार.	प्रबंध संचालक, मध्यप्रदेश राज्य पर्यटन विकास निगम तथा प्रबंध संचालक, मध्यप्रदेश, हस्तशिल्प एवं हाथकरघा विकास निगम एवं आयुक्त-सह-संचालक, हाथकरघा का अतिरिक्त प्रभार.	संभागीय कमिश्नर

(2) उपरोक्तानुसार श्री हरिरंजन राव द्वारा आयुक्त, पर्यटन मध्यप्रदेश का कार्यभार ग्रहण करने पर श्री दीपक खाण्डेकर, भाप्रसे (1985), प्रमुख सचिव, मुख्यमंत्री तथा प्रमुख सचिव, मध्यप्रदेश शासन, विमानन विभाग तथा पर्यटन विभाग एवं पदेन आयुक्त, पर्यटन मध्यप्रेदश केवल पदेन आयुक्त, पर्यटन मध्यप्रदेश के प्रभार से मुक्त होंगे.

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
अवनि वैश्य, मुख्य सचिव.

भोपाल, दिनांक 20 जून 2011

क्र. एफ-ए-5-11-2007-एक (1).—राज्य शासन द्वारा न्यायाधिपति महोदय श्री विनय मित्तल, साहब, उच्च न्यायालय, इन्दौर, खण्डपीठ इन्दौर को निम्नानुसार पूर्ण वेतन तथा भत्तों सहित अवकाश स्वीकृत किया जाता है:—

अ. क्र. (1)	अवकाश अवधि (2)	कुल दिन (3)	अवकाश का प्रकार (4)	अभियुक्ति (5)
1.	दिनांक 18-1-2010 से 22-1-2010 तक	5 दिन	10 दिन अर्द्धवेतन अवकाश को 5 दिन का पूर्ण वेतन तथा भत्तों सहित मानते हुए.	-
2.	दिनांक 3-3-2010 से 4-3-2010 तक	2 दिन	4 दिन अर्द्धवेतन अवकाश को 2 दिन का पूर्ण वेतन तथा भत्तों सहित मानते हुए.	-

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
बी. आर. विश्वकर्मा, उपसचिव.

लोक स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग
मंत्रालय, वल्लभ भवन, भोपाल

भोपाल, दिनांक 7 जून 2011

क्र. एफ-10-63-2001-17-मेडि-2.—इस विभाग की समसंख्यक अधिसूचना दिनांक 11 सितम्बर 2006 से गर्भधारण पूर्व एवं प्रसव पूर्व निदान तकनीक अधिनियम, 1994 की धारा 17, 2, 3 अ के अन्तर्गत निम्नानुसार सदस्यों को सम्पूर्ण मध्यप्रदेश के लिए सक्षम प्राधिकारी नियुक्त किया गया था.

(2) राज्य शासन द्वारा उक्त अधिसूचना को अधिक्रमित करते हुए व समसंख्यक अधिसूचना दिनांक 4 सितम्बर 2009 को यथावत् रखते हुए निम्नानुसार तीन सदस्यों की पुर्नरीक्षित टीम को सक्षम प्राधिकारी नियुक्त करता है:—

1.	संयुक्त संचालक, परिवार कल्याण, संचालनालय स्वास्थ्य सेवाएं, भोपाल	अध्यक्ष
2.	श्रीमती सरला माथुर, अध्यक्ष, ऑल इंडिया वूमेन्स कान्फ्रेंस, भोपाल.	सदस्य
3.	अतिरिक्त सचिव, विधि एवं विधायी कार्य विभाग, मध्यप्रदेश.	सदस्य

(3) सम्पूर्ण प्रदेश के सक्षम प्राधिकारी की उपरोक्त टीम गर्भधारण पूर्व एवं प्रसव पूर्व निदान तकनीक (लिंग चयन प्रतिशेष) अधिनियम, 1994 में वर्णित प्रावधानानुसार कार्य संपादित करेगी.

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
राजेश जैन, उपसचिव.

योजना, आर्थिक एवं सांख्यिकी विभाग
मंत्रालय, वल्लभ भवन, भोपाल

भोपाल, दिनांक 17 जून 2011

क्र. 1274-1152-2011-यो.आ.सां.—डॉ. एस. पी. शर्मा, आयुक्त, आर्थिक एवं सांख्यिकी संचालनालय को दिनांक 1 से 4 जून 2011 तक, चार दिवस का अर्जित अवकाश स्वीकृत किया जाता है तथा इस अवकाश के साथ 5 जून 2011 के सार्वजनिक अवकाश को जोड़ने की अनुमति दी जाती है.

(2) अवकाश से लौटने पर डॉ. एस. पी. शर्मा को अस्थायी रूप से, आगामी आदेश तक, स्थानापन्न आयुक्त, आर्थिक सांख्यिकी के पद पर पुनः पदस्थ किया जाता है.

(3) अवकाशकाल में डॉ. एस. पी. शर्मा को अवकाश वेतन एवं भत्ता उसी प्रकार देय होगा जो उन्हें अवकाश पर जाने के पूर्व मिलता था.

(4) प्रमाणित किया जाता है कि यदि डॉ. एस. पी. शर्मा अवकाश पर नहीं जाते तो अपने पद पर कार्य करते रहते.

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
रजनी गौरे, अवर सचिव.

गृह विभाग
मंत्रालय, वल्लभ भवन, भोपाल

भोपाल, दिनांक 20 जून 2011

क्र. एफ-1(ए)-330-85-ब-2-दो.—श्री डी. एम. मित्रा, भापुसे, अति. पुलिस महानिदेशक, प्रमुख सलाहकार, राज्य योजना आयोग, मध्यप्रदेश को दिनांक 12 से 28 मई 2011 तक, सत्रह दिवस अर्जित अवकाश दिनांक 29 मई 2011 के विज्ञप्त अवकाश के लाभ के साथ स्वीकृत करते हुए, राज्य शासन द्वारा उन्हें खण्ड वर्ष 2010-13 के प्रथम ब्लाक वर्ष 2010-11 में गृह नगर यात्रा की सुविधा की पात्रता के तहत उन्हें ''कटक'' (उड़ीसा) अवकाश यात्रा पर जाने की अनुमति दी जाती है.

(2) अवकाश से लौटने पर श्री डी. एम. मित्रा, भापुसे को अस्थायी रूप से, आगामी आदेश तक, स्थानापन्न अति. पुलिस महानिदेशक, प्रमुख सलाहकार, राज्य योजना आयोग, मध्यप्रदेश के पद पर पुनः पदस्थ किया जाता है.

(3) अवकाशकाल में श्री डी. एम. मित्रा, भापुसे को अवकाश वेतन एवं भत्ता उसी प्रकार देय होगा जो उन्हें अवकाश पर जाने के पूर्व मिलता था.

(4) प्रमाणित किया जाता है कि यदि श्री डी. एम. मित्रा, भापुसे अवकाश पर नहीं जाते तो अपने पद पर बने रहते.

भोपाल, दिनांक 23 जून 2011

क्र. एफ-1(ए)-115-2005-ब-2-दो.—पुलिस मुख्यालय के आदेश क्रमांक 45/11, दिनांक 15 जून 2011 द्वारा डॉ. राजेन्द्र प्रसाद, भापुसे, सेनानी, 2री वाहिनी, विसबल, ग्वालियर, मध्यप्रदेश को दिनांक 20 जून से 8 जुलाई 2011 तक, कुल उन्नीस दिवस का अर्जित अवकाश दिनांक 18, 19 जून एवं 9, 10 जुलाई 2011 के विज्ञप्त अवकाश के लाभ के साथ स्वीकृत किया गया है.

(2) राज्य शासन द्वारा डॉ. राजेन्द्र प्रसाद, भापुसे को उक्त अवकाश अवधि में खण्ड वर्ष 2010-13 के प्रथम ब्लाक वर्ष 2010-11 में गृह नगर अवकाश यात्रा सुविधा के अन्तर्गत परिवार के निम्नलिखित सदस्यों के साथ ''बागपत'' (उ.प्र.) जाने की अनुमति दी जाती है:—

1.	डॉ. राजेन्द्र प्रसाद	—	स्वयं
2.	श्रीमती शशि शर्मा	—	पत्नी
3.	अंशुल	—	पुत्र
4.	कु. आकांक्षा	—	पुत्री

भोपाल, दिनांक 24 जून 2011

क्र. एफ-1(ए)-268-86-ब-2-दो.—इस विभाग के समसंख्यक आदेश दिनांक 3 जून 2011 द्वारा श्री राजेन्द्र कुमार, भापुसे, अति. पुलिस महानिदेशक (प्रशि.) पु. मु., भोपाल को दिनांक 13 से 22 जून 2011 तक, दस दिवस अर्जित अवकाश दिनांक 11 एवं 12 जून 2011 के विज्ञप्त अवकाश के लाभ के साथ स्वीकृत करते हुए उन्हें खण्ड वर्ष 2010-13 के प्रथम ब्लाक वर्ष 2010-11 में भारत भ्रमण की सुविधा की पात्रता के तहत सपरिवार ''नुब्राह वेली'' (लेह लद्दाख) सपरिवार अवकाश यात्रा पर जाने की अनुमति दी गई है.

(2) श्री राजेन्द्र कुमार, भापुसे द्वारा उक्त अवकाश यात्रा सुविधा का उपभोग न किये जाने के कारण स्वीकृत अर्जित अवकाश एवं अवकाश यात्रा की अनुमति एतद्द्वारा निरस्त की जाती है.

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
अशोक दास, प्रमुख सचिव.

विधि और विधायी कार्य विभाग

भोपाल, दिनांक 25 जून 2011

फा. क्र. 1-1-88-इक्कीस-ब (एक).—भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम, 1988 (1988 का सं. 49) की धारा 3 की उपधारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए, राज्य शासन, एतद्द्वारा, इस विभाग की अधिसूचना फा. क्रमांक 1-1-88-इक्कीस-ब (एक) दिनांक 24 अक्टूबर 2009 में, जो "मध्यप्रदेश राजपत्र" भाग 1 में दिनांक 6 नवम्बर 2009 में प्रकाशित हुई थी, निम्नलिखित संशोधन करता है, अर्थात्:—

संशोधन

उक्त अधिसूचना में, अनुसूची में, अनुक्रमांक 48 तथा उससे संबंधित प्रविष्टियों के स्थान पर, निम्नलिखित अनुक्रमांक तथा उससे संबंधित प्रविष्टियां स्थापित की जाएं, अर्थात्:—

अनुसूची

अनुक्रमांक	सेशन न्यायाधीश/ अतिरिक्त न्यायाधीश	स्थानीय क्षेत्र
(1)	(2)	(3)
"48	प्रथम अतिरिक्त सेशन न्यायाधीश, विदिशा.	विदिशा.".

F.No. 1-1-88-XXI-B (1).—In exercise of the powers conferred by sub-section (1) of Section 3 of the Prevention of Corruption Act, 1988 (No. 49 of 1988), the State Government hereby, makes the following amendment in this Department's Notification F. No. 1-1-88-XXI-B(1), dated 24th October 2009 which was published in the Madhya Pradesh Gazette Part-1, dated 6th November 2009 namely:—

AMENDMENT

In the said Notification, in the Schedule for serial number 48 and entries relating thereto, the following serial number and entries relating thereto shall be substituted, namely:—

S. No.	Sessions Judge/ Additional Sessions Judge	Local area
(1)	(2)	(3)
"48	1st Additional Sessions Judge, Vidisha.	Vidisha.".

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
ए. जे. खान, प्रमुख सचिव.

भोपाल, दिनांक 1 जुलाई 2011

फा. क्र. 1(सी) 11-एट्रोसिटी-इक्कीस-ब(दो)-2011.—राज्य शासन, अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति (अत्याचार निवारण) अधिनियम, 1989 की धारा 15 द्वारा प्रदत्त शक्तियों के अधीन श्री अजय सिंह भंवर, उपसंचालक अभियोजन, जिला गुना को गुना जिले के लिये विशेष लोक अभियोजक की शक्तियां उनकी उक्त पदस्थापना तक की अवधि के लिये प्रदान करता है.

फा. क्र. 1(सी) 11-एट्रोसिटी-इक्कीस-ब(दो)-2011.—राज्य शासन, अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति (अत्याचार निवारण) अधिनियम, 1989 की धारा 15 द्वारा प्रदत्त शक्तियों के अधीन श्री हरिनारायण तिवारी, उपसंचालक अभियोजन, जिला विदिशा को विदिशा जिले के लिये विशेष लोक अभियोजक की शक्तियां उनकी उक्त पदस्थापना तक की अवधि के लिये प्रदान करता है.

फा. क्र. 1(सी) 11-एट्रोसिटी-इक्कीस-ब(दो)-2011.—राज्य शासन, अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति (अत्याचार निवारण) अधिनियम, 1989 की धारा 15 द्वारा प्रदत्त शक्तियों के अधीन श्री चन्द्रपाल सिंह परमार, उपसंचालक अभियोजन, जिला छतरपुर को छतरपुर जिले के लिये विशेष लोक अभियोजक की शक्तियां उनकी उक्त पदस्थापना तक की अवधि के लिये प्रदान करता है.

फा. क्र. 1(सी) 11-एट्रोसिटी-इक्कीस-ब(दो)-2011.—राज्य शासन, अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति (अत्याचार निवारण) अधिनियम, 1989 की धारा 15 द्वारा प्रदत्त शक्तियों के अधीन श्री रामस्वरूप रघुवंशी, उपसंचालक अभियोजन, जिला होशंगाबाद को होशंगाबाद जिले के लिये विशेष लोक अभियोजक की शक्तियां उनकी उक्त पदस्थापना तक की अवधि के लिये प्रदान करता है.

फा. क्र. 1(सी) 11-एट्रोसिटी-इक्कीस-ब(दो)-2011.—राज्य शासन, अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति (अत्याचार निवारण) अधिनियम, 1989 की धारा 15 द्वारा प्रदत्त शक्तियों के अधीन श्री गफ्फार बेग, उपसंचालक अभियोजन, जिला मुरैना को मुरैना जिले के लिये विशेष लोक अभियोजक की शक्तियां उनकी उक्त पदस्थापना तक की अवधि के लिये प्रदान करता है.

फा. क्र. 1(सी) 11-एट्रोसिटी-इक्कीस-ब(दो)-2011.—राज्य शासन, अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति (अत्याचार निवारण) अधिनियम, 1989 की धारा 15 द्वारा प्रदत्त शक्तियों के अधीन श्री सुलक्षण कुमार गौड़, उपसंचालक अभियोजन, जिला उज्जैन को उज्जैन जिले के लिये विशेष लोक अभियोजक की शक्तियां उनकी उक्त पदस्थापना तक की अवधि के लिये प्रदान करता है.

फा. क्र. 1(सी) 11-2010-एट्रोसिटी-इक्कीस-ब(दो).—राज्य शासन, इस विभाग के समसंख्यक आदेश दिनांक 1 अप्रैल 2010 द्वारा नियुक्त श्री गजेन्द्र सिंह दांगी, विशेष लोक अभियोजक, जिला सागर की नियुक्ति, आदेश जारी होने के दिनांक से, एक माह का सूचना-पत्र देकर उक्त नियुक्ति समाप्त की जाती है.

फा. क्र. 1(सी) 24-2005-एट्रोसिटी-इक्कीस-ब(दो).—राज्य शासन, इस विभाग के समसंख्यक आदेश दिनांक 13 अक्टूबर 2008 द्वारा नियुक्त श्री कुंजीलाल किरार, विशेष लोक अभियोजक, जिला विदिशा की नियुक्ति, आदेश जारी होने के दिनांक से, एक माह का सूचना-पत्र देकर उक्त नियुक्ति समाप्त की जाती है.

फा. क्र. 1(सी) 12-2011-इक्कीस-ब(दो).—दण्ड प्रक्रिया संहिता 1973 (क्रमांक 2 सन् 1974) की धारा 24 की उपधारा (8) को प्रयोग में लाते हुए, राज्य शासन, राज्य आर्थिक अपराध अन्वेषण ब्यूरो, मध्यप्रदेश द्वारा अभियोजित प्रकरणों में राज्य शासन की ओर से पैरवी करने के लिए श्री रमेश चन्द्र यादव, जिला अभियोजन अधिकारी, भोपाल को विशेष लोक अभियोजक नियुक्त करता है.

वे उनकी पदस्थापना की अवधि तक विशेष लोक अभियोजक रहेंगे.

श्री रमेश चन्द्र यादव, जिला अभियोजन अधिकारी, भोपाल के प्रकरण का आवंटन राज्य आर्थिक अपराध अन्वेषण ब्यूरो द्वारा किया जावेगा.

भोपाल, दिनांक 2 जुलाई 2011

फा. क्र. 1(बी)-3-4-इक्कीस-ब(दो).—राज्य शासन इस विभाग के समसंख्यक आदेश दिनांक 16 जुलाई 2004 के द्वारा श्री हेमन्त कुमार शर्मा, अतिरिक्त शासकीय अभिभाषक/ अति. लोक अभियोजक, देवास को नियुक्त किया गया था.

श्री हेमन्त कुमार शर्मा, अतिरिक्त शासकीय अभिभाषक/ अतिरिक्त लोक अभियोजक, देवास के व्यक्तिगत कारणों से कार्य न किये जा सकने से पद से मुक्ति चाहे जाने पर विधि विभाग, नियमावली के नियम 19 के अन्तर्गत आदेश जारी होने के दिनांक से तत्काल पदमुक्त करता है.

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
ए. जे. खान, सचिव.

श्रम विभाग
मंत्रालय, वल्लभ भवन, भोपाल

Bhopal, the 30th June 2011

No. F-5-2-2011-A-XVI.—In exercise of the powers conferred by sub-section (2) of Section 8 of the Madhya Pradesh Industrial Relations Act, 1960 (No. 27 of 1960), and Section 7(1) of the Industrial Disputes Act, 1947 (No. 14 of 1947), the State Government, hereby appoints Ku. Shalini Sharma, as Presiding Officers of the Labour Courts at the places where they have been posted by the High Court of Madhya Pradesh and by order No. 17(E) 67-2008-XXI-B (I), Bhopal, Dated 23 May 2011 of Principal Secretary, Government of Madhya Pradesh Law & Legislative Department.

By order and in the name of the Governor of
Madhya Pradesh,
G. P. KABIRPANTHI, Addl. Secy.

ऊर्जा विभाग
मंत्रालय, वल्लभ भवन, भोपाल

भोपाल, दिनांक 30 जून 2011

क्र. एफ-3-33-2009-तेरह.—राज्य शासन, एतद्द्वारा, मध्यप्रदेश पावर जनरेटिंग कंपनी लिमिटेड के आर्टिकल्स आफ एसोसिएशन के आर्टिकल 58 (सी) के प्रावधानों के अन्तर्गत श्री अर्जुन एम. सजनानी का चयन किये जाने के फलस्वरूप उन्हें आर्टिकल 58(एफ-i) के प्रावधानों के अन्तर्गत मध्यप्रदेश पावर जनरेटिंग

कंपनी लिमि., जबलपुर के अध्यक्ष एवं प्रबंध संचालक के पद पर इस आदेश के जारी करने की तिथि से दिनांक 31 मार्च 2012 तक नियुक्त करता है.

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
एम. के. गुप्ता, अपर सचिव.

भोपाल, दिनांक 29 जून 2011

क्र. एफ-2-20-1997-तेरह.—राज्य शासन, एतद्द्वारा पूर्व में जारी समसंख्यक आदेश दिनांक 15 अप्रैल 2011 में आंशिक संशोधन करते हुए निर्णय लेता है कि अध्यक्ष, मध्यप्रदेश राज्य विद्युत् मण्डल का प्रभार आगामी आदेश तक सचिव, मध्यप्रदेश शासन, ऊर्जा विभाग के पास बना रहेगा.

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
के. सी. दुबे, अवर सचिव.

विभाग प्रमुखों के आदेश

कार्यालय, कलेक्टर, जिला होशंगाबाद, मध्यप्रदेश

होशंगाबाद, दिनांक 10 जून 2011

क्र. 27-2011.—बंधक श्रमिक प्रथा (समाप्ति) अधिनियम, 1976 (क्रमांक 19 सन् 1976) की धारा 13 के द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए, मैं, निशांत वरवडे, कलेक्टर एवं जिला दण्डाधिकारी, जिला होशंगाबाद एतद्द्वारा, जिला होशंगाबाद तथा अनुविभाग सिवनी मालवा, इटारसी, होशंगाबाद, सोहागपुर एवं पिपरिया उपखण्डों के लिए निम्नलिखित समितियों का पुर्नगठन करता हूं.

जिला स्तरीय सर्तकता समिति

धारा 13 की उपधारा (2) (ए) के अधीन:

अध्यक्ष—अपर कलेक्टर, होशंगाबाद

सदस्य—धारा 13 की उपधारा (2) (बी) के अधीन—

1. श्री लक्ष्मीनारायण देवहरे, इटारसी जिला होशंगाबाद
2. श्री रमेश काकोडिया मण्डी अध्यक्ष, सिवनी मालवा, जिला होशंगाबाद.
3. श्रीमती ज्योति उईके, जनपद पंचायत अध्यक्ष, सोहागपुर, जिला होशंगाबाद.

धारा 13 की उपधारा (2) (सी) के अधीन:

1. श्री अखिलेश खण्डेलवाल, होशंगाबाद
2. श्री शरद दुबे, शोभापुर (ब्लाक) विकासखण्ड सोहागपुर, जिला होशंगाबाद.

धारा 13 की उपधारा (2) (डी) के अधीन:

1. पुलिस अधीक्षक, होशंगाबाद
2. मुख्य कार्यपालन अधिकारी, जिला पंचायत, होशंगाबाद
3. सहायक आयुक्त, आदिम जाति कल्याण विभाग, होशंगाबाद.

धारा 13 की उपधारा (2) (ई) के अधीन:

1. लीड बैंक मैनेजर, होशंगाबाद

उपसंभाग/ उपखण्ड स्तरीय सर्तकता समिति होशंगाबाद जिले का सिवनी मालवा उपखण्ड

धारा 13 की उपधारा (3) (ए) के अधीन:

अध्यक्ष—अनुविभागीय अधिकारी, सिवनी मालवा

धारा 13 की उपधारा (3) (बी) के अधीन:

सदस्य—

1. श्रीमती राधाबाई नागले पत्नि श्री रामबक्स नागले, ग्राम गुंरजघाट.
2. श्री जागेश्वर प्रसाद मेहरा
3. श्री रमेश पिता पन्नालाल, ग्राम कोठरा

धारा 13 की उपधारा (3) (सी) के अधीन:

1. श्री श्याम मोहन शुक्ला, सिवनी मालवा
2. श्री श्यामलाल पटैल, सिवनी मालवा

धारा 13 की उपधारा (3) (डी) के अधीन:

1. परियोजना अधिकारी, सी.डी.पी.ओ., सिवनी मालवा
2. राजस्व निरीक्षक, सिवनी मालवा
3. राजस्व निरीक्षक, सतवासा

धारा 13 की उपधारा (3) (ई) के अधीन:

1. शाखा प्रबंधक भारतीय स्टेट बैंक, सिवनी मालवा

धारा 13 की उपधारा (3) (एफ) के अधीनः

1. मुख्य कार्यपालन अधिकारी, जनपद पंचायत, सिवनी मालवा

होशंगाबाद जिले का—इटारसी उपखण्ड

धारा 13 की उपधारा (3) (ए) के अधीनः

अध्यक्ष—अनुविभागीय अधिकारी, इटारसी

धारा 13 की उपधारा (3) (बी) के अधीनः

सदस्य—

1. मेडम कलेरा जीवोदय संस्था नेहरूगंज, इटारसी
2. श्री कैलाश रैकवार, नई गरीबी लाईन, इटारसी
3. श्री हिमाशु दुबे, 11वीं लाईन, इटारसी

धारा 13 की उपधारा (3) (सी) के अधीनः

1. श्री अनिल अग्रवाल पिता श्री रामनारायण अग्रवाल, 9वीं लाईन, इटारसी.
2. श्री राजेन्द्र सिंह पिता शैतान सिंह तोमर, वार्ड नं. 2, पुरानी इटारसी.

धारा 13 की उपधारा (3) (डी) के अधीनः

1. परियोजना अधिकारी, महिला एवं बाल विकास, वि.ख. केसला.
2. निरीक्षक बोरी अभ्यारण, इटारसी
3. मुख्य कार्यपालन अधिकारी, जनपद पंचायत केसला

धारा 13 की उपधारा (3) (ई) के अधीनः

1. शाखा प्रबंधक, भूमि विकास बैंक, इटारसी

धारा 13 की उपधारा (3) (एफ) के अधीनः

1. तहसीलदार इटारसी

होशंगाबाद जिले का—होशंगाबाद उपखण्ड

धारा 13 की उपधारा (3) (ए) के अधीनः

अध्यक्ष—अनुविभागीय अधिकारी, होशंगाबाद

धारा 13 की उपधारा (3) (बी) के अधीनः

सदस्य—

1. श्री नर्मदाप्रसाद पासी, निवासी बान्द्राभान, तहसील होशंगाबाद.
2. श्री बारेलाल निवासी ग्राम निटाया
3. श्री द्वारका प्रसाद एडव्होकेट, होशंगाबाद

धारा 13 की उपधारा (3) (सी) के अधीनः

1. श्री चन्द्रमोहन सिंह निवासी जासलपुर
2. श्री अमृतबिंदु डेरिया बाबई

धारा 13 की उपधारा (3) (डी) के अधीनः

1. अनुविभागीय अधिकारी, सिंचाई तवा परियोजना, होशंगाबाद.
2. विकासखण्ड चिकित्सा अधिकारी, डोलरिया, तहसील डोलरिया.
3. उपयंत्री, सिंचाई विभाग, बाबई

धारा 13 की उपधारा (3) (ई) के अधीनः

1. प्रबंधक, क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक, निमसाडिया

धारा 13 की उपधारा (3) (एफ) के अधीनः

1. तहसीलदार होशंगाबाद

होशंगाबाद जिले का—सोहागपुर उपखण्ड

धारा 13 की उपधारा (3) (ए) के अधीनः

अध्यक्ष—अनुविभागीय अधिकारी, सोहागपुर

धारा 13 की उपधारा (3) (बी) के अधीनः

सदस्य—

1. श्री कीर्तिबहादुर शाह, शोभापुर
2. श्री गोकुलप्रसाद शाह, काती
3. श्री बाबूलाल निवासी भौखेडी

धारा 13 की उपधारा (3) (सी) के अधीनः

1. श्री मेहरबान सिंह पटैल निवासी भौखेडीकला
2. श्री रामस्वरूप पिता मेवालाल सिटिया गोहना

धारा 13 की उपधारा (3) (डी) के अधीनः

1. थाना प्रभारी, सोहागपुर
2. पंचायत एवं समाज सेवा संगठन, सोहागपुर
3. वरिष्ठ कृषि विस्तार अधिकारी, सोहागपुर

धारा 13 की उपधारा (3) (ई) के अधीनः

1. प्रबंधक भूमि विकास बैंक, सोहागपुर

धारा 13 की उपधारा (3) (एफ) के अधीनः

1. तहसीलदार सोहागपुर

होशंगाबाद जिले का—पिपरिया उपखण्ड

धारा 13 की उपधारा (3) (ए) के अधीनः

अध्यक्ष—अनुविभागीय अधिकारी, पिपरिया

धारा 13 की उपधारा (3) (बी) के अधीनः

सदस्य—

1. श्री हरिशंकर जायसवाल, पूर्व विधायक पिपरिया
2. श्री मुकेश सराठे जनपद सदस्य बनखेडी
3. श्रीमती आरती पलिया, अध्यक्ष जनपद पंचायत पिपरिया

धारा 13 की उपधारा (3) (सी) के अधीनः

1. श्री हिम्मतसिंह मुखत्यार, अध्यक्ष कृषि उपज मण्डी पिपरिया.
2. श्रीमती सरिता बैस, अध्यक्ष नगरपालिका पिपरिया

धारा 13 की उपधारा (3) (डी) के अधीनः

1. परियोजना अधिकारी महिला बाल विकास पिपरिया
2. राजस्व निरीक्षक मण्डल चॉदौन
3. राजस्व निरीक्षक मण्डल सांडिया

धारा 13 की उपधारा (3) (ई) के अधीनः

1. शाखा प्रबंधक भारतीय स्टेट बैंक पिपरिया

धारा 13 की उपधारा (3) (एफ) के अधीनः

1. मुख्य कार्यपालन अधिकारी, जनपद पंचायत पिपरिया

निशांत वरवडे, कलेक्टर एवं जिला दण्डाधिकारी.

कार्यालय, कलेक्टर एवं जिला दण्डाधिकारी, जिला अलीराजपुर, मध्यप्रदेश

अलीराजपुर, दिनांक 16 जून 2011

क्र. 1650-जे.सी.-2011.—दण्ड प्रक्रिया संहिता 1973 (1972 का संख्या 2) की धारा 2 के खण्ड (घ) द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए, राज्य सरकार, एतद्द्वारा नीचे दी गई अनुसूची के कालम (1) में विनिर्दिष्ट स्थानों पर सिविल अधिकार संरक्षण अधिनियम, 1955 (1955 का सं. 22) अनुसूचित जाति और जनजाति (अत्याचार निवारण अधिनियम, 1989) (1989 का सं. 23) एवं अन्य विधियों के अधीन अनुसूचित जातियों और जनजातियों के सदस्यों के विरुद्ध किये गये अपराधों के प्रयोजनों के लिये उक्त अनुसूची के कालम (2) की तत्स्थानी प्रविष्टियों में विनिर्दिष्ट अधिकारिता रखने वाले अनुसूचित जाति, जनजाति कल्याण पुलिस थानों के रूप में घोषित करती है:—

अनुसूची

अजा/जजा कल्याण पुलिस थाना का स्थान	अधिकारिता
(1)	(2)
अजाक थाना, अलीराजपुर	सम्पूर्ण जिला अलीराजपुर

No. 1650.—In exercise of the powers conferred by clause (G) of Section 2 of the code of Criminal Proceure (2 of 1974) the State Government hereby, declares the Anusuchit Jati Evam Janjati Kalyan Police Station at the place specified in column (1) of the Schedule below having jurisdication specified in the corresponding entries in column (2) of the said Schedule for the purposes of the offences under the Protection of Civil Right Act, 1955 (22 of 1955) the Scheduled Caste and the Scheduled Tibes (prevention of atrocities) Act, 1989 (No. 23 of 1989) and other laws committed against the members of Scheduled Castes and the Scheduled Tribes:—

SCHEDULED

Places of Police Station A.J./A.J.J.K	Jurisdicition
(1)	(2)
A.J.K. P.S. Alirajpur	Whole of District Alirajpur

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
अशोक देशवाल, कलेक्टर एवं जिला दण्डाधिकारी.

मध्यप्रदेश राज्य निर्वाचन आयोग

"निर्वाचन भवन"

58, अरेरा हिल्स, भोपाल, मध्यप्रदेश

आदेश

भोपाल, दिनांक 25 जून 2011

क्र. एफ. 67-267-10-तीन-993.—मध्यप्रदेश नगरपालिका अधिनियम, 1961 की धारा 32-क के अनुसार अध्यक्ष के निर्वाचन में भाग लेने वाले प्रत्येक अभ्यर्थी के लिये यह अनिवार्य है कि वह निर्वाचन संबंधी उस समस्त व्यय का, जो उसने स्वयं या उसके निर्वाचन अभिकर्ता ने, नामनिर्दिष्ट होने की तारीख से निर्वाचन के

परिणाम की घोषणा की तारीख की अवधि के बीच उपगत किया हो या उपगत करने के लिये प्राधिकृत किया हो, पृथक् और सही लेखा रखेगा या अपने निर्वाचन अभिकर्ता द्वारा रखवाएगा. मध्यप्रदेश नगरपालिका अधिनियम, 1961 की धारा 32-ख के अनुसार अध्यक्ष का निर्वाचन लड़ने वाले प्रत्येक अभ्यर्थी के लिये यह अनिवार्य है कि वह निर्वाचन की तारीख से 30 दिन के अन्दर अपने निर्वाचन व्ययों का लेखा राज्य निर्वाचन आयोग द्वारा अधिसूचित अधिकारी के पास दाखिल करेगा.

राज्य निर्वाचन आयोग द्वारा जारी "निर्वाचन व्यय (लेखा संधारण और प्रस्तुति) आदेश, 1997" "मध्यप्रदेश राजपत्र (असाधारण)", दिनांक 6 जून, 1997 में प्रकाशित हुआ है, उसमें यह निर्दिष्ट किया गया है कि निर्वाचन व्ययों का लेखा विहित अवधि में तथा विनिर्दिष्ट प्रोफार्मा में जिला निर्वाचन अधिकारी के पास दाखिल किया जाएगा.

माह दिसम्बर 2009 में सम्पन्न हुए **नगर पंचायत रामपुर नैकिन, जिला सीधी** के आम निर्वाचन में **श्री जागेन्द्र प्रसाद सोनी,** अध्यक्ष पद के अभ्यर्थी थे. **नगर पंचायत रामपुर नैकिन, जिला सीधी** के निर्वाचन का परिणाम दिनांक 15 दिसम्बर 2009 को घोषित हुआ. मध्यप्रदेश नगरपालिका अधिनियम, 1961 की धारा 32-ख के अनुसार निर्वाचन परिणाम की घोषणा की तारीख से 30 दिन के अन्दर अर्थात् 14 जनवरी 2010 तक इन्हें अपने निर्वाचन व्ययों का लेखा जिला निर्वाचन अधिकारी, **सीधी** के पास दाखिल किया जाना था, किन्तु कलेक्टर एवं जिला निर्वाचन अधिकारी, **सीधी** के पत्र क्र. 313/स्था.निर्वा./10, दिनांक 19 अगस्त 2010 के द्वारा प्राप्त जानकारी अनुसार **श्री जागेन्द्र प्रसाद सोनी** द्वारा विहित समय में निर्वाचन व्ययों का लेखा दाखिल नहीं किया गया.

विहित समयावधि में निर्वाचन व्यय का लेखा प्रस्तुत न करने का प्रतिवेदन प्राप्त होने पर **श्री जागेन्द्र प्रसाद सोनी,** को कारण बताओ सूचना-पत्र दिनांक 15 सितम्बर 2010 जारी कर कलेक्टर एवं जिला निर्वाचन अधिकारी, **सीधी** के माध्यम से दिनांक 4 नवम्बर 2010 को तामील कराया गया. कारण बताओ नोटिस में अभ्यर्थी से जवाब (लिखित अभ्यावेदन) इस कारण बताओ सूचना के प्राप्त होने के 15 दिन के अन्दर चाहा गया था. नोटिस में सभी वैधानिक स्थिति बताते हुए यह भी अंकित किया गया था कि 15 दिन के अन्दर उत्तर प्राप्त न होने की स्थिति में यह माना जाकर कि उन्हें इस संबंध में कुछ नहीं कहना है, उनके विरुद्ध एक पक्षीय आदेश पारित कर दिया जाएगा.

श्री जागेन्द्र प्रसाद सोनी को नोटिस दिनांक 4 नवम्बर 2010 को तामील हो गया. अतः उनको दिनांक 19 नवम्बर 2010 तक अभ्यावेदन प्रस्तुत करना था. अभ्यर्थी द्वारा दिनांक निरंक को एक अभ्यावेदन प्रस्तुत किया जो कि आयोग कार्यालय में दिनांक 16 दिसम्बर 2010 को प्राप्त हुआ, जिसमें अभ्यर्थी ने लेख किया कि—"प्रार्थी चुनाव घोषणा बाद खर्चों का ब्यौरा जिला कार्यालय में जमा करने आया था किन्तु जांच में बताया गया कि एस.डी.ओ. चुरहट के हस्ताक्षर कराकर लाओ. मेरे द्वारा कई बार एस.डी.ओ. चुरहट से हस्ताक्षर कराने का प्रयास किया गया किन्तु एस.डी.ओ. साहब के दौरे में रहने या अन्य कार्यवस मुलाकात नहीं हो सकी. अंततः दिनांक 20 जनवरी 2010 को हस्ताक्षर पूर्ण कराया गया. दिनांक 20 जनवरी, 2010 की लेखा पूर्ण कराकर जब जिला कार्यालय में जमा कराना चाहा तो संबंधित लिपिक द्वारा यह कहकर मेरा लेखा वापस कर दिया गया कि हम भोपाल लेखा भेज चुके हैं आप चुनाव में हार भी चुके हैं. अतः अब लेखा जमा नहीं होगा." आयोग ने उक्त अभ्यावेदन के संबंध में कलेक्टर सीधी से अभिमत चाहा जिसके पालन में कलेक्टर सीधी ने अपने फेक्स पत्र दिनांक 3 फरवरी 2011 में लेख किया कि अभ्यर्थी **श्री जागेन्द्र प्रसाद सोनी** द्वारा निर्वाचन के घोषणा पश्चात निर्वाचन व्यय लेखा प्रस्तुत किये जाने हेतु कार्यालय में कभी भी उपस्थित नहीं हुये हैं जिससे अभ्यावेदन में उनके लेख अनुसार कार्यालय लिपिक द्वारा व्यय लेखा वापस किये जाने का प्रश्न ही नहीं उपस्थित होता. अभ्यर्थी का निर्वाचन व्यय लेखा विहित रीति एवं समय पर प्रस्तुत न होने के कारण अभ्यर्थी द्वारा अपने अभ्यावेदन में मनगढंत कहानी कही गई है जो स्वीकारिता योग्य एवं विश्वसनीय नहीं है. कलेक्टर सीधी से उक्त जानकारी प्राप्त होने पर विचारोपरांत आयोग द्वारा दिनांक 24 फरवरी 2011 को अभ्यर्थी को निर्वाचन व्यय लेखों से संबंधित समस्त दस्तावेज लेकर माननीय राज्य निर्वाचन आयुक्त के समक्ष में दिनांक 25 मार्च, 2011 को उपस्थित होने हेतु सूचना-पत्र लिखा गया. व्यक्तिगत सुनवाई हेतु जारी सूचना-पत्र की तामीली कलेक्टर सीधी द्वारा दिनांक 25 मार्च, 2011 को कराई गई, किन्तु अभ्यर्थी उपस्थित नहीं हुए न ही उनके द्वारा कोई अभ्यावेदन दिनांक 31 मई, 2011 तक प्रस्तुत किया गया.

उपरोक्त विवेचना से स्पष्ट है कि अभ्यर्थी द्वारा नियत समयावधि में निर्वाचन व्यय लेखा प्रस्तुत नहीं किया गया एवं पक्ष समर्थन में कोई भी दस्तावेज प्रस्तुत नहीं किये गए हैं. अतः आयोग का यह समाधान हो गया है कि उनके पास निर्वाचन व्यय लेखा निर्धारित समयावधि में प्रस्तुत करने में असफल रहने का कोई पर्याप्त एवं न्यायोचित कारण नहीं है.

अतः, मध्यप्रदेश नगरपालिका अधिनियम, 1961 की धारा 32-ग के उपबन्धों के अन्तर्गत **श्री जागेन्द्र प्रसाद सोनी** को इस प्रकार चुने जाने के लिये तथा **नगर पंचायत रामपुर नैकिन, जिला सीधी** का पार्षद या अध्यक्ष होने के लिए इस आदेश के तारीख से 05 वर्ष (पांच वर्ष) की कालावधि के लिये निरर्हित (अयोग्य) घोषित किया जाता है.

मध्यप्रदेश राज्य निर्वाचन आयुक्त के आदेशानुसार,
हस्ता./-

(सुभाष जैन)
सचिव,
मध्यप्रदेश राज्य निर्वाचन आयोग, भोपाल.

आदेश

भोपाल, दिनांक 25 जून 2011

क्र. एफ. 67-267-10-तीन-994.—मध्यप्रदेश नगरपालिका अधिनियम, 1961 की धारा 32-क के अनुसार अध्यक्ष के निर्वाचन में भाग लेने वाले प्रत्येक अभ्यर्थी के लिये यह अनिवार्य है कि वह निर्वाचन संबंधी उस समस्त व्यय का, जो उसने स्वयं या उसके निर्वाचन अभिकर्ता ने, नामनिर्दिष्ट होने की तारीख से निर्वाचन के परिणाम की घोषणा की तारीख की अवधि के बीच उपगत किया हो या उपगत करने के लिये प्राधिकृत किया हो, पृथक् और सही लेखा रखेगा या अपने निर्वाचन अभिकर्ता द्वारा रखवाएगा. मध्यप्रदेश नगरपालिका अधिनियम, 1961 की धारा 32-ख के अनुसार अध्यक्ष का निर्वाचन लड़ने वाले प्रत्येक अभ्यर्थी के लिये यह अनिवार्य है कि वह निर्वाचन की तारीख से 30 दिन के अन्दर अपने निर्वाचन व्ययों का लेखा राज्य निर्वाचन आयोग द्वारा अधिसूचित अधिकारी के पास दाखिल करेगा.

राज्य निर्वाचन आयोग द्वारा जारी ''निर्वाचन व्यय (लेखा संधारण और प्रस्तुति) आदेश, 1997'' ''मध्यप्रदेश राजपत्र (असाधारण)'', दिनांक 6 जून, 1997 में प्रकाशित हुआ है, उसमें यह निर्दिष्ट किया गया है कि निर्वाचन व्ययों का लेखा विहित अवधि में तथा विनिर्दिष्ट प्रोफार्मा में जिला निर्वाचन अधिकारी के पास दाखिल किया जाएगा.

माह दिसम्बर 2009 में सम्पन्न हुए **नगर पंचायत रामपुर नैकिन, जिला सीधी** के आम निर्वाचन में **श्री अजय सिंह,** अध्यक्ष पद के अभ्यर्थी थे. **नगर पंचायत रामपुर नैकिन, जिला सीधी** के निर्वाचन का परिणाम दिनांक 15 दिसम्बर 2009 को घोषित हुआ. मध्यप्रदेश नगरपालिका अधिनियम, 1961 की धारा 32-ख के अनुसार निर्वाचन परिणाम की घोषणा की तारीख से 30 दिन के अन्दर अर्थात् 14 जनवरी 2010 तक इन्हें अपने निर्वाचन व्ययों का लेखा जिला निर्वाचन अधिकारी, **सीधी** के पास दाखिल किया जाना था, किन्तु कलेक्टर एवं जिला निर्वाचन अधिकारी, **सीधी** के पत्र क्र. 313/स्था.निर्वा./10, दिनांक 19 अगस्त 2010 के द्वारा प्राप्त जानकारी अनुसार **श्री अजय सिंह** द्वारा विहित समय में निर्वाचन व्ययों का लेखा दाखिल नहीं किया गया.

विहित समयावधि में निर्वाचन व्यय का लेखा प्रस्तुत न करने का प्रतिवेदन प्राप्त होने पर **श्री अजय सिंह,** को कारण बताओ सूचना-पत्र दिनांक 15 सितम्बर 2010 जारी कर कलेक्टर एवं जिला निर्वाचन अधिकारी, **सीधी** के माध्यम से दिनांक 4 नवम्बर 2010 को तामील कराया गया. कारण बताओ नोटिस में अभ्यर्थी से जवाब (लिखित अभ्यावेदन) इस कारण बताओ सूचना के प्राप्त होने के 15 दिन के अन्दर चाहा गया था. नोटिस में सभी वैधानिक स्थिति बताते हुए यह भी अंकित किया गया था कि 15 दिन के अन्दर उत्तर प्राप्त न होने की स्थिति में यह माना जाकर कि उन्हें इस संबंध में कुछ नहीं कहना है, उनके विरुद्ध एक पक्षीय आदेश पारित कर दिया जाएगा.

श्री अजय सिंह को नोटिस दिनांक 4 नवम्बर 2010 को तामील हो गया. अतः उनको दिनांक 19 नवम्बर 2010 तक अभ्यावेदन प्रस्तुत करना था. किन्तु अभ्यर्थी द्वारा अभ्यावेदन प्रस्तुत नहीं किया गया. कलेक्टर सीधी ने अपने फेक्स पत्र दिनांक 3 फरवरी 2011 में लेख किया कि अभ्यर्थी **श्री अजय सिंह** के द्वारा नोटिस तामीली उपरांत आज दिनांक तक इस कार्यालय में कोई अभ्यावेदन एवं व्यय लेखा प्रस्तुत नहीं किया गया है. कलेक्टर सीधी से उक्त जानकारी प्राप्त होने पर विचारोपरांत आयोग द्वारा दिनांक 24 फरवरी 2011 को अभ्यर्थी को निर्वाचन व्यय लेखों से संबंधित समस्त दस्तावेज लेकर माननीय राज्य निर्वाचन आयुक्त के समक्ष में दिनांक 25 मार्च, 2011 को उपस्थित होने हेतु सूचना-पत्र लिखा गया. व्यक्तिगत सुनवाई हेतु जारी सूचना-पत्र की तामीली कलेक्टर सीधी द्वारा दिनांक 25 मार्च, 2011 को कराई गई, किन्तु अभ्यर्थी उपस्थित नहीं हुए न ही उनके द्वारा कोई अभ्यावेदन दिनांक 31 मई, 2011 तक प्रस्तुत किया गया.

उपरोक्त विवेचना से स्पष्ट है कि अभ्यर्थी द्वारा नियत समयावधि में निर्वाचन व्यय लेखा प्रस्तुत नहीं किया गया एवं पक्ष समर्थन में कोई भी दस्तावेज प्रस्तुत नहीं किये गए हैं. अतः आयोग का यह समाधान हो गया है कि उनके पास निर्वाचन व्यय लेखा निर्धारित समयावधि में प्रस्तुत करने में असफल रहने का कोई पर्याप्त एवं न्यायोचित कारण नहीं है.

अतः, मध्यप्रदेश नगरपालिका अधिनियम, 1961 की धारा 32-ग के उपबन्धों के अन्तर्गत **श्री अजय सिंह** को इस प्रकार चुने जाने के लिये तथा **नगर पंचायत रामपुर नैकिन, जिला सीधी** का पार्षद या अध्यक्ष होने के लिए इस आदेश के तारीख से 05 वर्ष (पांच वर्ष) की कालावधि के लिये निरर्हित (अयोग्य) घोषित किया जाता है.

मध्यप्रदेश राज्य निर्वाचन आयुक्त के आदेशानुसार,
हस्ता./-

(सुभाष जैन)
सचिव,
मध्यप्रदेश राज्य निर्वाचन आयोग, भोपाल.

आदेश

भोपाल, दिनांक 27 जून 2011

क्र. एफ. 67-82-10-तीन-1008.—मध्यप्रदेश नगरपालिका अधिनियम, 1961 की धारा 32 क के अनुसार अध्यक्ष के निर्वाचन

में भाग लेने वाले प्रत्येक अभ्यर्थी के लिये यह अनिवार्य है कि वह निर्वाचन संबंधी उस समस्त व्यय का, जो उसने स्वयं या उसके निर्वाचन अभिकर्ता ने, नामनिर्दिष्ट होने की तारीख से निर्वाचन के परिणाम की घोषणा की तारीख की अवधि के बीच उपगत किया हो या उपगत करने के लिये प्राधिकृत किया हो, पृथक् और सही लेखा रखेगा या अपने निर्वाचन अभिकर्ता द्वारा रखवाएगा. मध्यप्रदेश नगरपालिका अधिनियम, 1961 की धारा 32-ख के अनुसार अध्यक्ष का निर्वाचन लड़ने वाले प्रत्येक अभ्यर्थी के लिये यह अनिवार्य है कि वह निर्वाचन की तारीख से 30 दिन के अन्दर अपने निर्वाचन व्ययों का लेखा राज्य निर्वाचन आयोग द्वारा अधिसूचित अधिकारी के पास दाखिल करेगा.

राज्य निर्वाचन आयोग द्वारा जारी ''निर्वाचन व्यय (लेखा संधारण और प्रस्तुति) आदेश, 1997'' ''मध्यप्रदेश राजपत्र (असाधारण)'', दिनांक 6 जून, 1997 में प्रकाशित हुआ है, उसमें यह निर्दिष्ट किया गया है कि निर्वाचन व्ययों का लेखा विहित अवधि में तथा विनिर्दिष्ट प्रोफार्मा में जिला निर्वाचन अधिकारी के पास दाखिल किया जाएगा.

माह दिसम्बर 2009 में सम्पन्न हुए **नगरपालिका परिषद बड़नगर, जिला उज्जैन** के आम निर्वाचन में **श्री ज्ञान प्रकाश भार्गव** अध्यक्ष पद के अभ्यर्थी थे. इस **नगरपालिका** के निर्वाचन का परिणाम दिनांक 15 दिसम्बर 2009 को घोषित हुआ. मध्यप्रदेश नगरपालिका अधिनियम, 1961 की धारा 32-ख के अनुसार निर्वाचन परिणाम की घोषणा की तारीख से 30 दिन के अन्दर अर्थात् दिनांक 14 जनवरी 2010 तक, **श्री ज्ञान प्रकाश भार्गव** को निर्वाचन व्ययों का लेखा जिला निर्वाचन अधिकारी, **उज्जैन** के पास दाखिल करना था, किन्तु कलेक्टर एवं जिला निर्वाचन अधिकारी, **उज्जैन** के पत्र क्र./स्था.निर्वा./2010/385, दिनांक 21 जनवरी, 2010 के द्वारा प्राप्त जानकारी अनुसार **श्री ज्ञान प्रकाश भार्गव** द्वारा विहित समय में निर्वाचन व्ययों का अपूर्ण लेखा दाखिल किया गया.

विहित समयावधि में निर्वाचन व्यय का अपूर्ण लेखा प्रस्तुत करने का प्रतिवेदन प्राप्त होने पर **श्री ज्ञान प्रकाश भार्गव,** को आयोग के पत्र क्रमांक एफ 67-82/2010/तीन/824, दिनांक 2 फरवरी 2010 द्वारा कलेक्टर, उज्जैन को व्यय लेखा जिला स्तर पर पूर्ण कराने हेतु पत्र जारी किया गया. उप जिला निर्वाचन अधिकारी, जिला उज्जैन से प्राप्त प्रतिवेदन पत्र क्रमांक स्थान.निर्वा./2010/953, दिनांक 19 अप्रैल, 2010 में प्रतिवेदित किया गया कि अध्यक्ष पद के अभ्यर्थी **श्री ज्ञान प्रकाश भार्गव** को उनके अपूर्ण लेखों को पूर्ण करने हेतु कार्यालयीन पत्र क्रमांक 644, दिनांक 17 फरवरी 2010 जारी किया गया था. इस पत्र की तामीली भी भार्गव को दिनांक 19 फरवरी, 2010 को कराई गई थी. **श्री भार्गव** द्वारा प्रतिवेदन दिनांक 19 अप्रैल, 2010 तक जिला कार्यालय में उपस्थित होकर निर्वाचन व्यय लेखों की पूर्णता नहीं की गई है, का प्रतिवेदन प्राप्त होने पर **श्री ज्ञान प्रकाश भार्गव** को आयोग के पत्र क्रमांक एफ-67-82-2010-तीन-1824, दिनांक 12 मई 2010 के द्वारा अपूर्ण व्यय लेखा पूर्ण कराने हेतु कारण बताओ नोटिस जारी कर, **श्री ज्ञान प्रकाश भार्गव** से जवाब (लिखित अभ्यावेदन) कारण बताओ सूचना के प्राप्त होने के 15 दिन के अन्दर चाहा गया था. नोटिस में सभी वैधानिक स्थिति बताते हुए यह भी अंकित किया गया था कि 15 दिन के अन्दर उत्तर प्राप्त न होने की स्थिति में यह माना जाकर, कि उन्हें इस संबंध में कुछ नहीं कहना है, उनके विरुद्ध एक पक्षीय आदेश पारित कर दिया जायेगा.

अभ्यर्थी **श्री ज्ञान प्रकाश भार्गव** को उप जिला निर्वाचन अधिकारी, जिला उज्जैन के माध्यम से नोटिस दिनांक 4 जून 2010 को तामील कराया गया. अत: उनको दिनांक 19 जून 2010 तक अभ्यावेदन प्रस्तुत करना था. उप जिला निर्वाचन अधिकारी, जिला उज्जैन से प्राप्त प्रतिवेदन क्रमांक/स्था.निर्वा./2010/1513, दिनांक 25 जून, 2010 में लेख किया है कि प्रतिवेदन दिनांक 25 जून 2010 तक अभ्यर्थी **श्री ज्ञान प्रकाश भार्गव** द्वारा जिला कार्यालय में उपस्थित होकर व्यय लेखों की कमियों/त्रुटियों का सुधार नहीं किया गया है.

आयोग द्वारा विचारोपरान्त अभ्यर्थी को 02 बार व्यक्तिगत सुनवाई हेतु दिनांक 21 सितम्बर 2010 एवं 5 मार्च 2011 को आहुत किया गया. व्यक्तिगत सुनवाई हेतु जारी नोटिस दिनांक 31 अगस्त 2010 एवं 25 जनवरी 2011 की तामीलशुदा प्रति पर अभ्यर्थी **श्री ज्ञान प्रकाश भार्गव** ने तामीलशुदा प्रति में—**''मेरे द्वारा पूर्व में व्यय लेखा प्रस्तुत कर दिया गया है, समस्त कागजात मेरे द्वारा जैन सा. को एस.डी.ओ. कोर्ट में दिये हैं, कृपया तलाश करें.''** जिसके संबंध में कलेक्टर से वस्तुस्थिति की जानकारी दिनांक 19 अक्टूबर 2010 को चाही गई जिसके परिप्रेक्ष्य में उप जिला निर्वाचन अधिकारी से प्राप्त प्रतिवेदन दिनांक 29 नवम्बर 2010 में प्रतिवेदित किया गया है कि श्री भार्गव द्वारा कोई लेखा बड़नगर अनुविभागीय अधिकारी कार्यालय में प्रस्तुत नहीं किया गया है. विचारोपरान्त अभ्यर्थी को पुन: दिनांक 20 अप्रैल 2011 को व्यक्तिगत सुनवाई हेतु आहुत किया गया. लेकिन अभ्यर्थी आयोग में उपस्थित नहीं हुए. उप जिला निर्वाचन अधिकारी जिला उज्जैन से प्राप्त पत्र दिनांक 29 अप्रैल 2011 में अभ्यर्थी को व्यक्तिगत सुनवाई हेतु जारी सूचना-पत्र दिनांक 9 मार्च 2011 की तामीली अभ्यर्थी के पुत्र संजय पर दिनांक 15 अप्रैल 2011 को तामील कराई गई. विहित समयावधि में नोटिस की तामीली होने के उपरांत भी अभ्यर्थी **श्री ज्ञान प्रकाश भार्गव** आयोग में उपस्थित नहीं हुए. अभ्यर्थी द्वारा आयोग से इस संबंध में कोई पत्र व्यवहार भी नहीं किया गया.

उपरोक्त विवेचना से स्पष्ट है कि **श्री ज्ञान प्रकाश भार्गव** द्वारा नियत समयावधि में निर्वाचन व्यय का पूर्ण लेखा प्रस्तुत नहीं किया गया. अत: आयोग का यह समाधान हो गया है कि उनके पास निर्वाचन व्यय लेखा निर्धारित समयावधि में प्रस्तुत नहीं करने का कोई पर्याप्त एवं न्यायोचित कारण नहीं है.

अतः, मध्यप्रदेश नगरपालिका अधिनियम, 1961 की धारा 32-ग के उपबन्धों के अन्तर्गत **श्री ज्ञान प्रकाश भार्गव** को इस प्रकार चुने जाने के लिये तथा **नगरपालिका परिषद बड़नगर, जिला उज्जैन** का पार्षद या अध्यक्ष होने के लिए इस आदेश के तारीख से 05 (पांच) वर्ष की कालावधि के लिये निरर्हित (अयोग्य) घोषित किया जाता है.

मध्यप्रदेश राज्य निर्वाचन आयुक्त के आदेशानुसार,
हस्ता./-

(सुभाष जैन)
सचिव,
मध्यप्रदेश राज्य निर्वाचन आयोग, भोपाल.

आदेश

भोपाल, दिनांक 27 जून 2011

क्र. एफ. 67-221-10-तीन-1013.—मध्यप्रदेश नगरपालिका अधिनियम, 1961 की धारा 32-क के अनुसार अध्यक्ष के निर्वाचन में भाग लेने वाले प्रत्येक अभ्यर्थी के लिये यह अनिवार्य है कि वह निर्वाचन संबंधी उस समस्त व्यय का, जो उसने स्वयं या उसके निर्वाचन अभिकर्ता ने, नामनिर्दिष्ट होने की तारीख से निर्वाचन के परिणाम की घोषणा की तारीख की अवधि के बीच उपगत किया हो या उपगत करने के लिये प्राधिकृत किया हो, पृथक् और सही लेखा रखेगा या अपने निर्वाचन अभिकर्ता द्वारा रखवाएगा. मध्यप्रदेश नगरपालिका अधिनियम, 1961 की धारा 32-ख के अनुसार अध्यक्ष का निर्वाचन लड़ने वाले प्रत्येक अभ्यर्थी के लिये यह अनिवार्य है कि वह निर्वाचन की तारीख से 30 दिन के अन्दर अपने निर्वाचन व्ययों का लेखा राज्य निर्वाचन आयोग द्वारा अधिसूचित अधिकारी के पास दाखिल करेगा.

राज्य निर्वाचन आयोग द्वारा जारी ''निर्वाचन व्यय (लेखा संधारण और प्रस्तुति) आदेश, 1997'' ''मध्यप्रदेश राजपत्र (असाधारण)'', दिनांक 6 जून, 1997 में प्रकाशित हुआ है, उसमें यह निर्दिष्ट किया गया है कि निर्वाचन व्ययों का लेखा विहित अवधि में तथा विनिर्दिष्ट प्रोफार्मा में जिला निर्वाचन अधिकारी के पास दाखिल किया जाएगा.

माह दिसम्बर 2009 में सम्पन्न हुए **नगर पंचायत बरही, जिला कटनी** के आम निर्वाचन में **मो. रफीक ''बारसी बाबा''** अध्यक्ष पद के अभ्यर्थी थे. **नगर पंचायत बरही, जिला कटनी** के निर्वाचन का परिणाम दिनांक 17 दिसम्बर 2009 को घोषित हुआ. मध्यप्रदेश नगरपालिका अधिनियम, 1961 की धारा 32-ख के अनुसार निर्वाचन परिणाम की घोषणा की तारीख से 30 दिन के अन्दर अर्थात् 16 जनवरी 2010 तक, किन्तु 16 जनवरी 2010 एवं 17 जनवरी 2010 का सार्वजनिक अवकाश होने के कारण दिनांक 18 जनवरी 2010 तक, इन्हें अपने निर्वाचन व्ययों का लेखा जिला निर्वाचन अधिकारी, **कटनी** के पास दाखिल किया जाना था, किन्तु कलेक्टर एवं जिला निर्वाचन अधिकारी, **कटनी** के पत्र क्र.260 ए/व्यय लेखा प्रभारी (स्था.निर्वा.अधि.) दिनांक 22 जनवरी, 2010 के द्वारा प्राप्त जानकारी अनुसार **मो. रफीक ''बारसी बाबा''** द्वारा विहित समय में निर्वाचन व्ययों का लेखा दाखिल नहीं किया गया.

विहित समयावधि में निर्वाचन व्यय का लेखा प्रस्तुत न करने का प्रतिवेदन प्राप्त होने पर **मो. रफीक ''बारसी बाबा''** को कारण बताओ सूचना पत्र दिनांक 10 फरवरी 2010 जारी कर कलेक्टर एवं जिला निर्वाचन अधिकारी, कटनी के माध्यम से दिनांक 30 अप्रैल 2010 को तामील कराया गया. कारण बताओ नोटिस में अभ्यर्थी से जवाब (लिखित अभ्यावेदन) इस कारण बताओ सूचना के प्राप्त होने के 15 दिन के अन्दर चाहा गया था. नोटिस में सभी वैधानिक स्थिति बताते हुए यह भी अंकित किया गया था कि 15 दिन के अन्दर उत्तर प्राप्त न होने की स्थिति में यह माना जाकर, कि उन्हें इस संबंध में कुछ नहीं कहना है, उनके विरुद्ध एक पक्षीय आदेश पारित कर दिया जायेगा.

मो. रफीक ''बारसी बाबा'' को नोटिस दिनांक 30 अप्रैल 2010 को तामील कराया गया. अभ्यर्थी द्वारा दिनांक 25 फरवरी, 2010 को एक अभ्यावेदन जो कि आयोग कार्यालय में दिनांक 7 अप्रैल 2010 को प्राप्त हुआ प्रेषित किया. अभ्यावेदन में उन्होंने लेख किया कि ''. . . . मुख्य नगरपालिका अधिकारी, बरही द्वारा मांग की गई थी कि अध्यक्ष पद के उम्मीदवार अपना लेखा 30 दिन के अन्दर जमा कर दें, तो मैंने सम्पूर्ण रिकार्ड जमा, मध्यप्रदेश नगर पंचायत अधिनियम, 1961 की धारा 32-ख के तहत अध्यक्ष का निर्वाचन से संबंधित लेखा व्यय जमा कर दिया था . . . '' आयोग द्वारा उक्त अभ्यावेदन कलेक्टर, कटनी को अभिमंत हेतु भेजा गया, जिसके तारतम्य में कलेक्टर, कटनी ने अपने पत्र दिनांक 17 मई, 2010 में लेख किया कि ''तहसीलदार बरही से प्रतिवेदन लिया गया. प्रतिवेदन अनुसार अभ्यर्थी **मो. रफीक ''बारसी बाबा''** द्वारा प्रस्तुत निर्वाचन व्यय लेखा समय-सीमा के पश्चात् दिनाकं 7 अप्रैल 2010 आयोग को अभ्यर्थी द्वारा भेजा गया है. जबकि आवेदक को 30 दिवस के अन्दर व्यय लेखा जिला निर्वाचन कार्यालय में जमा करने के निर्देश थे. तहसीलदार बरही के प्रतिवेदन अनुसार अभ्यर्थी **श्री मो. रफीक ''बारसी बाबा''** द्वारा प्रस्तुत अभ्यावेदन स्वीकार एवं विश्वसनीय योग्य नहीं है.'' उक्त प्रतिवेदन प्राप्त होने पर आयोग द्वारा विचारोपरांत दिनांक 22 जून, 2010 को अभ्यर्थी को निर्वाचन व्यय लेखों से संबंधित समस्त दस्तावेज लेकर माननीय राज्य निर्वाचन आयुक्त के समक्ष में दिनांक 7 जुलाई 2010 को उपस्थित होने हेतु पत्र लिखा गया. व्यक्तिगत सुनवाई हेतु जारी सूचना-पत्र की तामीली कलेक्टर कटनी द्वारा दिनांक 06 जुलाई, 2010 को कराई गई, किन्तु अभ्यर्थी उपस्थित नहीं हुए.

उपरोक्त विवेचना से स्पष्ट है कि अभ्यर्थी द्वारा नियत समयावधि

में निर्वाचन व्यय लेखा प्रस्तुत नहीं किया गया एवं पक्ष समर्थन में कोई भी दस्तावेज प्रस्तुत नहीं किए गए हैं. अतः आयोग का यह समाधान हो गया है कि उनके पास निर्वाचन व्यय लेखा निर्धारित समयावधि में प्रस्तुत करने में असफल रहने का कोई पर्याप्त एवं न्यायोचित कारण नहीं है.

अतः, मध्यप्रदेश नगरपालिका अधिनियम, 1961 की धारा 32-ग के उपबन्धों के अन्तर्गत **मो. रफीक "बारसी बाबा"** को इस प्रकार चुने जाने के लिये तथा **नगर पंचायत बरही, जिला कटनी** का पार्षद या अध्यक्ष होने के लिए इस आदेश के तारीख से 05 (पांच) वर्ष की कालावधि के लिये निरर्हित (अयोग्य) घोषित किया जाता है.

मध्यप्रदेश राज्य निर्वाचन आयुक्त के आदेशानुसार,
हस्ता./-

(सुभाष जैन)
सचिव,
मध्यप्रदेश राज्य निर्वाचन आयोग, भोपाल.

आदेश

भोपाल, दिनांक 28 जून 2011

क्र. एफ. 67-11-08-तीन-1029.—मध्यप्रदेश नगरपालिका अधिनियम, 1961 की धारा 32-क के अनुसार अध्यक्ष के निर्वाचन में भाग लेने वाले प्रत्येक अभ्यर्थी के लिये यह अनिवार्य है कि वह निर्वाचन संबंधी उस समस्त व्यय का, जो उसने स्वयं या उसके निर्वाचन अभिकर्ता ने, नामनिर्दिष्ट होने की तारीख से निर्वाचन के परिणाम की घोषणा की तारीख की अवधि के बीच उपगत किया हो या उपगत करने के लिये प्राधिकृत किया हो, पृथक् और सही लेखा रखेगा या अपने निर्वाचन अभिकर्ता द्वारा रखवाएगा. मध्यप्रदेश नगरपालिका अधिनियम, 1961 की धारा 32-ख के अनुसार अध्यक्ष का निर्वाचन लड़ने वाले प्रत्येक अभ्यर्थी के लिये यह अनिवार्य है कि वह निर्वाचन की तारीख से 30 दिन के अन्दर अपने निर्वाचन व्ययों का लेखा राज्य निर्वाचन आयोग द्वारा अधिसूचित अधिकारी के पास दाखिल करेगा.

राज्य निर्वाचन आयोग द्वारा जारी "निर्वाचन व्यय (लेखा संधारण और प्रस्तुति) आदेश, 1997" "मध्यप्रदेश राजपत्र (असाधारण)", दिनांक 6 जून, 1997 में प्रकाशित हुआ है, उसमें यह निर्दिष्ट किया गया है कि निर्वाचन व्ययों का लेखा विहित अवधि में तथा विनिर्दिष्ट प्रोफार्मा में जिला निर्वाचन अधिकारी के पास दाखिल किया जाएगा.

माह जून 2008 में सम्पन्न हुए **नगरपालिका परिषद् मलाजखंड, जिला बालाघाट** के निर्वाचन में **सुश्री वंदना तिलगाम** अध्यक्ष पद की अभ्यर्थी थीं. **इस नगरपालिका परिषद** के निर्वाचन का परिणाम दिनांक 13 जून 2008 को घोषित हुआ. मध्यप्रदेश नगरपालिका अधिनियम, 1961 की धारा 32-ख के अनुसार निर्वाचन परिणाम की घोषणा की तारीख से 30 दिन (अर्थात् 14 जुलाई 2008 तक) के अन्दर इनके द्वारा अपने निर्वाचन व्ययों का लेखा जिला निर्वाचन अधिकारी (नगरपालिका), जिला **बालाघाट** के पास दाखिल किया जाना था, किन्तु कलेक्टर एवं जिला निर्वाचन अधिकारी, (नगरपालिका) **बालाघाट** के पत्र क्रमांक 371/स्था.निर्वा./08, दिनांक 3 सितम्बर, 2008 के द्वारा प्राप्त जानकारी के अनुसार **सुश्री वंदना तिलगाम** द्वारा विहित समय में निर्वाचन व्ययों का लेखा दाखिल नहीं किया गया.

विहित समयावधि में निर्वाचन व्यय का लेखा प्रस्तुत करने का प्रतिवेदन कलेक्टर एवं जिला निर्वाचन अधिकारी (नगरपालिका) **जिला बालाघाट** से प्राप्त होने पर अभ्यर्थी **सुश्री वंदना तिलगाम** को कारण बताओ नोटिस दिनांक 21 नवम्बर 2008 जारी किया जाकर कलेक्टर एवं जिला निर्वाचन अधिकारी, (नगरपालिका) **जिला बालाघाट** के माध्यम से तामील कराया गया. कारण बताओ नोटिस में अभ्यर्थी से जवाब (लिखित अभ्यावेदन) इस कारण बताओ सूचना के प्राप्त होने के 15 दिन के अन्दर चाहा गया था. नोटिस में सभी वैधानिक स्थिति बताते हुए यह भी अंकित किया गया था कि 15 दिन के अन्दर उत्तर प्राप्त न होने की स्थिति में यह माना जाकर, कि उन्हें इस संबंध में कुछ नहीं कहना है, उनके विरुद्ध एक पक्षीय आदेश पारित कर दिया जायेगा.

अभ्यर्थी को नोटिस दिनांक 22 दिसम्बर 2008 को तामील कराया गया था. अतः अभ्यर्थी को दिनांक 6 जनवरी 2009 तक अभ्यावेदन/उत्तर प्रस्तुत करना था. अभ्यार्थी द्वारा नोटिस तामीली उपरांत दिनांक 31 दिसम्बर 2008 को एक अभ्यावेदन आयोग में प्रस्तुत किया, जिसमें उन्होंने लेख किया कि " मैं अभ्यर्थी **वंदना तिलगाम** शुरू में नगरपालिका व्यय लेखा जमा करने गयी तब कहा गया कि बाद में जमा कर दीजियेगा. इस बीच घर में हादसा हो जाने की वजह से हम लेट हो गये. बालाघाट जब जमा करने गये तब वहां कहा गया कि आप लेट हो गये हैं. इसलिये अब जमा नहीं हो पायेगा. वहां हम निर्वाचन अधिकारी से मिलने की कोशिश किये जब कहा गया कि इससे भी कोई निष्कर्ष नहीं निकलेगा. वापस नपा. कार्यालय मलाजखंड में आकर हम इस विषय में बातचीत की तब कहा गया कि जमा हो जायेगा. मगर यह कहकर टाल दिया गया. हमें नगरपालिका से न ही उचित मार्गदर्शन मिला नहीं किसी से मदद मिली. हमें इस विषय की उचित जानकारी नहीं थी कि किस तरह यह व्यय लेख प्रोफार्म जमा करना है. यह प्रोफार्म अभी भी हमारे पास रखा है. हमारी इस दलील को ध्यान में रखते हुए अब आपके द्वारा जो भी निर्णय लिया जायेगा हमें मंजूर होगा." उक्त अभ्यावेदन के संबंध में कलेक्टर बालाघाट से अभिमत चाहे जाने पर कलेक्टर बालाघाट ने अपने पत्र दिनांक 19 अप्रैल 2011 के संलग्न अनुविभागीय अधिकारी एवं रिटर्निंग आफिसर (नपा.) मलाजखंड का प्रतिवेदन दिनांक 7 अप्रैल 2011 संलग्न प्रेषित किया, जिसमें

उन्होंने अभ्यर्थी द्वारा निर्वाचन व्यय लेखा निर्धारित समय-सीमा में प्रस्तुत न कर विलंब से प्रस्तुत लेखे को परीक्षण किये जाने के फलस्वरूप लेखा स्वीकार्य योग्य नहीं पाया. उक्त अभिमत प्राप्त होने पर आयोग द्वारा विचारोपरांत दिनांक 13 जून, 2011 को अभ्यर्थी **सुश्री वंदना तिलगाम** को आयोग कार्यालय में निर्वाचन व्यय लेखा से संबंधित समस्त दस्तावेजों सहित व्यक्तिगत सुनवाई हेतु बुलाया गया. व्यक्तिगत सुनवाई हेतु जारी सूचना-पत्र की तामीली 4 जून 2011 को हो गई थी, किन्तु वे उपस्थित नहीं हुईं.

उपरोक्त विवेचना से स्पष्ट है कि अभ्यर्थी द्वारा नियत समयावधि में निर्वाचन व्यय लेखा प्रस्तुत नहीं किया गया. अत: आयोग का यह समाधान हो गया है कि उनके पास निर्वाचन व्यय लेखा प्रस्तुत करने में असफल रहने का कोई पर्याप्त एवं न्यायोचित कारण नहीं है.

अत:, मध्यप्रदेश नगरपालिका अधिनियम, 1961 की धारा 32-ग के उपबन्धों के अन्तर्गत **सुश्री वंदना तिलगाम** को इस प्रकार चुने जाने के लिये तथा **नगरपालिका परिषद मलाजखंड, जिला बालाघाट** का पार्षद या अध्यक्ष होने के लिए इस आदेश के तारीख से 02 वर्ष (दो वर्ष) की कालावधि के लिये निरर्हित (अयोग्य) घोषित किया जाता है.

मध्यप्रदेश राज्य निर्वाचन आयुक्त के आदेशानुसार,
हस्ता./-

(सुभाष जैन)
सचिव,
मध्यप्रदेश राज्य निर्वाचन आयोग, भोपाल.

आदेश

भोपाल, दिनांक 29 जून 2011

क्र. एफ. 67-92-10-तीन-1033.—मध्यप्रदेश नगरपालिका अधिनियम, 1961 की धारा 32-क के अनुसार अध्यक्ष के निर्वाचन में भाग लेने वाले प्रत्येक अभ्यर्थी के लिये यह अनिवार्य है कि वह निर्वाचन संबंधी उस समस्त व्यय का, जो उसने स्वयं या उसके निर्वाचन अभिकर्ता ने, नामनिर्दिष्ट होने की तारीख से निर्वाचन के परिणाम की घोषणा की तारीख की अवधि के बीच उपगत किया हो या उपगत करने के लिये प्राधिकृत किया हो, पृथक् और सही लेखा रखेगा या अपने निर्वाचन अभिकर्ता द्वारा रखवाएगा. मध्यप्रदेश नगरपालिका अधिनियम, 1961 की धारा 32-ख के अनुसार अध्यक्ष का निर्वाचन लड़ने वाले प्रत्येक अभ्यर्थी के लिये यह अनिवार्य है कि वह निर्वाचन की तारीख से 30 दिन के अन्दर अपने निर्वाचन व्ययों का लेखा राज्य निर्वाचन आयोग द्वारा अधिसूचित अधिकारी के पास दाखिल करेगा.

राज्य निर्वाचन आयोग द्वारा जारी ''निर्वाचन व्यय (लेखा संधारण और प्रस्तुति) आदेश, 1997'' ''मध्यप्रदेश राजपत्र (असाधारण)'', दिनांक 6 जून, 1997 में प्रकाशित हुआ है, उसमें यह निर्दिष्ट किया गया है कि निर्वाचन व्ययों का लेखा विहित अवधि में तथा विनिर्दिष्ट प्रोफार्मा में जिला निर्वाचन अधिकारी के पास दाखिल किया जाएगा.

माह दिसम्बर 2009 में सम्पन्न हुए **नगर पंचायत हाटपिपल्या, जिला देवास** के आम निर्वाचन में **श्री इंदरसिंह रालोती एडव्होकेट** अध्यक्ष पद के अभ्यर्थी थे. इस नगर पंचायत के निर्वाचन का परिणाम दिनांक 17 दिसम्बर 2009 को घोषित हुआ. मध्यप्रदेश नगरपालिका अधिनियम, 1961 की धारा 32-ख के अनुसार निर्वाचन परिणाम की घोषणा की तारीख से 30 दिन के अन्दर (अर्थात् दिनांक 16 एवं 17 जनवरी 2010 को शासकीय अवकाश होने से दिनांक 18 जनवरी 2010 तक), **श्री इंदरसिंह रालोती एडव्होकेट** को निर्वाचन व्ययों का लेखा जिला निर्वाचन अधिकारी देवास के पास दाखिल करना था, किन्तु कलेक्टर एवं जिला निर्वाचन अधिकारी देवास के पत्र क्रमांक 193/स्था.निर्वा./2010/दिनांक 21 जनवरी 2010 के द्वारा प्राप्त जानकारी अनुसार **श्री इंदरसिंह रालोती एडव्होकेट** द्वारा विहित समय में निर्वाचन व्ययों का लेखा दाखिल नहीं किया गया.

विहित समयावधि में निर्वाचन व्यय का लेखा प्रस्तुत नहीं करने का प्रतिवेदन प्राप्त होने पर **श्री इंदरसिंह रालोती एडव्होकेट,** को कारण बताओ सूचना पत्र क्र. एफ-67-92-2010-तीन-955, दिनांक 6 फरवरी 2010 को जारी कर संयुक्त कलेक्टर एवं उप जिला निर्वाचन अधिकारी, देवास के माध्यम से दिनांक 1 मार्च 2010 को तामील कराया गया. कारण बताओ नोटिस में **श्री इंदरसिंह रालोती एडव्होकेट** से जवाब (लिखित अभ्यावेदन) कारण बताओ सूचना के प्राप्त होने के 15 दिन के अन्दर चाहा गया था. नोटिस में सभी वैधानिक स्थिति बताते हुए यह भी अंकित किया गया था कि 15 दिन के अन्दर उत्तर प्राप्त न होने की स्थिति में यह माना जाकर कि उन्हें इस संबंध में कुछ नहीं कहना है, उनके विरुद्ध एक पक्षीय आदेश पारित कर दिया जाएगा.

अभ्यर्थी **श्री इंदरसिंह रालोती एडव्होकेट** को नोटिस दिनांक 1 मार्च 2010 को तामील कराया गया. अत: उनको दिनांक 16 मार्च 2010 तक अभ्यावेदन प्रस्तुत करना था. आयोग द्वारा दिनांक 19 जनवरी 2011 को **श्री इंदरसिंह रालोती एडव्होकेट** को नोटिस तामीली पश्चात् निर्धारित अवधि (15 दिन) में व्यय लेखा/ अभ्यावेदन प्रस्तुत किये जाने के संबंध में कलेक्टर से उनका अभिमत चाहा गया. संयुक्त कलेक्टर एवं उप जिला निर्वाचन अधिकारी, जिला देवास से प्राप्त प्रतिवेदन क्रमांक/48/स्था.निर्वा./2011/ दिनांक 28 फरवरी 2011 के द्वारा लेख किया है कि अभ्यर्थी **श्री इंदरसिंह रालोती एडव्होकेट** द्वारा नोटिस तामीली उपरांत दिनांक 20 अप्रैल 2010 को निर्वाचन व्यय लेखा भिजवाया गया. किन्तु व्यय लेखे के

प्रोफार्मा-ग एवं शपथ-पत्र किसी प्राधिकारी के समक्ष हस्ताक्षरित नहीं किया गया है. व्यय लेखा विलम्ब से प्रस्तुत करने के संबंध में कोई अभ्यावेदन जिला कार्यालय में प्रतिवेदन दिनांक 28 फरवरी 2011 तक प्रस्तुत नहीं किया गया है.

आयोग द्वारा विचारोपरांत दिनांक 28 अप्रैल 2011 को व्यक्तिगत सुनवाई हेतु आयोग कार्यालय में बुलाया गया, किन्तु अभ्यर्थी **श्री इंदरसिंह रालोती एडव्होकेट** आयोग कार्यालय में उपस्थित नहीं हुए. अभ्यर्थी द्वारा आयोग से इस संबंध में कोई पत्र व्यवहार भी नहीं किया गया. व्यक्तिगत सुनवाई हेतु जारी सूचना-पत्र दिनांक 23 मार्च 2011 की तामीली दिनांक 26 अप्रैल 2011 को **श्री इंदरसिंह रालोती एडव्होकेट** को की गई. उपरोक्त विवेचना से स्पष्ट है कि **श्री इंदरसिंह रालोती एडव्होकेट** द्वारा नियत समयावधि में निर्वाचन व्यय लेखा प्रस्तुत नहीं किया गया. अत: आयोग को यह समाधान हो गया है कि उनके पास निर्वाचन व्यय लेखा निर्धारित समयावधि में प्रस्तुत नहीं करने का कोई पर्याप्त एवं न्यायोचित कारण नहीं है.

अत:, मध्यप्रदेश नगरपालिका अधिनियम, 1961 की धारा 32-ग के उपबन्धों के अन्तर्गत **श्री इंदरसिंह रालोती एडव्होकेट** को इस प्रकार चुने जाने के लिये तथा **नगर पंचायत हाटपिपल्या, जिला देवास** का पार्षद या अध्यक्ष होने के लिये इस आदेश के तारीख से 05 वर्ष (पांच वर्ष) की कालावधि के लिये निरर्हित (अयोग्य) घोषित किया जाता है.

मध्यप्रदेश राज्य निर्वाचन आयुक्त के आदेशानुसार,
हस्ता./-
(सुभाष जैन)
सचिव,
मध्यप्रदेश राज्य निर्वाचन आयोग, भोपाल.

आदेश

भोपाल, दिनांक 29 जून 2011

क्र. एफ. 67-5-08-तीन-1035.—मध्यप्रदेश नगरपालिका अधिनियम, 1961 की धारा 32-क के अनुसार अध्यक्ष के निर्वाचन में भाग लेने वाले प्रत्येक अभ्यर्थी के लिये यह अनिवार्य है कि वह निर्वाचन संबंधी उस समस्त व्यय का, जो उसने स्वयं या उसके निर्वाचन अभिकर्ता ने, नामनिर्दिष्ट होने की तारीख से निर्वाचन के परिणाम की घोषणा की तारीख की अवधि के बीच उपगत किया हो या उपगत करने के लिये प्राधिकृत किया हो, पृथक् और सही लेखा रखेगा या अपने निर्वाचन अभिकर्ता द्वारा रखवाएगा. मध्यप्रदेश नगरपालिका अधिनियम, 1961 की धारा 32-ख के अनुसार अध्यक्ष का निर्वाचन लड़ने वाले प्रत्येक अभ्यर्थी के लिये यह अनिवार्य है कि वह निर्वाचन की तारीख से 30 दिन के अन्दर अपने निर्वाचन व्ययों का लेखा राज्य निर्वाचन आयोग द्वारा अधिसूचित अधिकारी के पास दाखिल करेगा.

राज्य निर्वाचन आयोग द्वारा जारी "निर्वाचन व्यय (लेखा संधारण और प्रस्तुति) आदेश, 1997" "मध्यप्रदेश राजपत्र (असाधारण)", दिनांक 6 जून, 1997 में प्रकाशित हुआ है, उसमें यह निर्दिष्ट किया गया है कि निर्वाचन व्ययों का लेखा विहित अवधि में तथा विनिर्दिष्ट प्रोफार्मा में जिला निर्वाचन अधिकारी के पास दाखिल किया जाएगा.

माह दिसम्बर 2007 में सम्पन्न हुए **नगर पंचायत नरवर, जिला शिवपुरी** के आम निर्वाचन में **श्रीमती मक्खो कुशवाह/नन्हेंसिंह,** अध्यक्ष पद की अभ्यर्थी थीं. इस नगर पंचायत के निर्वाचन का परिणाम दिनांक 24 दिसम्बर 2007 को घोषित हुआ. मध्यप्रदेश नगरपालिका अधिनियम, 1961 की धारा 32-ख के अनुसार निर्वाचन परिणाम की घोषणा की तारीख से 30 दिन के अन्दर अर्थात् 23 जनवरी 2008 तक, **श्रीमती मक्खो कुशवाह/नन्हेंसिंह** को निर्वाचन व्ययों का लेखा जिला निर्वाचन अधिकारी, **जिला शिवपुरी** के पास दाखिल करना था, किन्तु कलेक्टर एवं जिला निर्वाचन अधिकारी, **शिवपुरी** के पत्र क्रमांक स्था.निर्वा.-न.पा.नि.-2007-394, दिनांक 29 फरवरी 2008 के द्वारा प्राप्त जानकारी अनुसार **श्रीमती मक्खो कुशवाह/नन्हेंसिंह** द्वारा विहित समय में निर्वाचन व्ययों का लेखा दाखिल नहीं किया गया.

विहित समयावधि में निर्वाचन व्यय का लेखा प्रस्तुत नहीं करने का प्रतिवेदन प्राप्त होने पर **श्रीमती मक्खो कुशवाह/नन्हेंसिंह** को कारण बताओ सूचना-पत्र क्र. एफ-67-5-2008-तीन-284, दिनांक 14 मार्च 2008 को जारी कर अपर कलेक्टर एवं उप जिला निर्वाचन अधिकारी, **शिवपुरी** के माध्यम से दिनांक 27 दिसम्बर 2008 को तामील कराया गया. कारण बताओ नोटिस में **श्रीमती मक्खो कुशवाह/नन्हेंसिंह** से जवाब (लिखित अभ्यावेदन) कारण बताओ सूचना के प्राप्त होने के 15 दिन के अन्दर चाहा गया था. नोटिस में सभी वैधानिक स्थिति बताते हुए यह भी अंकित किया गया था कि 15 दिन के अन्दर उत्तर प्राप्त न होने की स्थिति में यह माना जाकर कि उन्हें इस संबंध में कुछ नहीं कहना है, उनके विरुद्ध एक पक्षीय आदेश पारित कर दिया जाएगा.

अभ्यर्थी **श्रीमती मक्खो कुशवाह/नन्हेंसिंह** को नोटिस दिनांक 27 दिसम्बर 2008 को तामील कराया गया. अत: उनको दिनांक 11 जनवरी 2009 तक अभ्यावेदन प्रस्तुत करना था. अभ्यर्थी ने नोटिस तामीली उपरांत दिनांक 31 दिसम्बर 2010 को एक अभ्यावेदन प्रस्तुत किया जिसमें विलम्ब का कारण स्वयं की अस्वस्थता बतलाया एवं लेखे प्रस्तुत किए. उक्त लेखे एवं अभ्यावेदन अभिमत हेतु कलेक्टर **शिवपुरी** को दिनांक 6 जनवरी 2011 को प्रेषित किये गये. कलेक्टर एवं जिला निर्वाचन अधिकारी **जिला शिवपुरी** से प्राप्त प्रतिवेदन क्रमांक पत्र क्रमांक स्था.निर्वा./न.पा.आ.नि.-2007-798, दिनांक 25 जनवरी 2011 के द्वारा लेख किया है कि अभ्यर्थी **श्रीमती मक्खो कुशवाह/नन्हेंसिंह** द्वारा निर्धारित समय-सीमा में व्यय लेखा प्रस्तुत नहीं किया है एवं व्यय लेखा प्रस्तुत नहीं करने का कारण संतोषप्रद नहीं होने से स्वीकार किये जाने योग्य नहीं है.

आयोग द्वारा विचारोपरांत दिनांक 27 अप्रैल 2011 को व्यक्तिगत सुनवाई हेतु आयोग कार्यालय में बुलाया गया, किन्तु अभ्यर्थी **श्रीमती मक्खो कुशवाह/नन्हेंसिंह** आयोग कार्यालय में उपस्थित नहीं हुई. अभ्यर्थी द्वारा आयोग से इस संबंध में कोई पत्र व्यवहार भी नहीं किया गया. व्यक्तिगत सुनवाई की सूचना-पत्र की तामीली **श्रीमती मक्खो कुशवाह/नन्हेंसिंह** को विहित समयावधि में दिनांक 23 अप्रैल 2011 कराई गई. उपरोक्त विवेचना से स्पष्ट है कि **श्रीमती मक्खो कुशवाह/नन्हेंसिंह** द्वारा नियत समयावधि में निर्वाचन व्यय लेखा प्रस्तुत नहीं किया गया. अतः आयोग का यह समाधान हो गया है कि उनके पास निर्वाचन व्यय लेखा निर्धारित समयावधि में प्रस्तुत नहीं करने का कोई पर्याप्त एवं न्यायोचित कारण नहीं है.

अतः, मध्यप्रदेश नगरपालिका अधिनियम, 1961 की धारा 32-ग के उपबन्धों के अन्तर्गत **श्रीमती मक्खो कुशवाह/नन्हेंसिंह** को इस प्रकार चुने जाने के लिये तथा **नगर पंचायत नरवर, जिला शिवपुरी** का पार्षद या अध्यक्ष होने के लिये इस आदेश के तारीख से 05 (पांच) वर्ष की कालावधि के लिये निरर्हित (अयोग्य) घोषित किया जाता है.

मध्यप्रदेश राज्य निर्वाचन आयुक्त के आदेशानुसार,
हस्ता./-

(सुभाष जैन)
सचिव,
मध्यप्रदेश राज्य निर्वाचन आयोग, भोपाल.

आदेश

भोपाल, दिनांक 29 जून 2011

क्र. एफ. 67-5-08-तीन-1036.—मध्यप्रदेश नगरपालिका अधिनियम, 1961 की धारा 32-क के अनुसार अध्यक्ष के निर्वाचन में भाग लेने वाले प्रत्येक अभ्यर्थी के लिये यह अनिवार्य है कि वह निर्वाचन संबंधी उस समस्त व्यय का, जो उसने स्वयं या उसके निर्वाचन अभिकर्ता ने, नामनिर्दिष्ट होने की तारीख से निर्वाचन के परिणाम की घोषणा की तारीख की अवधि के बीच उपगत किया हो या उपगत करने के लिये प्राधिकृत किया हो, पृथक् और सही लेखा रखेगा या अपने निर्वाचन अभिकर्ता द्वारा रखवाएगा. मध्यप्रदेश नगरपालिका अधिनियम, 1961 की धारा 32-ख के अनुसार अध्यक्ष का निर्वाचन लड़ने वाले प्रत्येक अभ्यर्थी के लिये यह अनिवार्य है कि वह निर्वाचन की तारीख से 30 दिन के अन्दर अपने निर्वाचन व्ययों का लेखा राज्य निर्वाचन आयोग द्वारा अधिसूचित अधिकारी के पास दाखिल करेगा.

राज्य निर्वाचन आयोग द्वारा जारी ''निर्वाचन व्यय (लेखा संधारण और प्रस्तुति) आदेश, 1997'' ''मध्यप्रदेश राजपत्र (असाधारण)'', दिनांक 6 जून, 1997 में प्रकाशित हुआ है, उसमें यह निर्दिष्ट किया गया है कि निर्वाचन व्ययों का लेखा विहित अवधि में तथा विनिर्दिष्ट प्रोफार्मा में जिला निर्वाचन अधिकारी के पास दाखिल किया जाएगा.

माह दिसम्बर 2007 में सम्पन्न हुए **नगर पंचायत नरवर, जिला शिवपुरी** के आम निर्वाचन में **श्रीमती हेमाबाई कुशवाह/लक्ष्मणसिंह,** अध्यक्ष पद की अभ्यर्थी थीं. इस नगर पंचायत के निर्वाचन का परिणाम दिनांक 24 दिसम्बर 2007 को घोषित हुआ. मध्यप्रदेश नगरपालिका अधिनियम, 1961 की धारा 32-ख के अनुसार निर्वाचन परिणाम की घोषणा की तारीख से 30 दिन के अन्दर अर्थात् 23 जनवरी 2008 तक, **श्रीमती हेमाबाई कुशवाह/लक्ष्मणसिंह** को निर्वाचन व्ययों का लेखा जिला निर्वाचन अधिकारी, **शिवपुरी** के पास दाखिल किया जाना था, किन्तु कलेक्टर एवं जिला निर्वाचन अधिकारी, **शिवपुरी** के पत्र क्रमांक स्था.निर्वा.-न.पा.नि.-2007-394, दिनांक 29 फरवरी 2008 के द्वारा प्राप्त जानकारी अनुसार **श्रीमती हेमाबाई कुशवाह/लक्ष्मणसिंह** द्वारा विहित समय में निर्वाचन व्ययों का लेखा दाखिल नहीं किया गया.

विहित समयावधि में निर्वाचन व्यय का लेखा प्रस्तुत नहीं करने का प्रतिवेदन प्राप्त होने पर **श्रीमती हेमाबाई कुशवाह/लक्ष्मणसिंह** को कारण बताओ सूचना-पत्र क्र. एफ 67-5-2008-तीन-283, दिनांक 14 मार्च 2008 को जारी कर अपर कलेक्टर एवं उप जिला निर्वाचन अधिकारी, **शिवपुरी** के माध्यम से दिनांक 27 दिसम्बर 2008 को तामील कराया गया. कारण बताओ नोटिस में **श्रीमती हेमाबाई कुशवाह/लक्ष्मणसिंह** से जवाब (लिखित अभ्यावेदन) कारण बताओ सूचना के प्राप्त होने के 15 दिन के अन्दर चाहा गया था. नोटिस में सभी वैधानिक स्थिति बताते हुए यह भी अंकित किया गया था कि 15 दिन के अन्दर उत्तर प्राप्त न होने की स्थिति में यह माना जाकर कि उन्हें इस संबंध में कुछ नहीं कहना है, उनके विरुद्ध एक पक्षीय आदेश पारित कर दिया जाएगा.

अभ्यर्थी **श्रीमती हेमाबाई कुशवाह/लक्ष्मणसिंह** को नोटिस दिनांक 27 दिसम्बर 2008 को तामील कराया गया. अतः उनको दिनांक 11 जनवरी 2009 तक अभ्यावेदन प्रस्तुत करना था. कलेक्टर एवं जिला निर्वाचन अधिकारी जिला शिवपुरी से प्राप्त प्रतिवेदन क्रमांक पत्र क्रमांक स्था.निर्वा./न.पा.अ.नि.-2007-798, दिनांक 25 जनवरी 2011 के द्वारा लेख किया है अभ्यर्थी **श्रीमती हेमाबाई कुशवाह/लक्ष्मणसिंह** द्वारा निर्धारित समय-सीमा में व्यय लेखा प्रस्तुत नहीं किया है एवं व्यय लेखा प्रस्तुत नहीं करने का कारण संतोषप्रद नहीं होने से स्वीकार किये जाने योग्य नहीं है.

आयोग द्वारा विचारोपरांत दिनांक 18 मार्च 2011 को व्यक्तिगत सुनवाई हेतु आयोग कार्यालय में बुलाया गया, किन्तु अभ्यर्थी **श्रीमती हेमाबाई कुशवाह/लक्ष्मणसिंह** आयोग कार्यालय में उपस्थित नहीं हुई. अभ्यर्थी द्वारा सूचना-पत्र दिनांक 23 फरवरी 2011 के संदर्भ में अपना अभ्यावेदन दिनांक 11 मार्च 2011 के संलग्न व्यय लेखा

रजिस्टर आयोग को प्रस्तुत किया. अभ्यर्थी को एक बार फिर व्यक्तिगत सुनवाई हेतु दिनांक 27 अप्रैल 2011 को बुलाया, लेकिन अभ्यर्थी उक्त दिनांक को आयोग मे उपस्थित नहीं हुई हैं एवं आयोग से इस संबंध में कोई पत्र व्यवहार भी नहीं किया गया जबकि उक्त सूचना-पत्र की तामीली विहित समयावधि में दिनांक 23 अप्रैल 2011 को इनके पुत्र श्री पुरुषोत्तमसिंह पर तामील की गई.

उपरोक्त विवेचना से स्पष्ट है कि **श्रीमती हेमाबाई कुशवाह/ लक्ष्मणसिंह** द्वारा नियत समयावधि में निर्वाचन व्यय लेखा प्रस्तुत नहीं किया गया. अत: आयोग का यह समाधान हो गया है कि उनके पास निर्वाचन व्यय लेखा निर्धारित समयावधि में प्रस्तुत नहीं करने का कोई पर्याप्त एवं न्यायोचित कारण नहीं है.

अत:, मध्यप्रदेश नगरपालिका अधिनियम, 1961 की धारा 32-ग के उपबन्धों के अन्तर्गत **श्रीमती हेमाबाई कुशवाह/ लक्ष्मणसिंह** को इस प्रकार चुने जाने के लिये तथा **नगर पंचायत नरवर, जिला शिवपुरी** का पार्षद या अध्यक्ष होने के लिये इस आदेश के तारीख से 05 (पांच) वर्ष की कालावधि के लिये निरर्हित (अयोग्य) घोषित किया जाता है.

मध्यप्रदेश राज्य निर्वाचन आयुक्त के आदेशानुसार,
हस्ता./-

(सुभाष जैन)
सचिव,
मध्यप्रदेश राज्य निर्वाचन आयोग, भोपाल.

आदेश

भोपाल, दिनांक 29 जून 2011

क्र. एफ. 67-275-10-तीन-1038.—मध्यप्रदेश नगरपालिका अधिनियम, 1956 की धारा-14-क के अनुसार महापौर के निर्वाचन में भाग लेने वाले प्रत्येक अभ्यर्थी के लिये यह अनिवार्य है कि वह निर्वाचन संबंधी उस समस्त व्यय का, जो उसने स्वयं या उसके निर्वाचन अभिकर्ता ने, नामनिर्दिष्ट होने की तारीख से निर्वाचन के परिणाम की घोषणा की तारीख की अवधि के बीच उपगत किया हो या उपगत करने के लिये प्राधिकृत किया हो, पृथक् और सही लेखा रखेगा या अपने निर्वाचन अभिकर्ता द्वारा रखवाएगा. मध्यप्रदेश नगरपालिक निगम अधिनियम, 1956 की धारा 14-ख के अनुसार महापौर का निर्वाचन लड़ने वाले प्रत्येक अभ्यर्थी के लिये यह अनिवार्य है कि वह निर्वाचन की तारीख से 30 दिन के अन्दर अपने निर्वाचन व्ययों का लेखा राज्य निर्वाचन आयोग द्वारा अधिसूचित अधिकारी के पास दाखिल करेगा.

राज्य निर्वाचन आयोग द्वारा जारी "निर्वाचन व्यय (लेखा संधारण और प्रस्तुति) आदेश, 1997" "मध्यप्रदेश राजपत्र (असाधारण)", दिनांक 6 जून, 1997 में प्रकाशित हुआ है, उसमें यह निर्दिष्ट किया गया है कि निर्वाचन व्ययों का लेखा विहित अवधि में तथा विनिर्दिष्ट प्रोफार्मा में जिला निर्वाचन अधिकारी के पास दाखिल किया जाएगा.

माह जुलाई 2010 में सम्पन्न हुए **नगरपालिक निगम उज्जैन, जिला उज्जैन** के आम निर्वाचन में **श्री प्रभुलाल मालवीय** महापौर पद के अभ्यर्थी थे. इस नगरपालिका के निर्वाचन का परिणाम दिनांक 28 जुलाई 2010 को घोषित हुआ. मध्यप्रदेश नगरपालिक निगम अधिनियम, 1956 की धारा 14-ख के अनुसार निर्वाचन परिणाम की घोषणा की तारीख से 30 दिन के अन्दर 27 अगस्त 2010 तक, **श्री प्रभुलाल मालवीय** को निर्वाचन व्ययों का लेखा जिला निर्वाचन अधिकारी, **उज्जैन** के पास दाखिल करना था, किन्तु कलेक्टर एवं जिला निर्वाचन अधिकारी, **उज्जैन** के पत्र क्रमांक-स्था.निर्वा.-न.पा.नि.-10-2062, दिनांक 3 सितम्बर 2010 के द्वारा प्राप्त जानकारी अनुसार **श्री प्रभुलाल मालवीय** द्वारा विहित समय में निर्वाचन व्ययों का लेखा दाखिल नहीं किया गया.

विहित समयावधि में निर्वाचन व्यय का लेखा प्रस्तुत नहीं करने का प्रतिवेदन प्राप्त होने पर **श्री प्रभुलाल मालवीय,** को कारण बताओ सूचना पत्र क्र. एफ 67-275-2010-तीन-2716, दिनांक 5 अक्टूबर 2010 को जारी कर, उप जिला निर्वाचन अधिकारी उज्जैन के माध्यम से दिनांक 19 अक्टूबर 2010 को तामील कराया गया. कारण बताओ नोटिस में **श्री प्रभुलाल मालवीय** से जवाब (लिखित अभ्यावेदन) कारण बताओ सूचना के प्राप्त होने के 15 दिन के अन्दर चाहा गया था. नोटिस में सभी वैधानिक स्थिति बताते हुए यह भी अंकित किया गया था कि 15 दिन के अन्दर उत्तर प्राप्त न होने की स्थिति में यह माना जाकर, कि उन्हें इस संबंध में कुछ नहीं कहना है, उनके विरुद्ध एक पक्षीय आदेश पारित कर दिया जायेगा.

अभ्यर्थी **श्री प्रभूलाल मालवीय** नोटिस दिनांक 19 अक्टूबर 2010 को तामील कराया गया. अत: उनको दिनांक 3 नवम्बर 2010 तक अभ्यावेदन प्रस्तुत करना था. अभ्यर्थी द्वारा अपने अभ्यावेदन दिनांक 3 फरवरी 2011 में निर्वाचन संबंधी समस्त अभिलेख दिनांक 3 अगस्त 2010 को अर्चना मेडम को जमा करने का लेख किया, जिसकी जांच उप जिला निर्वाचन अधिकारी द्वारा संयुक्त संचालक, कोष लेखा एवं पेंशन उज्जैन संभाग से कराई जाकर प्रतिवेदित किया है कि **श्री मालवीय** द्वारा दिनांक 3 अगस्त 2010 को निर्वाचन व्यय लेखा का अवलोकन कराया जाकर छाया प्रतियां प्रस्तुत की गई, न कि मूल व्यय लेखा विहित रीति से आवश्यक शपथ-पत्रों के साथ प्रस्तुत किया गया है. चूंकि श्री मालवीय द्वारा आयोग को प्रेषित अभ्यावेदन के संबंध में उसकी सत्यता के समर्थन में किसी भी प्रकार का कोई अभिलेख/चिकित्सा प्रमाण-पत्र उनके कार्यालय मे प्रस्तुत नहीं किया गया है. अत: श्री मालवीय के कथन की पुष्टि नहीं होती है. श्री मालवीय अपना निर्वाचन व्यय लेखा विहित रीति से एवं निर्धारित समय पर प्रस्तुत करने में विफल रहें हैं.

आयोग द्वारा विचारोपरांत दिनांक 2 जून 2011 को व्यक्तिगत सुनवाई हेतु आयोग कार्यालय में बुलाया गया, व्यक्तिगत सुनवाई की सूचना-पत्र की तामीली **श्री प्रभुलाल मालवीय** को दिनांक 3 मई 2011 को कराई गई. अभ्यर्थी **श्री प्रभुलाल मालवीय** आयोग कार्यालय में उक्त दिवस को उपस्थित हुए. लेकिन व्यय लेखा विहित समयावधि में प्रस्तुत नहीं करने के संबंध में उनके द्वारा प्रस्तुत जवाब संतोषप्रद नहीं दिया गया ना ही कोई ठोस प्रमाण प्रस्तुत नहीं किया गया. उपरोक्त विवेचना से स्पष्ट है कि **श्री प्रभुलाल मालवीय** द्वारा नियत समयावधि में निर्वाचन व्यय का लेखा प्रस्तुत नहीं किया गया. अत: आयोग को यह समाधान हो गया है कि उनके पास निर्वाचन व्यय लेखा निर्धारित समयावधि में प्रस्तुत नहीं करने का कोई पर्याप्त एवं न्यायोचित कारण नहीं है.

अत:, मध्यप्रदेश नगरपालिक निगम अधिनियम, 1956 की धारा 14-ग के उपबन्धों के अन्तर्गत **श्री प्रभुलाल मालवीय** को इस प्रकार चुने जाने के लिये तथा **नगरपालिक निगम उज्जैन, जिला उज्जैन** का पार्षद या महापौर होने के लिए इस आदेश के तारीख से 05 (पांच) वर्ष की कालावधि के लिये निरर्हित (अयोग्य) घोषित किया जाता है.

मध्यप्रदेश राज्य निर्वाचन आयुक्त के आदेशानुसार,
हस्ता./-

(सुभाष जैन)
सचिव,
मध्यप्रदेश राज्य निर्वाचन आयोग, भोपाल.

आदेश

भोपाल, दिनांक 29 जून 2011

क्र. एफ. 67-275-10-तीन-1039.—मध्यप्रदेश नगरपालिक निगम अधिनियम, 1956 की धारा-14-क के अनुसार महापौर के निर्वाचन में भाग लेने वाले प्रत्येक अभ्यर्थी के लिये यह अनिवार्य है कि वह निर्वाचन संबंधी उस समस्त व्यय का, जो उसने स्वयं या उसके निर्वाचन अभिकर्ता ने, नामनिर्दिष्ट होने की तारीख से निर्वाचन के परिणाम की घोषणा की तारीख की अवधि के बीच उपगत किया हो या उपगत करने के लिये प्राधिकृत किया हो, पृथक् और सही लेखा रखेगा या अपने निर्वाचन अभिकर्ता द्वारा रखवाएगा. मध्यप्रदेश नगरपालिक निगम अधिनियम, 1956 की धारा 14-ख के अनुसार महापौर का निर्वाचन लड़ने वाले प्रत्येक अभ्यर्थी के लिये यह अनिवार्य है कि वह निर्वाचन की तारीख से 30 दिन के अन्दर अपने निर्वाचन व्ययों का लेखा राज्य निर्वाचन आयोग द्वारा अधिसूचित अधिकारी के पास दाखिल करेगा.

राज्य निर्वाचन आयोग द्वारा जारी ''निर्वाचन व्यय (लेखा संधारण और प्रस्तुति) आदेश, 1997'' ''मध्यप्रदेश राजपत्र (असाधारण)'', दिनांक 6 जून, 1997 में प्रकाशित हुआ है, उसमें यह निर्दिष्ट किया गया है कि निर्वाचन व्ययों का लेखा विहित अवधि में तथा विनिर्दिष्ट प्रोफार्मा में जिला निर्वाचन अधिकारी के पास दाखिल किया जाएगा.

माह जुलाई 2010 में सम्पन्न हुए **नगरपालिक निगम उज्जैन, जिला उज्जैन** के आम निर्वाचन में **श्री पवन कुमार मालवीय,** महापौर पद के अभ्यर्थी थे. इस नगरपालिका के निर्वाचन का परिणाम दिनांक 28 जुलाई 2010 को घोषित हुआ. मध्यप्रदेश नगरपालिक निगम अधिनियम, 1956 की धारा 14-ख के अनुसार निर्वाचन परिणाम की घोषणा की तारीख से 30 दिन के अन्दर दिनांक 27 अगस्त 2010 तक, **श्री पवन कुमार मालवीय** को निर्वाचन व्ययों का लेखा जिला निर्वाचन अधिकारी, **उज्जैन** के पास दाखिल करना था, किन्तु कलेक्टर एवं जिला निर्वाचन अधिकारी, **उज्जैन** के पत्र क्रमांक-स्था.निर्वा.-न.पा.नि.-10-लेखा-2062, दिनांक 3 सितम्बर 2010 के द्वारा प्राप्त जानकारी अनुसार **श्री पवन कुमार मालवीय** द्वारा विहित समय में निर्वाचन व्ययों का लेखा दाखिल नहीं किया गया.

विहित समयावधि में निर्वाचन व्यय का लेखा प्रस्तुत नहीं करने का प्रतिवेदन प्राप्त होने पर **श्री पवन कुमार मालवीय,** को कारण बताओ सूचना पत्र क्र. एफ-67-275-2010-तीन-2715, दिनांक 5 अक्टूबर 2010 को जारी कर, उप जिला निर्वाचन अधिकारी उज्जैन के माध्यम से दिनांक 19 अक्टूबर 2010 को तामील कराया गया. कारण बताओ नोटिस में **श्री पवन कुमार मालवीय,** से जवाब (लिखित अभ्यावेदन) कारण बताओ सूचना के प्राप्त होने के 15 दिन के अन्दर चाहा गया था. नोटिस में सभी वैधानिक स्थिति बताते हुए यह भी अंकित किया गया था कि 15 दिन के अन्दर उत्तर प्राप्त न होने की स्थिति में यह माना जाकर, कि उन्हें इस संबंध में कुछ नहीं कहना है, उनके विरुद्ध एक पक्षीय आदेश पारित कर दिया जायेगा.

अभ्यर्थी **श्री पवन कुमार मालवीय** को नोटिस दिनांक 19 अक्टूबर 2010 को तामील कराया गया. अत: उनको दिनांक 3 नवम्बर 2010 तक अभ्यावेदन प्रस्तुत करना था. उप जिला निर्वाचन अधिकारी उज्जैन से प्राप्त प्रतिवेदन दिनांक 15 एवं 27 नवम्बर 2010 द्वारा अभिमत प्रेषित किया कि उक्त अभ्यर्थी द्वारा नोटिस प्राप्ति के 15 दिवस की अवधि बीत जाने के पश्चात् प्रतिवेदन दिनांक तक उनके कार्यालय में न तो निर्वाचन व्यय लेखा प्रस्तुत किया गया है और न ही किसी प्रकार का अभ्यावेदन प्रस्तुत किया गया है.

आयोग द्वारा विचारोपरांत दिनांक 2 जून 2011 को व्यक्तिगत सुनवाई हेतु आयोग कार्यालय में बुलाया गया, व्यक्तिगत सुनवाई की सूचना-पत्र की तामीली **श्री पवन कुमार मालवीय** को दिनांक 3 मई 2011 को कराई गई. अभ्यर्थी **श्री पवन कुमार मालवीय** आयोग कार्यालय में उपस्थित हुए. लेकिन व्यय लेखा विहित समयावधि में प्रस्तुत नहीं करने के संबंध में उनके द्वारा प्रस्तुत जवाब संतोषप्रद नहीं दिया गया ना ही कोई ठोस प्रमाण प्रस्तुत नहीं किया गया. उपरोक्त विवेचना से स्पष्ट है कि **श्री पवन कुमार मालवीय** द्वारा नियत समयावधि में निर्वाचन व्यय लेखा प्रस्तुत नहीं किया गया. अत: आयोग को यह समाधान हो गया है कि उनके पास निर्वाचन व्यय लेखा निर्धारित समयावधि में प्रस्तुत नहीं करने का कोई पर्याप्त एवं न्यायोचित कारण नहीं है.

अतः, मध्यप्रदेश नगरपालिक निगम अधिनियम, 1956 की धारा 14-ग के उपबन्धों के अन्तर्गत **श्री पवन कुमार मालवीय** को इस प्रकार चुने जाने के लिये तथा **नगरपालिक निगम उज्जैन, जिला उज्जैन** का पार्षद या महापौर होने के लिए इस आदेश के तारीख से 05 (पांच) वर्ष की कालावधि के लिये निरर्हित (अयोग्य) घोषित किया जाता है.

मध्यप्रदेश राज्य निर्वाचन आयुक्त के आदेशानुसार,

हस्ता./-

(सुभाष जैन)
सचिव,
मध्यप्रदेश राज्य निर्वाचन आयोग, भोपाल.

आदेश

भोपाल, दिनांक 29 जून 2011

क्र. एफ. 67-275-10-तीन-1040.—मध्यप्रदेश नगरपालिक अधिनियम, 1956 की धारा-14-क के अनुसार महापौर के निर्वाचन में भाग लेने वाले प्रत्येक अभ्यर्थी के लिये यह अनिवार्य है कि वह निर्वाचन संबंधी उस समस्त व्यय का, जो उसने स्वयं या उसके निर्वाचन अभिकर्ता ने, नामनिर्दिष्ट होने की तारीख से निर्वाचन के परिणाम की घोषणा की तारीख की अवधि के बीच उपगत किया हो या उपगत करने के लिये प्राधिकृत किया हो, पृथक् और सही लेखा रखेगा या अपने निर्वाचन अभिकर्ता द्वारा रखवाएगा. मध्यप्रदेश नगरपालिक निगम अधिनियम, 1956 की धारा 14-ख के अनुसार महापौर का निर्वाचन लड़ने वाले प्रत्येक अभ्यर्थी के लिये यह अनिवार्य है कि वह निर्वाचन की तारीख से 30 दिन के अन्दर अपने निर्वाचन व्ययों का लेखा राज्य निर्वाचन आयोग द्वारा अधिसूचित अधिकारी के पास दाखिल करेगा.

राज्य निर्वाचन आयोग द्वारा जारी ''निर्वाचन व्यय (लेखा संधारण और प्रस्तुति) आदेश, 1997'' ''मध्यप्रदेश राजपत्र (असाधारण)'', दिनांक 6 जून, 1997 में प्रकाशित हुआ है, उसमें यह निर्दिष्ट किया गया है कि निर्वाचन व्ययों का लेखा विहित अवधि में तथा विनिर्दिष्ट प्रोफार्मा में जिला निर्वाचन अधिकारी के पास दाखिल किया जाएगा.

माह जुलाई 2010 में सम्पन्न हुए **नगरपालिक निगम उज्जैन, जिला उज्जैन** के आम निर्वाचन में **श्री बालमुकुन्द हिरवे,** महापौर पद के अभ्यर्थी थे. इस नगरपालिका के निर्वाचन का परिणाम दिनांक 28 जुलाई 2010 को घोषित हुआ. मध्यप्रदेश नगरपालिक निगम अधिनियम, 1956 की धारा 14-ख के अनुसार निर्वाचन परिणाम की घोषणा की तारीख से 30 दिन के अन्दर दिनांक 27 अगस्त 2010 तक, **श्री बालमुकुन्द हिरवे** को निर्वाचन व्ययों का लेखा जिला निर्वाचन अधिकारी, **उज्जैन** के पास दाखिल करना था, किन्तु कलेक्टर एवं जिला निर्वाचन अधिकारी, **उज्जैन** के पत्र क्रमांक-स्था.निर्वा.-न.पा.नि.-10-लेखा-2062, दिनांक 3 सितम्बर 2010 के द्वारा प्राप्त जानकारी अनुसार **श्री बालमुकुन्द हिरवे** द्वारा विहित समय में निर्वाचन व्ययों का लेखा दाखिल नहीं किया गया.

विहित समयावधि में निर्वाचन व्यय का लेखा प्रस्तुत नहीं करने का प्रतिवेदन प्राप्त होने पर **श्री बालमुकुन्द हिरवे** को कारण बताओ सूचना पत्र क्र. एफ-67-275-2010-तीन-2717, दिनांक 5 अक्टूबर 2010 को जारी कर, उप जिला निर्वाचन अधिकारी उज्जैन के माध्यम से दिनांक 19 अक्टूबर 2010 को तामील कराया गया. कारण बताओ नोटिस में **श्री बालमुकुन्द हिरवे** से जवाब (लिखित अभ्यावेदन) कारण बताओ सूचना के प्राप्त होने के 15 दिन के अन्दर चाहा गया था. नोटिस में सभी वैधानिक स्थिति बताते हुए यह भी अंकित किया गया था कि 15 दिन के अन्दर उत्तर प्राप्त न होने की स्थिति में यह माना जाकर, कि उन्हें इस संबंध में कुछ नहीं कहना है, उनके विरुद्ध एक पक्षीय आदेश पारित कर दिया जायेगा.

अभ्यर्थी **श्री बालमुकुन्द हिरवे,** को नोटिस दिनांक 19 अक्टूबर 2010 को तामील कराया गया. अतः उनको दिनांक 3 नवम्बर 2010 तक अभ्यावेदन प्रस्तुत करना था. नोटिस की तामीली उपरांत उप जिला निर्वाचन अधिकारी उज्जैन से प्राप्त प्रतिवेदन दिनांक 15 एवं 27 नवम्बर 2010 द्वारा अभिमत प्रेषित किया कि उक्त अभ्यर्थी द्वारा नोटिस प्राप्ति के 15 दिवस की अवधि बीत जाने के पश्चात् प्रतिवेदन दिनांक तक उनके कार्यालय में न तो निर्वाचन व्यय लेखा प्रस्तुत किया गया है और न ही किसी प्रकार का अभ्यावेदन प्रस्तुत किया गया है.

आयोग द्वारा विचारोपरांत दिनांक 2 जून 2011 को व्यक्तिगत सुनवाई हेतु आयोग कार्यालय में बुलाया गया, किन्तु अभ्यर्थी **श्री बालमुकुन्द हिरवे** आयोग कार्यालय में उपस्थित नहीं हुए. व्यक्तिगत सुनवाई की सूचना-पत्र की तामीली **श्री बालमुकुन्द हिरवे** को दिनांक 3 मई 2011 को कराई गई. उपरोक्त विवेचना से स्पष्ट है कि **श्री बालमुकुन्द हिरवे** द्वारा नियत समयावधि में निर्वाचन व्यय लेखा प्रस्तुत नहीं किया गया. अतः आयोग को यह समाधान हो गया है कि उनके पास निर्वाचन व्यय लेखा निर्धारित समयावधि में प्रस्तुत नहीं करने का कोई पर्याप्त एवं न्यायोचित कारण नहीं है.

अतः, मध्यप्रदेश नगरपालिक निगम अधिनियम, 1956 की धारा 14-ग के उपबन्धों के अन्तर्गत **श्री बालमुकुन्द हिरवे,** को इस प्रकार चुने जाने के लिये तथा **नगरपालिक निगम उज्जैन, जिला उज्जैन** का पार्षद या महापौर होने के लिए इस आदेश के तारीख से 05 (पांच) वर्ष की कालावधि के लिये निरर्हित (अयोग्य) घोषित किया जाता है.

मध्यप्रदेश राज्य निर्वाचन आयुक्त के आदेशानुसार,

हस्ता./-

(सुभाष जैन)
सचिव,
मध्यप्रदेश राज्य निर्वाचन आयोग, भोपाल.

राज्य शासन के आदेश

गृह (सामान्य) विभाग

मंत्रालय, वल्लभ भवन, भोपाल

(विभागीय परीक्षा प्रकोष्ठ)

भोपाल, दिनांक 22 जून 2011

क्र. एफ. 3-43-2011-दो-ए(3).—इस विभाग की समसंख्यक विभागीय परीक्षा की सूचना तथा कार्यक्रम दिनांक 9 जून 2011 में आंशिक निम्नलिखित संशोधन किया जाता है :—

"बुधवार, दिनांक 27 जुलाई 2011 को आयोजित विभागीय परीक्षा के तृतीय प्रश्नपत्र-प्रशासनिक, राजस्व, विधि तथा प्रक्रिया-राजस्व के मामले में आदेश का लिखा जाना-सामान्य प्रशासन, राजस्व, भू-अभिलेख विभाग के अधिकारियों के लिये, जो कि प्रात: 10.00 बजे से दोपहर 01.00 बजे तक निर्धारित है,

के स्थान पर

अब यह प्रश्नपत्र सोमवार, दिनांक 8 अगस्त, 2011 को प्रात: 10.00 बजे से दोपहर 01.00 बजे तक मसूरी स्थित राष्ट्रीय प्रशासन अकादमी सहित प्रदेश के समस्त संभागीय आयुक्तों द्वारा आयोजित की जावेगी.".

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
अम्बरीश श्रीवास्तव, उपसचिव.

भोपाल, दिनांक 9 जून 2011

विभागीय परीक्षा की सूचना तथा कार्यक्रम

क्र. एफ. 3-43-2011-दो-ए(3).—प्रदेश के सभी अधिकारी जिनकी विभागीय परीक्षा उनके विभागों द्वारा निर्धारित की गई हो, के लिये विभागीय परीक्षाएं दिनांक 25 जुलाई 2011 से आयुक्त, जबलपुर, रीवा, भोपाल, सागर, ग्वालियर, उज्जैन, इन्दौर, होशंगाबाद एवं शहडोल द्वारा निर्धारित स्थानों में निम्नांकित कार्यक्रमों के अनुसार होंगी:—

प्रश्न पत्र (1)	प्रश्न पत्र का विषय (2)	समय (3)
	सोमवार, दिनांक 25 जुलाई 2011	
1.	पहला प्रश्नपत्र-दांडिक विधि तथा प्रक्रिया (पुस्तकों सहित)पुलिस, सामान्य प्रशासन, राजस्व व भू-अभिलेख विभाग के अधिकारियों के लिये.	प्रात: 10.00 बजे से दोपहर 1.00 बजे तक.
2.	पंजीयन विधि तथा प्रक्रिया-पंजीयन विभाग के अधिकारियों के लिये (केवल अधिनियम तथा नियमों की पुस्तकों सहित).	
3.	विधि तथा प्रक्रिया-उत्पाद शुल्क विभाग के अधिकारियों के लिये (पुस्तकों सहित)	
4.	विधि तथा प्रक्रिया-वाणिज्यिक कर विभाग के अधिकारियों के लिये (केवल नियमों की पुस्तकों सहित).	
5.	पहला प्रश्नपत्र-सहकारिता सामान्य (बिना पुस्तकों के) सहकारी संस्थाओं के सहायक पंजीयकों के लिये.	

(1)	(2)	(3)
59.	विद्युत् संबंधी विधियां-ऊर्जा विभाग के अधिकारियों के लिये.	प्रात: 10.00 बजे से दोपहर 1.00 बजे तक.
6.	दूसरा प्रश्नपत्र-दांडिक विधि तथा प्रक्रिया दांडिक मामलों में आदेश/निर्णय का लिखा जाना पुलिस, सामान्य प्रशासन, भू-अभिलेख एवं राजस्व विभाग के अधिकारियों के लिये.	
7.	दूसरा प्रश्नपत्र-सहकारिता तथा सामान्य विधि (पुस्तकों सहित) सहकारी संस्थाओं के सहायक पंजीयकों के लिये.	दोपहर : 2.00 बजे से शाम 5.00 बजे तक.
8.	समाज कल्याण (बिना पुस्तकों के) पंचायत एवं सामाजिक न्याय विभाग के अधिकारियों के लिये.	
60.	भू-योजना तथा विद्युत् सुरक्षा-ऊर्जा विभाग के सहायक यंत्री, कनिष्ठ यंत्री एवं पर्यवेक्षकों के लिये.	
	मंगलवार, दिनांक 26 जुलाई 2011	
9.	पहला प्रश्नपत्र-प्रशासनिक, राजस्व, विधि तथा प्रक्रिया (बिना पुस्तकों के) भाग-ए, आदिम जाति कल्याण विभाग के अधिकारियों के लिये.	
10.	पहला प्रश्नपत्र-प्रशासनिक राजस्व, विधि तथा प्रक्रिया (बिना पुस्तकों के) सामान्य प्रशासन, राजस्व, भू-अभिलेख एवं आदिम जाति कल्याण विभाग के अधिकारियों के लिये-भाग-बी.	
11.	पहला प्रश्नपत्र-प्रशासनिक, राजस्व, विधि तथा प्रक्रिया (बिना पुस्तकों के) सामान्य प्रशासन, राजस्व, भू-अभिलेख एवं आदिम जाति कल्याण विभाग के अधिकारियों के लिये-भाग-सी.	प्रात: 10.00 बजे से दोपहर 1.00 बजे तक.
12.	उद्योग विभाग संबंधी अधिनियम तथा नियम-उद्योग विभाग के अधिकारियों के लिये (पुस्तकों सहित).	
13.	प्रश्नपत्र-खनिज प्रबंध (पुस्तकों सहित) खनिज साधन विभाग के अधिकारियों के लिये.	
14.	लेखा तथा कार्यालयीन प्रक्रिया-प्रथम प्रश्नपत्र-पंजीयन विभाग के अधिकारियों के लिये (बिना पुस्तकों के).	
61.	विद्युत् संस्थापनाएं-ऊर्जा विभाग के सहायक यंत्री, कनिष्ठ यंत्री एवं पर्यवेक्षकों के लिये.	
15.	दूसरा प्रश्नपत्र-प्रशासनिक, राजस्व, विधि तथा प्रक्रिया (पुस्तकों सहित) सामान्य प्रशासन, राजस्व, भू-अभिलेख एवं आदिम जाति कल्याण विभाग के अधिकारियों के लिये.	
16.	प्रक्रिया, विकास योजनाओं, राज्यों के साधनों, राज्य के नियम पुस्तिकाओं आदि का ज्ञान-उद्योग विभाग के अधिकारियों के लिये (पुस्तकों सहित).	
17.	तीसरा प्रश्नपत्र-बैंकिंग (बिना पुस्तकों के) सहकारी संस्थाओं के सहायक पंजीयकों के लिये.	दोपहर : 2.00 बजे से शाम 5.00 बजे तक.
18.	समाज शिक्षा (बिना पुस्तकों के) पंचायत एवं सामाजिक न्याय विभाग के अधिकारियों के लिये.	
19.	लेखा तथा कार्यालयीन प्रक्रिया-द्वितीय प्रश्नपत्र पंजीयन विभाग के अधिकारियों के लिये (पुस्तकों सहित).	

(1)	(2)	(3)
62.	लेखा व स्थापना-ऊर्जा विभाग के सहायक यंत्री, कनिष्ठ यंत्री एवं पर्यवेक्षकों के लिये.	दोपहर : 2.00 बजे से शाम 5.00 बजे तक.
	बुधवार, दिनांक 27 जुलाई 2011	
20.	तीसरा प्रश्नपत्र-प्रशासनिक, राजस्व, विधि तथा प्रक्रिया-राजस्व के मामले में आदेश का लिखा जाना सामान्य प्रशासन, राजस्व, भू-अभिलेख विभाग के अधिकारियों के लिये.	
21.	पुस्तपालन तथा कर निर्धारण-विक्रयकर विभाग के अधिकारियों के लिये. (पुस्तकों सहित).	प्रात: 10.00 बजे से दोपहर 1.00 बजे तक.
22.	प्रश्नपत्र-प्रथम वन विधि (बिना पुस्तकों के) सहायक वन संरक्षकों के लिये.	
23.	पहला प्रश्नपत्र-प्रक्रिया (बिना पुस्तकों के) वन क्षेत्रपालों के लिये.	
24.	पुलिस अधिकारियों की ''व्यवहारिक परीक्षा''.	
63.	स्विच गेयर तथा संरक्षण, ऊर्जा विभाग के सहायक यंत्रियों के लिये.	
25.	कार्यालयीन संगठन तथा प्रक्रिया-वाणिज्यिक कर विभाग के अधिकारियों के लिये.	
26.	सिविल विधि तथा प्रक्रिया (पुस्तकों सहित) राजस्व एवं भू-अभिलेख विभाग के अधिकारियों के लिये.	
27.	पुलिस अधिकारियों की ''पुलिस शाखा'' प्रश्नपत्र (बिना पुस्तकों के).	
28.	दूसरा प्रश्नपत्र-सामान्य विधि (पुस्तकों सहित) सहायक वन संरक्षकों के लिये.	
29.	तीसरा प्रश्नपत्र-सामान्य विधि (पुस्तकों सहित) वन क्षेत्रपालों के लिये.	दोपहर : 2.00 बजे से शाम 5.00 बजे तक.
30.	स्थानीय शासन अधिनियम तथा नियम (बिना पुस्तकों के) पंचायत एवं सामाजिक न्याय विभाग के अधिकारियों के लिये.	
31.	चौथा प्रश्नपत्र-सहकारी लेखा तथा परीक्षण (बिना पुस्तकों के) भाग-1, लेखा तथा भाग-2 सहकारिता लेखा परीक्षण, सहकारी संस्थाओं के सहायक पंजीयकों के लिये.	
32.	समाज शास्त्र (पुस्तकों सहित) आदिम जाति कल्याण विभाग के अधिकारियों के लिये.	
64.	विद्युत् रोधन समन्वय तथा परिसंकट ग्रस्त क्षेत्र (इंसूलेशन को-आर्डिनेशन व हजार्ड्स एरिया) ऊर्जा विभाग के सहायक यंत्री (वि./सु.) के लिये.	
	गुरूवार, दिनांक 28 जुलाई 2011	
33.	प्रथम प्रश्नपत्र लेखा (बिना पुस्तकों के) सहायक कलेक्टरों, डिप्टी कलेक्टर, तहसीलदारों, नायब तहसीलदारों तथा राजस्व एवं भू-अभिलेख विभाग के अधिकारियों के लिये.	
34.	प्रथम प्रश्नपत्र-लेखा (बिना पुस्तकों के) आदिम जाति कल्याण विभाग के अधिकारियों के लिये.	प्रात: 10.00 बजे से दोपहर 1.00 बजे तक.
35.	प्रथम प्रश्नपत्र-लेखा (बिना पुस्तकों के) पंचायत एवं सामाजिक न्याय विभाग के अधिकारियों के लिये.	

(1)	(2)	(3)
36.	प्रश्नपत्र न्यायिक शाखा (बिना पुस्तकों के) पुलिस विभाग अधिकारियों के लिये.	
37.	लेखा (पुस्तकों सहित) उत्पाद शुल्क विभाग के अधिकारियों के लिये.	
38.	लेखा (पुस्तकों सहित) आर्थिक एवं सांख्यिकी विभाग के अधिकारियों के लिये.	
39.	लेखा (पुस्तकों सहित) उद्योग विभाग के अधिकारियों के लिये.	प्रात: 10.00 बजे से दोपहर 1.00 बजे तक.
40.	लेखा (पुस्तकों सहित) खनिज साधन विभाग के अधिकारियों के लिये.	
41.	लेखा (पुस्तकों सहित) जनसंपर्क विभाग के अधिकारियों के लिये.	
66.	प्रथम प्रश्न पत्र-लेखा (बिना पुस्तकों के) महिला एवं बाल विकास विभाग के अधिकारियों के लिये.	
42.	द्वितीय प्रश्नपत्र-लेखा (पुस्तकों सहित) डिप्टी कलेक्टरों, तहसीलदारों, नायब तहसीलदारों तथा राजस्व एवं भू-अभिलेख विभाग के अधिकारियों के लिये.	
43.	द्वितीय प्रश्नपत्र-लेखा (पुस्तकों सहित) आदिम जाति कल्याण विभाग के अधिकारियों के लिये.	दोपहर : 2.00 बजे से शाम 5.00 बजे तक.
44.	द्वितीय प्रश्नपत्र-लेखा (पुस्तकों सहित) पंचायत एवं सामाजिक न्याय विभाग के अधिकारियों के लिये.	
67	द्वितीय प्रश्नपत्र-लेखा (पुस्तकों सहित) महिला एवं बाल विकास विभाग के अधिकारियों के लिये.	
	शुक्रवार, दिनांक 29 जुलाई 2011	
45.	सिविल पशु चिकित्सा सेवा विभाग के अधिकारियों के लिये लेखा प्रश्नपत्र भाग-1 (बिना पुस्तकों के) पशु चिकित्सा सेवा विभाग के अधिकारियों के लिये.	प्रात: 10.00 बजे से दोपहर 11.00 बजे तक.
46.	प्रथम प्रश्नपत्र-लेखा के भाग-1 मत्स्यपालन विभाग के अधिकारियों के लिये (बिना पुस्तकों के).	
47.	प्रश्नपत्र-लेखा (पुस्तकों सहित) कृषि सेवा कार्यपालन प्रथम, द्वितीय एवं तृतीय श्रेणी अधिकारियों के लिये.	
48.	प्रथम प्रश्नपत्र-विधि तथा प्रक्रिया (बिना पुस्तकों के) डेयरी विकास विभाग के अधिकारियों के लिये.	
49.	प्रश्नपत्र-द्वितीय मध्यप्रदेश मूलभूत तथ्य और ग्रामीण विकास जनसंपर्क विभाग के अधिकारियों के लिये. (पुस्तकों सहित).	प्रात: 10.00 बजे से दोपहर 1.00 बजे तक.
50.	द्वितीय प्रश्नपत्र-लेखा (बिना पुस्तकों के) वन क्षेत्रपालों के लिये.	
65.	पंचायत राज्य प्रशासन विधि तथा प्रक्रिया सामान्य प्रशासन, राजस्व, भू-अभिलेख, पंचायत एवं ग्रामीण विकास व अनुसूचित जनजाति कल्याण विभाग के अधिकारियों के लिये.	
68	तृतीय प्रश्नपत्र-महिला एवं बाल कल्याण-महिला एवं बाल विकास विभाग के अधिकारियों के लिये.	
51.	सिविल पशु चिकित्सा सेवा विभाग के अधिकारियों के लिये प्रश्नपत्र लेखा भाग-2 (पुस्तकों सहित), पशु चिकित्सा सेवा विभाग के अधिकारियों के लिये.	दोपहर : 2.00 बजे से शाम 4.00 बजे तक.
52.	प्रश्नपत्र लेखा भाग-2 मत्स्यपालन विभाग के अधिकारियों के लिये.	

(1)	(2)	(3)
53.	सहकारी संस्थाओं के सहायक पंजीयकों के लिये किसी मामलों में आदेश या प्रतिवेदन लिखने की व्यवहारिक परीक्षा (पुस्तकों सहित).	
54.	तृतीय प्रश्नपत्र-प्रक्रिया तथा लेखा (पुस्तकों सहित) सहायक वन संरक्षकों के लिये.	
55.	द्वितीय प्रश्नपत्र-लेखा (बिना पुस्तकों के) कृषि सेवा कार्यपालन प्रथम, द्वितीय तथा तृतीय श्रेणी के अधिकारियों के लिये.	दोपहर : 2.00 बजे से शाम 5.00 बजे तक.
56.	द्वितीय प्रश्नपत्र-लेखा तथा प्रक्रिया (पुस्तकों सहित) डेयरी विकास विभाग के अधिकारियों के लिये.	
57.	प्रश्नपत्र-तृतीय अनुसूचित जाति तथा आदिम जाति विकास-जनसम्पर्क विभाग के अधिकारियों के लिये (पुस्तकों सहित)	
69.	चतुर्थ प्रश्नपत्र-पोषण एवं स्वास्थ्य शिक्षा-महिला एवं बाल विकास विभाग के अधिकारियों के लिये.	
	शनिवार, दिनांक 30 जुलाई 2011	
58.	हिन्दी निबंध तथा हिन्दी से अंग्रेजी में अनुवाद सभी विभागों के अधिकारियों के लिये.	प्रातः 10.00 बजे से दोपहर 12.00 बजे तक.

नोट:—(1) सहायक कलेक्टरों, डिप्टी कलेक्टरों, राज्य के अधीनस्थ सिविल सेवाओं के सदस्यों, भू-अभिलेख कर्मचारियों तथा कलेक्टरों और संभागीय आयुक्तों के कार्यालय के अधीक्षकों को सूचित किया जावे कि परीक्षा गृह विभाग द्वारा नये संशोधन नियमों के अन्तर्गत प्रसारित अधिसूचना क्रमांक एफ-3-54-98-दो-ए(3), दिनांक 19 मार्च 1999 एवं एफ-3-102-90-दो-ए(3), दिनांक 8 मई 1991 के पाठ्यक्रम के अनुसार होगी. नये नियमों के अन्तर्गत पंचायत राज प्रशासन विधि तथा प्रक्रिया से संबंधित प्रश्नपत्र भी अनिवार्य रूप से रखा गया है.

(2) उम्मीदवारों को सूचित किया जावे कि जिन प्रश्नपत्रों में पुस्तकों की सहायता ली जाना है, उन्हें विभागीय परीक्षा के लिये कलेक्टर कार्यालय से पुस्तकें नहीं दी जावेंगी, उन्हें अपनी स्वयं की पुस्तकें ले जाना होंगी.

(3) सभी संबंधित विभागों के अधिकारियों को जो परीक्षा में सम्मिलित होने के इच्छुक हों, अपने नाम उचित मार्ग द्वारा सीधे अपने विभागाध्यक्षों को भेजना चाहिए. परीक्षार्थी राजपत्रित/अराजपत्रित हैं, का स्पष्ट उल्लेख आवेदन-पत्र में भरें.

(4) सामान्य प्रशासन विभाग (अनुसूचित जाति आदिवासी सेल के) ज्ञापन क्रमांक 1-15-77-1-अ.स.- जनजाति सेवा, दिनांक 15 फरवरी 1978 के अनुसार विभागीय परीक्षाओं में अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजातियों के उम्मीदवारों को उत्तीर्ण होने के लिये 10 प्रतिशत अंकों तक छूट दी जाती है. ये छूट अखिल भारतीय सेवा से संबंधित परीक्षार्थियों पर लागू नहीं होगी परीक्षार्थी तत्संबंधी में अपना प्रमाण-पत्र अपने विभागाध्यक्षों/कलेक्टरों को प्रस्तुत करेंगे. इन प्रमाण-पत्रों को गृह (सामान्य) विभाग विभागीय परीक्षा प्रकोष्ठ को नहीं भेजा जावे. संबंधित विभागाध्यक्षों/कलेक्टर परीक्षा में भाग लेने वाले व्यक्तियों की सूची के साथ अनुसूचित जाति/ जनजाति संबंधी प्रमाण-पत्र संबंधित परीक्षा केन्द्रों के आयुक्तों को दिनांक 10 जुलाई 2011 तक भेजेंगे. जिन परीक्षार्थियों द्वारा प्रमाण-पत्र विभागाध्यक्षों के माध्यम से आयुक्तों को प्रस्तुत नहीं किये जावेंगे, उन्हें इस प्रकार की सुविधा प्राप्त नहीं होगी. ये प्रमाण-पत्र आयुक्त कार्यालय में रखे जावेंगे.

(5) माह जुलाई, 2011 में महिला एवं बाल विकास विभाग के अधिकारियों के लिये विभागीय परीक्षा के प्रश्नपत्रों क्रमशः क्रमांक 66, 67, 68 एवं 69 सम्मिलित किये गये हैं. अतः इन विषयों में सम्मिलित होने वाले इच्छुक अधिकारियों को भी परीक्षा में बैठने की अनुमति प्रदान करने का कष्ट करें एवं अन्य सभी निदेश पूर्व प्रचलित प्रथा अनुसार ही होंगे.

(6) परीक्षा केन्द्र आयुक्तों से निवेदन है कि परीक्षा में सम्मिलित जिन परीक्षार्थियों द्वारा अनुसूचित जाति/जनजाति के प्रमाण-पत्र उन्हें प्राप्त होंगे उनका उल्लेख शासन को भेजे जाने वाली सूची में अनिवार्य रूप से करें, इसके आधार पर ही उन्हें अंकों में छूट प्रदाय की जा सकेगी. कृपया स्पष्ट उल्लेख करें कि परीक्षार्थी सामान्य या अनुसूचित जाति/जनजाति से संबंधित है एस.सी/एस.टी. दर्शाकर कोष्ठक में (प्रमाण-पत्र प्रस्तुत नहीं किया) जैसा भ्रमित उल्लेख परीक्षार्थी वाली सूची में न किया जाय.

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,

एल. पी. जैन, अवर सचिव.

राज्य शासन के आदेश

राजस्व विभाग

कार्यालय, कलेक्टर, जिला दमोह, मध्यप्रदेश एवं पदेन अपर सचिव, मध्यप्रदेश शासन, राजस्व विभाग

दमोह, दिनांक 25 मई 2011

क्र. 7अ-82-भू.अ.अ.-2010-11.—चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने (1) से (4) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के खाने (6) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अत: भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक एक, सन् 1894) की धारा 4 की उपधारा (1) के उपबंधों के अनुसार इसके द्वारा, सभी संबंधित व्यक्तियों को इस आशय की सूचना दी जाती है. राज्य शासन, इसके द्वारा, अनुसूची के खाने (5) में उल्लिखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 4 की उपधारा (2) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिये प्राधिकृत करता है :—

अनुसूची

भूमि का वर्णन				धारा (4) की उपधारा (2) द्वारा प्राधिकृत अधिकारी	सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन
जिला	तहसील	ग्राम/नगर	क्षेत्रफल (हेक्टेयर में)		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
दमोह	हटा	हटा खास	40.55	कार्यपालन यंत्री पंचमनगर सर्वेक्षण संभाग हटा, जिला दमोह.	शक्तिसागर जलाशय योजना की निर्माण में आने वाली भूमि का अर्जन.
		खैजराखुर्द	10.76		
		मानपुरा	73.05		
		देवरीचौधरी	10.79		
		खैजरा उर्फ खालसा	19.12		
		छेवला भागीरथ	22.94		
		योग :	177.21		

(2) सार्वजनिक प्रयोजन के लिये भूमि की भूमि का नक्शा (प्लान) अनुविभागीय अधिकारी एवं भू-अर्जन अधिकारी उपखंड हटा एवं कार्यपालन यंत्री पंचमनगर सर्वेक्षण संभाग हटा, जिला दमोह के कार्यालय में देखा जा सकता है.

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
शिवानंद दुवे, कलेक्टर एवं पदेन अपर सचिव.

कार्यालय, कलेक्टर, जिला कटनी, मध्यप्रदेश एवं पदेन उपसचिव, मध्यप्रदेश शासन, राजस्व विभाग

कटनी, दिनांक 13 जून 2011

प्र.क्र. 3-अ-82-10-11-भू.अ.अ-2011.—चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने (1) से (4) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के खाने (6) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अत: भू-अर्जन अधिनियम, 1894 संशोधन 1984 (क्रमांक एक, सन् 1894) की धारा 4 की उपधारा (1) के उपबंधों के अनुसार, इसके द्वारा, सभी संबंधित व्यक्तियों को, इस आशय की सूचना दी जाती है. राज्य शासन, इसके द्वारा, अनुसूची के खाने

(5) में उल्लिखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 4 की उपधारा (2) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिये प्राधिकृत करता है :—

अनुसूची

भूमि का वर्णन				धारा 4 की उपधारा (2) के द्वारा प्राधिकृत अधिकारी	सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन
जिला	तहसील	ग्राम बन्दोबस्त प.ह.नं.	लगभग क्षेत्रफल अर्जित रकबा (हेक्टेयर में)		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
कटनी	विजयराघवगढ़	गैरतलाई, न.बं. 34, प.ह.नं. 33	3.17	महाप्रबंधक (कुटेश्वर) सेल/आर.एन.डी. कुटेश्वर चूना पत्थर खदान.	रेल्वे लाईन हेतु.
			योग : 3.17		

(2) भूमि का नक्शा (प्लान) भू-अर्जन अधिकारी, विजयराघवगढ़ के कार्यालय में देखा जा सकता है.

प्र.क्र. 4-अ-82-10-11-भू.अ.अ-2011.—चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने (1) से (4) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के खाने (6) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अत: भू-अर्जन अधिनियम, 1894 संशोधन 1984 (क्रमांक एक, सन् 1894) की धारा 4 की उपधारा (1) के उपबंधों के अनुसार, इसके द्वारा, सभी संबंधित व्यक्तियों को, इस आशय की सूचना दी जाती है. राज्य शासन, इसके द्वारा, अनुसूची के खाने (5) में उल्लिखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 4 की उपधारा (2) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिये प्राधिकृत करता है :—

अनुसूची

भूमि का वर्णन				धारा 4 की उपधारा (2) के द्वारा प्राधिकृत अधिकारी	सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन
जिला	तहसील	ग्राम बन्दोबस्त प.ह.नं.	लगभग क्षेत्रफल अर्जित रकबा (हेक्टेयर में)		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
कटनी	विजयराघवगढ़	कोनिया न.बं. 23, प.ह.नं. 32	5.03	महाप्रबंधक (कुटेश्वर) सेल/आर.एन.डी. कुटेश्वर चूना पत्थर खदान.	रेल्वे लाईन हेतु.
			योग : 5.03		

(2) भूमि का नक्शा (प्लान) भू-अर्जन अधिकारी, विजयराघवगढ़ के कार्यालय में देखा जा सकता है.

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
एम. सेलवेन्द्रन, कलेक्टर एवं पदेन उपसचिव.

कार्यालय, कलेक्टर, जिला खरगोन, मध्यप्रदेश एवं पदेन उपसचिव, मध्यप्रदेश शासन, राजस्व विभाग

खरगोन, दिनांक 21 जून 2011

क्र. 974-भू-अर्जन-2011.—चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने (1) से (4) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के खाने (6) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक एक, सन् 1894) की धारा 4 की उपधारा (1) के उपबंधों के अनुसार सभी संबंधित व्यक्तियों को, इसके द्वारा, इस आशय की सूचना दी जाती है. राज्य शासन, इसके द्वारा, अनुसूची के खाने (5) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 4 की उपधारा (2) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिये प्राधिकृत करता है :—

अनुसूची

भूमि का वर्णन				धारा 4 की उपधारा (2) के द्वारा प्राधिकृत अधिकारी	सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन
जिला	तहसील	ग्राम/नगर	लगभग क्षेत्रफल (हेक्टेयर में)		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
खरगोन	भीकनगांव	लखापुर	1.250	कार्यपालन यंत्री, जल संसाधन संभाग, खरगोन.	जेतगढ़ तालाब योजना के नहर निर्माण हेतु.

नोट.—भूमि का नक्शा (प्लान) कलेक्टर, जिला खरगोन, अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व) एवं भू-अर्जन अधिकारी, भीकनगांव एवं कार्यपालन यंत्री, जल संसाधन संभाग, खरगोन के कार्यालय में अवलोकन किया जा सकता है.

क्र. 975-भू-अर्जन-2011.—चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने (1) से (4) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के खाने (6) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक एक, सन् 1894) की धारा 4 की उपधारा (1) के उपबंधों के अनुसार सभी संबंधित व्यक्तियों को, इसके द्वारा, इस आशय की सूचना दी जाती है. राज्य शासन, इसके द्वारा, अनुसूची के खाने (5) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 4 की उपधारा (2) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिये प्राधिकृत करता है :—

अनुसूची

भूमि का वर्णन				धारा 4 की उपधारा (2) के द्वारा प्राधिकृत अधिकारी	सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन
जिला	तहसील	ग्राम/नगर	लगभग क्षेत्रफल (हेक्टेयर में)		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
खरगोन	भीकनगांव	अमनखेड़ी	2.000	कार्यपालन यंत्री, जल संसाधन संभाग, खरगोन.	जेतगढ़ तालाब योजना के नहर निर्माण हेतु.

नोट.—भूमि का नक्शा (प्लान) कलेक्टर, जिला खरगोन, अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व) एवं भू-अर्जन अधिकारी, भीकनगांव एवं कार्यपालन यंत्री, जल संसाधन संभाग, खरगोन के कार्यालय में अवलोकन किया जा सकता है.

खरगोन, दिनांक 25 जून 2011

क्र. 995-भू-अर्जन-11.—चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने (1) से (4) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के खाने (6) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक एक, सन् 1894) की धारा 4 की उपधारा (1) के उपबंधों के अनुसार सभी संबंधित व्यक्तियों को, इसके द्वारा, इस आशय की सूचना दी जाती है. राज्य शासन, इसके द्वारा, अनुसूची के खाने (5) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 4 की उपधारा (2) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिये प्राधिकृत करता है :—

अनुसूची

भूमि का वर्णन				धारा 4 की उपधारा (2) के द्वारा प्राधिकृत अधिकारी	सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन
जिला	तहसील	ग्राम/नगर	लगभग क्षेत्रफल (हेक्टेयर में)		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
खरगोन	भीकनगांव	टेमला	0.365	कार्यपालन यंत्री, जल संसाधन संभाग, खरगोन (म.प्र.).	टेमला नं. 2 तालाब योजना के शीर्ष कार्य निर्माण में पायलेट चेनल हेतु भूमि की आवश्यकता.

नोट.—भूमि का नक्शा (प्लान) कलेक्टर कार्यालय, खरगोन, कार्यालय, अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व) एवं भू-अर्जन अधिकारी, भीकनगांव एवं कार्यपालन यंत्री, जल संसाधन संभाग, खरगोन के कार्यालय में अवलोकन किया जा सकता है.

क्र. 994-भू-अर्जन-2011.—चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने (1) से (4) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के खाने (6) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक एक, सन् 1894) की धारा 4 की उपधारा (1) के उपबंधों के अनुसार सभी संबंधित व्यक्तियों को, इसके द्वारा, इस आशय की सूचना दी जाती है. राज्य शासन, इसके द्वारा, अनुसूची के खाने (5) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 4 की उपधारा (2) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिये प्राधिकृत करता है :—

अनुसूची

भूमि का वर्णन				धारा 4 की उपधारा (2) के द्वारा प्राधिकृत अधिकारी	सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन
जिला	तहसील	ग्राम/नगर	लगभग क्षेत्रफल (हेक्टेयर में)		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
खरगोन	भीकनगांव	केदवां जागीर	3.398	कार्यपालन यंत्री, जल संसाधन संभाग, खरगोन (म.प्र.).	लाखापुर तालाब योजना की नहर निर्माण हेतु भूमि की आवश्यकता.

नोट.—भूमि का नक्शा (प्लान) कलेक्टर कार्यालय, खरगोन, कार्यालय, अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व) एवं भू-अर्जन अधिकारी, भीकनगांव एवं कार्यपालन यंत्री, जल संसाधन संभाग, खरगोन के कार्यालय में अवलोकन किया जा सकता है.

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
अशोक कुमार शर्मा, कलेक्टर एवं पदेन उपसचिव.

कार्यालय, कलेक्टर, जिला उज्जैन, मध्यप्रदेश एवं पदेन उपसचिव, मध्यप्रदेश शासन, राजस्व विभाग

उज्जैन, दिनांक 22 जून 2011

क्र. भूमि संपादन-11.—चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने (1) से (4) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के खाने (6) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक एक, सन् 1894) की धारा 4 की उपधारा (1) के उपबंधों के अनुसार, इसके द्वारा, सभी संबंधित व्यक्तियों को, इस आशय की सूचना दी जाती है. राज्य शासन, इसके द्वारा, अनुसूची के खाने (5) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के सम्बन्ध में, उक्त धारा 4 की उपधारा (2) के द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिये प्राधिकृत करता हूं. राज्य शासन यह भी निर्देश देता है कि उक्त अधिनियम की धारा 5 "क" के उपबंध उक्त भूमि के संबंध में लागू नहीं होंगे क्योंकि उसकी राय में उक्त अधिनियम की धारा 17 की उपधारा (ए) के उपबंध उसके संबंध में लागू होते हैं :—

अनुसूची

भूमि का वर्णन				धारा 4 (2) के अंतर्गत	सार्वजनिक प्रयोजन
जिला	तहसील	नगर/ग्राम	लगभग क्षेत्रफल (हेक्टर में)	प्राधिकृत अधिकारी	का वर्णन
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
उज्जैन	बड़नगर	आजंदा लिखोदा.	0.80 0.25 (खुली भूमि) कुल : 1.05	भू-अर्जन अधिकारी, बड़नगर	बड़नगर आवर्धन जल प्रदाय योजना अन्तर्गत ग्राम लिखौदा में चामला नदी पर निर्माणाधीन आर.आर.सी. बैरेज कार्य के लिये निजी भूमि का अर्जन.

भूमि का नक्शा (प्लान) कार्यालय, अनुविभागीय अधिकारी एवं भू-अर्जन अधिकारी, बड़नगर में देखा जा सकता है.

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
एम. गीता, कलेक्टर एवं पदेन उपसचिव.

कार्यालय, कलेक्टर, जिला जबलपुर, मध्यप्रदेश एवं पदेन उपसचिव, मध्यप्रदेश शासन, राजस्व विभाग

जबलपुर, दिनांक 24 जून 2011

क्र. 22-अ-82-10-11-भू.अ.अ.-जबलपुर.—चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने (1) से (4) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के खाने (6) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894, संशोधन, 1984 (क्रमांक एक, सन् 1894) एवं अधिनियम क्र. 68 सन् 1984 की धारा 4 की उपधारा (1) के उपबंधों के अनुसार, इसके द्वारा, सभी संबंधित व्यक्तियों को इस आशय की सूचना दी जाती है. राज्य शासन, इसके द्वारा, अनुसूची के खाने (5) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 4 की उपधारा (2) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिये प्राधिकृत करता है :—

अनुसूची

भूमि का वर्णन				धारा 4 की उपधारा (2) के	सार्वजनिक प्रयोजन
जिला	तहसील	ग्राम	लगभग क्षेत्रफल अर्जित रकबा (हेक्टर में)	द्वारा प्राधिकृत अधिकारी	का वर्णन
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
जबलपुर	जबलपुर	कुगवां. प.ह.नं. 34 नं.बं. 499	3.29	कार्यपालन यंत्री, रा.अ.बा. लो.सा. बांयी तट नहर संभाग क्र. 2, बरगी हिल्स, जबलपुर.	पाटन शाखा नहर निर्माण हेतु.

भूमि का नक्शा (प्लान) भू-अर्जन अधिकारी, इकाई क्र. 1, बरगी हिल्स के कार्यालय में देखा जा सकता है.

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
गुलशन बामरा, कलेक्टर एवं पदेन उपसचिव.

कार्यालय, कलेक्टर, जिला नरसिंहपुर, मध्यप्रदेश एवं पदेन उपसचिव, मध्यप्रदेश शासन, राजस्व विभाग

नरसिंहपुर, दिनांक 24 जून 2011

प्र. क्र. 14 अ-82 वर्ष 2010-11-पत्र क्र. 704-भू-अर्जन-2011.—चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने (1) से (4) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के खाने (6) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अत: भू-अर्जन अधिनियम, 1894 संशोधन, 1984 (क्रमांक एक, सन् 1894) की धारा 4 की उपधारा (1) के उपबंधों के अनुसार इसके द्वारा सभी संबंधित व्यक्तियों को, इस आशय की सूचना दी जाती है. राज्य शासन, इसके द्वारा, अनुसूची के खाने (5) में उल्लिखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 4 की उपधारा (2) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिये प्राधिकृत करता है :—

अनुसूची

भूमि का वर्णन				धारा 4 की उपधारा (2) के द्वारा प्राधिकृत अधिकारी	सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन
जिला	तहसील	ग्राम	लगभग क्षेत्रफल अर्जित रकबा (हे. में.)		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
नरसिंहपुर	गोटेगांव	अकोला, नं.बं. 491, प.ह.नं. 05/01	0.410	कार्यपालन यंत्री, लोक निर्माण विभाग, सेतु निर्माण संभाग, जबलपुर.	खोबी-देवरी-मोहास अकोला मार्ग निर्माण हेतु.

भूमि का नक्शा (प्लान) कलेक्टर, नरसिंहपुर के भू-अर्जन शाखा में देखा जा सकता है.

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
संजीव सिंह, कलेक्टर एवं पदेन उपसचिव.

कार्यालय, कलेक्टर, जिला विदिशा, मध्यप्रदेश एवं पदेन उपसचिव, मध्यप्रदेश शासन, राजस्व विभाग

विदिशा, दिनांक 27 जून 2010

प्र. क्र. 11-भू-अर्जन-ए-82-10-11.—चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने (1) से (4) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के खाने (6) में उसके सामने दिये गये प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अत: भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक एक, सन् 1894) की धारा 4 की उपधारा (1) के उपबंधों के अनुसार सभी व्यक्तियों को, इस आशय की सूचना दी जाती है. राज्य शासन, इसके द्वारा, अनुसूची के खाने (5) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 4 की उपधारा (2) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिये प्राधिकृत करता है :—

अनुसूची

भूमि का वर्णन					धारा 4 (2) के अन्तर्गत प्राधिकृत अधिकारी	सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन
जिला	तहसील	ग्राम	सर्वे नं. एवं लगभग क्षेत्रफल (हेक्टर में)			
(1)	(2)	(3)	(4)		(5)	(6)
विदिशा	विदिशा	गंगरवाड़ा	आर.एम.	3ए	कार्यपालन यंत्री, सम्राट अशोक सागर संभाग क्रमांक 2, विदिशा.	पीपलखेड़ा नहर की माईनर आर. एम. 3 ए, आर.एम. 3 बी का निर्माण.
			151/3	0.125		
			150/1	0.088		
			150/2	0.088		
			170/11	0.127		
			139/3	0.137		
			योग :	0.565		

(1)	(2)	(3)	(4)		(5)	(6)
विदिशा	विदिशा	गंगरवाड़ा	आर.एम.	3 बी	कार्यपालन यंत्री, सम्राट अशोक सागर संभाग क्रमांक 2, विदिशा.	पीपलखेड़ा नहर की माईनर आर. एम. 3ए आर.एम. 3 बी का निर्माण.
			188/1	0.109		
			202/3	0.017		
			138/3/1ग	0.193		
			138/3/1ख	0.148		
			138/3/2	0.401		
			206/1	0.099		
			206/2	0.038		
			योग :	1.005		

भूमि के नक्शे (प्लान) का उपखण्ड अधिकारी, विदिशा के कार्यालय में अवलोकन किया जा सकता है.

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
सी. बी. सिंह, कलेक्टर एवं पदेन उपसचिव.

कार्यालय, कलेक्टर, जिला देवास, मध्यप्रदेश एवं पदेन उपसचिव, मध्यप्रदेश शासन, राजस्व विभाग

देवास, दिनांक 27 जून 2011

क्र. 312-भू-अर्जन-2011-प्र.क्र.-03-अ-82-2010-11.—चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने (1) से (4) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के खाने (6) में दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक एक, सन् 1894) की धारा 4 की उपधारा (1) के उपबंधों के अनुसार सभी संबंधित व्यक्तियों को इसके द्वारा इस आशय की सूचना दी जाती है. राज्य शासन, इसके द्वारा, अनुसूची के खाने (5) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 4 की उपधारा (2) के द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिये प्राधिकृत करता है :—

अनुसूची

भूमि का वर्णन				धारा 4 (2) के अन्तर्गत प्राधिकृत अधिकारी	सार्वजनिक प्रयोजन का कारण
जिला	तहसील	ग्राम	लगभग क्षेत्रफल (हेक्टर में)		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
देवास	सोनकच्छ	पीपलरांवा	2.090	सचिव, कृषि उपज मण्डी समिति, सोनकच्छ.	ग्राम पीपलरांवा, तहसील सोनकच्छ में उप मण्डी की स्थापना के लिये भूमि अधिग्रहण हेतु.

नोट.—भूमि के नक्शे (प्लान) कार्यालय, कलेक्टर, जिला देवास एवं कार्यालय, भू-अर्जन एवं अनुविभागीय अधिकारी, सोनकच्छ में देखा जा सकता है.

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
मुकेश चन्द्र गुप्ता, कलेक्टर एवं पदेन उपसचिव.

कार्यालय, कलेक्टर, जिला छिन्दवाड़ा, मध्यप्रदेश एवं पदेन उपसचिव, मध्यप्रदेश शासन, राजस्व विभाग

छिन्दवाड़ा, दिनांक 28 जून 2011

क्र. 5182-भू-अर्जन-2011.—चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने (1) से (4) में उल्लेखित वर्णित भूमि की, अनुसूची के खाने (6) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजनों के लिए आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अतएव भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक एक, सन् 1894) की धारा 4 की उपधारा (1) के उपबंधों के अनुसार, एतद्द्वारा, सभी संबंधित हितबद्ध व्यक्तियों को इस आशय की सूचना दी जाती है. राज्य शासन, इसके द्वारा, अनुसूची के खाने (5) में उल्लेखित प्राधिकृत अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त भू-अर्जन अधिनियम, 1894 की धारा 4 की उपधारा (2) में दी गई शक्तियों को प्रयोग करने के लिये प्राधिकृत करता है. इस संबंध में राज्य शासन यह भी निर्देश देता है कि उपरोक्त भूमि के अधिग्रहण किये जाने के संबंध में भू-अर्जन अधिनियम, 1894 की धारा 5 ''क'' के उपबंध उक्त भूमियों के संबंध में लागू नहीं होंगे :—

अनुसूची

भूमि का वर्णन				भू-अर्जन अधिनियम, 1894 की धारा 4 (2) के अन्तर्गत प्रधिकारी अधिकारी	अर्जित की जाने वाली प्रस्तावित भूमि के सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन
जिला	तहसील	नगर/ग्राम	अर्जित की जाने वाली प्रस्तावित भूमि लगभग क्षेत्रफल (हेक्टेयर में)		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
छिन्दवाड़ा	अमरवाड़ा	ग्राम-लछुआ, ब.नं.-254, प.ह.नं.-36, रा.नि.मं.-अमरवाड़ा-2.	84.606 एवं उपरोक्त अर्जित की जाने वाली प्रस्तावित भूमि पर आने वाली सम्पत्तियां).	भू-अर्जन अधिकारी एवं अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व) तहसील-अमरवाड़ा, जिला-छिन्दवाड़ा (म.प्र.).	मेसर्स एस.के.एस. पॉवर जनरेशन मध्यप्रदेश लिमिटेड द्वारा पॉवर प्लांट एवं कोल वॉसरी की स्थापना, कार्यालय भवन, स्कूल भवन, लेबर कॉलोनी आदि संकर्मों के निर्माण के लिए निजी भूमि के अर्जन के संबंध में.

(2) अर्जित की जाने वाली उल्लेखित प्रस्तावित भूमि के नक्शे (प्लान) का निरीक्षण, कार्यालय, कलेक्टर (भू-अर्जन शाखा), छिन्दवाड़ा, जिला छिन्दवाड़ा के न्यायालय में किया जा सकता है.

(3) अर्जित की जाने वाली उल्लेखित प्रस्तावित भूमि के नक्शे (प्लान) का निरीक्षण, भू-अर्जन अधिकारी एवं अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व), तहसील अमरवाड़ा, जिला छिन्दवाड़ा के कार्यालय में कार्यालयीन समय में देखा जा सकता है.

(4) अर्जित की जाने वाली उल्लेखित प्रस्तावित भूमि का नक्शा प्लान एवं प्रकरण का निरीक्षण, मेसर्स एस.के.एस. पॉवर जनरेशन मध्यप्रदेश लिमिटेड स्थानीय कार्यालय, विवेकानंद कॉलोनी, नागपुर रोड, छिन्दवाड़ा के कार्यालय में भी किया जा सकता है.

(5) अर्जित की जाने वाली उल्लेखित प्रस्तावित भूमि के बारे में हितबद्ध कोई व्यक्ति अधिसूचना प्रकाशन के 30 दिन के अंदर भू-अर्जन किये जाने के संबंध में आक्षेप लिखित रूप से कलेक्टर (भू-अर्जन शाखा) छिन्दवाड़ा में प्रस्तुत कर सकता है.

क्र. 5183-भू-अर्जन-2011.—चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने (1) से (4) में उल्लेखित वर्णित भूमि की, अनुसूची के खाने (6) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजनों के लिए आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अतएव भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक एक, सन् 1894) की धारा 4 की उपधारा (1) के उपबंधों के अनुसार, एतद्द्वारा, सभी संबंधित हितबद्ध व्यक्तियों को इस आशय की सूचना दी जाती है. राज्य शासन, इसके द्वारा, अनुसूची के खाने (5) में उल्लेखित प्राधिकृत अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त भू-अर्जन अधिनियम, 1894 की धारा 4 की उपधारा (2) में दी गई शक्तियों को प्रयोग करने के लिये प्राधिकृत करता है. इस संबंध में राज्य शासन यह भी निर्देश देता है कि उपरोक्त भूमि के अधिग्रहण किये जाने के संबंध में भू-अर्जन अधिनियम, 1894 की धारा 5 ''क'' के उपबंध उक्त भूमियों के संबंध में लागू नहीं होंगे :—

अनुसूची

भूमि का वर्णन				भू-अर्जन अधिनियम, 1894 की धारा 4 (2) के अन्तर्गत प्रधिकारी अधिकारी	अर्जित की जाने वाली प्रस्तावित भूमि के सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन
जिला	तहसील	नगर/ग्राम	अर्जित की जाने वाली प्रस्तावित भूमि लगभग क्षेत्रफल (हेक्टेयर में)		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
छिन्दवाड़ा	अमरवाड़ा	ग्राम-राहीवाड़ा, ब.नं.-251, प.ह.नं.-36, रा.नि.मं.-अमरवाड़ा-2.	64.001 एवं उपरोक्त अर्जित की जाने वाली प्रस्तावित भूमि पर आने वाली सम्पत्तियां).	भू-अर्जन अधिकारी एवं अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व) तहसील-अमरवाड़ा, जिला-छिन्दवाड़ा (म.प्र.).	मेसर्स एस.के.एस. पॉवर जनरेशन मध्यप्रदेश लिमिटेड द्वारा पॉवर प्लांट एवं कोल वॉसरी की स्थापना, कार्यालय भवन, स्कूल भवन, लेबर कॉलोनी आदि संकर्मों के निर्माण के लिए निजी भूमि के अर्जन के संबंध में.

(2) अर्जित की जाने वाली उल्लेखित प्रस्तावित भूमि के नक्शे (प्लान) का निरीक्षण, कार्यालय, कलेक्टर (भू-अर्जन शाखा) छिन्दवाड़ा, जिला छिन्दवाड़ा के न्यायालय में किया जा सकता है.

(3) अर्जित की जाने वाली उल्लेखित प्रस्तावित भूमि के नक्शे (प्लान) का निरीक्षण, भू-अर्जन अधिकारी एवं अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व), तहसील अमरवाड़ा, जिला छिन्दवाड़ा के कार्यालय में कार्यालयीन समय में भी देखा जा सकता है.

(4) अर्जित की जाने वाली उल्लेखित प्रस्तावित भूमि का नक्शा प्लान एवं प्रकरण का निरीक्षण, मेसर्स एस.के.एस. पॉवर जनरेशन मध्यप्रदेश लिमिटेड स्थानीय कार्यालय, विवेकानंद कॉलोनी, नागपुर रोड, छिन्दवाड़ा के कार्यालय में भी किया जा सकता है.

(5) अर्जित की जाने वाली उल्लेखित प्रस्तावित भूमि के बारे में हितबद्ध कोई व्यक्ति अधिसूचना प्रकाशन के 30 दिन के अन्दर भू-अर्जन किये जाने के संबंध में आक्षेप लिखित रूप से कलेक्टर (भू-अर्जन शाखा) छिन्दवाड़ा में प्रस्तुत कर सकता है.

क्र. 5184-भू-अर्जन-2011.—चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने (1) से (4) में उल्लेखित वर्णित भूमि की, अनुसूची के खाने (6) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजनों के लिए आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अतएव भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक एक, सन् 1894) की धारा 4 की उपधारा (1) के उपबंधों के अनुसार, एतद्द्वारा, सभी संबंधित हितबद्ध व्यक्तियों को इस आशय की सूचना दी जाती है. राज्य शासन, इसके द्वारा, अनुसूची के खाने (5) में उल्लेखित प्राधिकृत अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त भू-अर्जन अधिनियम, 1894 की धारा 4 की उपधारा (2) में दी गई शक्तियों को प्रयोग करने के लिये प्राधिकृत करता है. इस संबंध में राज्य शासन यह भी निर्देश देता है कि उपरोक्त भूमि के अधिग्रहण किये जाने के संबंध में भू-अर्जन अधिनियम, 1894 की धारा 5 "क" के उपबंध उक्त भूमियों के संबंध में लागू नहीं होंगे :—

अनुसूची

भूमि का वर्णन				भू-अर्जन अधिनियम, 1894 की धारा 4 (2) के अन्तर्गत प्रधिकारी अधिकारी	अर्जित की जाने वाली प्रस्तावित भूमि के सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन
जिला	तहसील	नगर/ग्राम	अर्जित की जाने वाली प्रस्तावित भूमि लगभग क्षेत्रफल (हेक्टेयर में)		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
छिन्दवाड़ा	अमरवाड़ा	ग्राम-धाधरा, ब.नं.-140, प.ह.नं.-36, रा.नि.मं.-अमरवाड़ा-2.	72.239 एवं उपरोक्त अर्जित की जाने वाली प्रस्तावित भूमि पर आने वाली सम्पत्तियां).	भू-अर्जन अधिकारी एवं अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व) तहसील-अमरवाड़ा, जिला-छिन्दवाड़ा (म.प्र.).	मेसर्स एस.के.एस. पॉवर जनरेशन मध्यप्रदेश लिमिटेड द्वारा पॉवर प्लांट एवं कोल वॉसरी की स्थापना, कार्यालय भवन, स्कूल भवन, लेबर कॉलोनी आदि संकर्मों के निर्माण के लिए निजी भूमि के अर्जन के संबंध में.

(2) अर्जित की जाने वाली उल्लेखित प्रस्तावित भूमि के नक्शे (प्लान) का निरीक्षण, कार्यालय, कलेक्टर (भू-अर्जन शाखा), छिन्दवाड़ा, जिला छिन्दवाड़ा के न्यायालय में किया जा सकता है.

(3) अर्जित की जाने वाली उल्लेखित प्रस्तावित भूमि के नक्शे (प्लान) का निरीक्षण, भू-अर्जन अधिकारी एवं अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व), तहसील अमरवाड़ा, जिला छिन्दवाड़ा के कार्यालय में कार्यालयीन समय में देखा जा सकता है.

(4) अर्जित की जाने वाली उल्लेखित प्रस्तावित भूमि का नक्शा प्लान एवं प्रकरण का निरीक्षण, मेसर्स एस.के.एस. पॉवर जनरेशन मध्यप्रदेश लिमिटेड स्थानीय कार्यालय, विवेकानंद कॉलोनी, नागपुर रोड, छिन्दवाड़ा के कार्यालय में भी किया जा सकता है.

(5) अर्जित की जाने वाली उल्लेखित प्रस्तावित भूमि के बारे में हितबद्ध कोई व्यक्ति अधिसूचना प्रकाशन के 30 दिन के भीतर, भू-अर्जन किये जाने के संबंध में आक्षेप लिखित रूप से कलेक्टर (भू-अर्जन शाखा) छिन्दवाड़ा में प्रस्तुत कर सकता है.

क्र. 5185-भू-अर्जन-2011.—चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने (1) से (4) में उल्लेखित वर्णित भूमि की, अनुसूची के खाने (6) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजनों के लिए आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक एक, सन् 1894) की धारा 4 की उपधारा (1) के उपबंधों के अनुसार, एतद्द्वारा, सभी संबंधित हितबद्ध व्यक्तियों को इस आशय की सूचना दी जाती है. राज्य शासन, इसके द्वारा, अनुसूची के खाने (5) में उल्लेखित प्राधिकृत अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त भू-अर्जन अधिनियम, 1894 की धारा 4 की उपधारा (2) में दी गई शक्तियों को प्रयोग करने के लिये प्राधिकृत करता है. इस संबंध में राज्य शासन यह भी निर्देश देता है कि उपरोक्त भूमि के अधिग्रहण किये जाने के संबंध में भू-अर्जन अधिनियम, 1894 की धारा 5 ''क'' के उपबंध उक्त भूमियों के संबंध में लागू होंगे :—

अनुसूची

भूमि का वर्णन				भू-अर्जन अधिनियम, 1894 की धारा 4 (2) के अन्तर्गत प्रधिकारी अधिकारी	अर्जित की जाने वाली प्रस्तावित भूमि के सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन
जिला	तहसील	नगर/ग्राम	अर्जित की जाने वाली प्रस्तावित भूमि लगभग क्षेत्रफल (हेक्टेयर में)		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
छिन्दवाड़ा	अमरवाड़ा	ग्राम-मन्दानगढ़, ब.नं.-223, प.ह.नं.-38, रा.नि.मं.-अमरवाड़ा-2.	रकबा 112.317 एवं उपरोक्त अर्जित की जाने वाली प्रस्तावित भूमि पर आने वाली सम्पत्तियां.	भू-अर्जन अधिकारी एवं अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व) तहसील-अमरवाड़ा, जिला-छिन्दवाड़ा (म.प्र.).	मेसर्स एस.के.एस. पॉवर जनरेशन मध्यप्रदेश लिमिटेड द्वारा पॉवर प्लांट एवं कोल वॉसरी की स्थापना, कार्यालय भवन, स्कूल भवन, लेबर कॉलोनी आदि संकर्मों के निर्माण के लिए निजी भूमि के अर्जन के संबंध में.

(2) अर्जित की जाने वाली उल्लेखित प्रस्तावित भूमि के नक्शे (प्लान) का निरीक्षण, कार्यालय, कलेक्टर (भू-अर्जन शाखा) छिन्दवाड़ा, जिला छिन्दवाड़ा के न्यायालय में किया जा सकता है.

(3) अर्जित की जाने वाली उल्लेखित प्रस्तावित भूमि के नक्शे (प्लान) का निरीक्षण, भू-अर्जन अधिकारी एवं अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व), तहसील अमरवाड़ा, जिला छिन्दवाड़ा के कार्यालय में कार्यालयीन समय में देखा जा सकता है.

(4) अर्जित की जाने वाली उल्लेखित प्रस्तावित भूमि का नक्शा प्लान एवं प्रकरण का निरीक्षण, मेसर्स एस.के.एस. पॉवर जनरेशन मध्यप्रदेश लिमिटेड स्थानीय कार्यालय, विवेकानंद कॉलोनी, नागपुर रोड, छिन्दवाड़ा के कार्यालय में भी किया जा सकता है.

(5) अर्जित की जाने वाली उल्लेखित प्रस्तावित भूमि के बारे में हितबद्ध कोई व्यक्ति अधिसूचना प्रकाशन के 30 दिन के भीतर, भू-अर्जन किये जाने के संबंध में आक्षेप लिखित रूप से कलेक्टर (भू-अर्जन शाखा) छिन्दवाड़ा में प्रस्तुत कर सकता है.

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
पवन कुमार शर्मा, कलेक्टर एवं पदेन उपसचिव.

कार्यालय, कलेक्टर, जिला छतरपुर, मध्यप्रदेश एवं पदेन उपसचिव, मध्यप्रदेश शासन, राजस्व विभाग

छतरपुर, दिनांक 30 जून 2011

प्र. क्र. 43-अ 82-2010-11—चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद (1) से (4) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के खाने (6) में उल्लेखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अत: भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक एक, सन् 1894) की धारा 4 की उपधारा (1) के उपबंधों के अनुसार, इसके द्वारा, सभी संबंधित व्यक्तियों को, इस आशय की सूचना दी जाती है. राज्य शासन, इसके द्वारा, अनुसूची के खाने (5) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 4 की उपधारा (2) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिये प्राधिकृत करता है :—

अनुसूची

भूमि का वर्णन				धारा 4 की उपधारा (2) द्वारा अधिकृत अधिकारी	सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन
जिला	तहसील	ग्राम	लगभग क्षेत्रफल (हे. में)		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
छतरपुर	लौंड़ी	अक्टौंहा	4.378	अनुविभागीय अधिकारी, राजस्व, लौंड़ी.	सिंहपुर बैराज परियोजना की रेखा डिस्ट्रीब्यूटरी की सिंगवापुरवा नहर हेतु भूमि का अर्जन.

(2) सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है—सिंहपुर बैराज परियोजना की रेखा डिस्ट्रीब्यूटरी की सिंगवापुरवा नहर हेतु भूमि का अर्जन.

(3) भूमि के नक्शे (प्लान) का निरीक्षण, अनुविभागीय अधिकारी, कार्यालय, लौंड़ी में किया जा सकता है.

प्र. क्र. 22-अ 82-2010-11—चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद (1) से (4) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के खाने (6) में उल्लेखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अत: भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक एक, सन् 1894) की धारा 4 की उपधारा (1) के उपबंधों के अनुसार, इसके द्वारा, सभी संबंधित व्यक्तियों को, इस आशय की सूचना दी जाती है. राज्य शासन, इसके द्वारा, अनुसूची के खाने (5) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 4 की उपधारा (2) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिये प्राधिकृत करता है :—

अनुसूची

भूमि का वर्णन				धारा 4 की उपधारा (2) द्वारा अधिकृत अधिकारी	सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन
जिला	तहसील	ग्राम	लगभग क्षेत्रफल (हे. में)		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
छतरपुर	लौंड़ी	मुड़ेरी	2.200	अनुविभागीय अधिकारी, राजस्व, लौंड़ी.	सिंहपुर बैराज परियोजना की बसंतपुर वितरक नहर हेतु भूमि का अर्जन.

(2) सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है—सिंहपुर बैराज परियोजना की बसंतपुर वितरक नहर हेतु भूमि का अर्जन.

(3) भूमि के नक्शे (प्लान) का निरीक्षण, अनुविभागीय अधिकारी, कार्यालय, लौंड़ी में किया जा सकता है.

प्र. क्र. 23-अ 82-2010-11—चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद (1) से (4) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के खाने (6) में उल्लेखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक एक, सन् 1894) की धारा 4 की उपधारा (1) के उपबंधों के अनुसार, इसके द्वारा, सभी संबंधित व्यक्तियों को, इस आशय की सूचना दी जाती है. राज्य शासन, इसके द्वारा, अनुसूची के खाने (5) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 4 की उपधारा (2) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिये प्राधिकृत करता है :—

अनुसूची

भूमि का वर्णन				धारा 4 की उपधारा (2) द्वारा अधिकृत अधिकारी	सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन
जिला	तहसील	ग्राम	लगभग क्षेत्रफल (हे. में)		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
छतरपुर	लौंड़ी	रतनपारा	1.550	अनुविभागीय अधिकारी, राजस्व, लौंड़ी.	सिंहपुर बैराज परियोजना की बसंतपुर वितरक नहर हेतु भूमि का अर्जन.

(2) सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है—सिंहपुर बैराज परियोजना की बसंतपुर वितरक नहर हेतु भूमि का अर्जन.

(3) भूमि के नक्शे (प्लान) का निरीक्षण, अनुविभागीय अधिकारी, कार्यालय, लौंड़ी में किया जा सकता है.

प्र. क्र. 24-अ 82-2010-11—चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद (1) से (4) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के खाने (6) में उल्लेखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक एक, सन् 1894) की धारा 4 की उपधारा (1) के उपबंधों के अनुसार, इसके द्वारा, सभी संबंधित व्यक्तियों को, इस आशय की सूचना दी जाती है. राज्य शासन, इसके द्वारा, अनुसूची के खाने (5) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 4 की उपधारा (2) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिये प्राधिकृत करता है :—

अनुसूची

भूमि का वर्णन				धारा 4 की उपधारा (2) द्वारा अधिकृत अधिकारी	सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन
जिला	तहसील	ग्राम	लगभग क्षेत्रफल (हे. में)		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
छतरपुर	चन्दला	सलैया	2.200	अनुविभागीय अधिकारी, राजस्व, लौंड़ी.	सिंहपुर बैराज परियोजना की ब्रांच कैनाल वितरक नहर हेतु भूमि का अर्जन.

(2) सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है—सिंहपुर बैराज परियोजना की ब्रांच कैनाल वितरक नहर हेतु भूमि का अर्जन.

(3) भूमि के नक्शे (प्लान) का निरीक्षण, अनुविभागीय अधिकारी, कार्यालय, लौंड़ी में किया जा सकता है.

प्र. क्र. 25-अ 82-2010-11—चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद (1) से (4) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के पद (6) में उल्लेखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक एक, सन् 1894) की धारा 4 की उपधारा (1) के उपबंधों के अनुसार, इसके द्वारा, सभी संबंधित व्यक्तियों को, इस आशय की सूचना दी जाती है. राज्य शासन, इसके द्वारा, अनुसूची के खाने (5) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में धारा 4 की उपधारा (2) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिये प्राधिकृत करता है :—

अनुसूची

भूमि का वर्णन				धारा 4 की उपधारा (2) द्वारा अधिकृत अधिकारी	सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन
जिला	तहसील	ग्राम	लगभग क्षेत्रफल (हे. में)		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
छतरपुर	चन्दला	भवानीपुर	1.870	अनुविभागीय अधिकारी, राजस्व, लौड़ी.	सिंहपुर बैराज परियोजना की ब्रान्च कैनाल वितरक नहर हेतु भूमि का अर्जन.

(2) सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है—सिंहपुर बैराज परियोजना की ब्रांच कैनाल वितरक नहर हेतु भूमि का अर्जन.

(3) भूमि के नक्शे (प्लान) का निरीक्षण, अनुविभागीय अधिकारी, कार्यालय, लौड़ी में किया जा सकता है.

प्र. क्र. 33-अ 82-2010-11—चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद (1) से (4) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के पद (6) में उल्लेखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक एक, सन् 1894) की धारा 4 की उपधारा (1) के उपबंधों के अनुसार, इसके द्वारा, सभी संबंधित व्यक्तियों को, इस आशय की सूचना दी जाती है. राज्य शासन, इसके द्वारा, अनुसूची के खाने (5) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में धारा 4 की उपधारा (2) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिये प्राधिकृत करता है :—

अनुसूची

भूमि का वर्णन				धारा 4 की उपधारा (2) द्वारा अधिकृत अधिकारी	सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन
जिला	तहसील	ग्राम	लगभग क्षेत्रफल (हे. में)		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
छतरपुर	लौंड़ी	खपटया	2.189	अनुविभागीय अधिकारी, राजस्व, लौड़ी.	सिंहपुर बैराज परियोजना की गिरधौरी डिस्ट्रीब्यूटरी नहर हेतु भूमि का अर्जन.

(2) सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है—सिंहपुर बैराज परियोजना की गिरधौरी डिस्ट्रीब्यूटरी नहर हेतु भूमि का अर्जन.

(3) भूमि के नक्शे (प्लान) का निरीक्षण, अनुविभागीय अधिकारी, कार्यालय, लौड़ी में किया जा सकता है.

प्र. क्र. 34-अ 82-2010-11—चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद (1) से (4) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के पद (6) में उल्लेखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक एक, सन् 1894) की धारा 4 की उपधारा (1) के उपबंधों के अनुसार, इसके द्वारा, सभी संबंधित व्यक्तियों को, इस आशय की सूचना दी जाती है. राज्य शासन, इसके द्वारा, अनुसूची के खाने (5) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में धारा 4 की उपधारा (2) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिये प्राधिकृत करता है :—

अनुसूची

भूमि का वर्णन				धारा 4 की उपधारा (2) द्वारा अधिकृत अधिकारी	सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन
जिला	तहसील	ग्राम	लगभग क्षेत्रफल (हे. में)		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
छतरपुर	लौंड़ी	गिरधौरी	3.762	अनुविभागीय अधिकारी, राजस्व, लौड़ी.	सिंहपुर बैराज परियोजना की गिरधौरी डिस्ट्रीब्यूटरी नहर हेतु भूमि का अर्जन.

(2) सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है—सिंहपुर बैराज परियोजना की गिरधौरी डिस्ट्रीब्यूटरी नहर हेतु भूमि का अर्जन.

(3) भूमि के नक्शे (प्लान) का निरीक्षण, अनुविभागीय अधिकारी, कार्यालय, लौड़ी में किया जा सकता है.

प्र. क्र. 35-अ 82-2010-11—चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद (1) से (4) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के पद (6) में उल्लेखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक एक, सन् 1894) की धारा 4 की उपधारा (1) के उपबंधों के अनुसार, इसके द्वारा, सभी संबंधित व्यक्तियों को, इस आशय की सूचना दी जाती है. राज्य शासन, इसके द्वारा, अनुसूची के खाने (5) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में धारा 4 की उपधारा (2) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिये प्राधिकृत करता है:—

अनुसूची

भूमि का वर्णन				धारा 4 की उपधारा (2) द्वारा अधिकृत अधिकारी	सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन
जिला	तहसील	ग्राम	लगभग क्षेत्रफल (हे. में)		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
छतरपुर	लौंड़ी	टुड़ा	0.648	अनुविभागीय अधिकारी, राजस्व, लौड़ी.	सिंहपुर बैराज परियोजना की रेखा डिस्ट्रीब्यूटरी नहर हेतु भूमि का अर्जन.

(2) सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है—सिंहपुर बैराज परियोजना की रेखा डिस्ट्रीब्यूटरी नहर हेतु भूमि का अर्जन.

(3) भूमि के नक्शे (प्लान) का निरीक्षण, अनुविभागीय अधिकारी, कार्यालय, लौड़ी में किया जा सकता है.

प्र. क्र. 36-अ 82-2010-11—चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद (1) से (4) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के पद (6) में उल्लेखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक एक, सन् 1894) की धारा 4 की उपधारा (1) के उपबंधों के अनुसार, इसके द्वारा, सभी संबंधित व्यक्तियों को, इस आशय की सूचना दी जाती है. राज्य शासन, इसके द्वारा, अनुसूची के खाने (5) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में धारा 4 की उपधारा (2) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिये प्राधिकृत करता है :—

अनुसूची

भूमि का वर्णन				धारा 4 की उपधारा (2) द्वारा अधिकृत अधिकारी	सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन
जिला	तहसील	ग्राम	लगभग क्षेत्रफल (हे. में)		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
छतरपुर	लौंड़ी	बगमऊ	6.293	अनुविभागीय अधिकारी, राजस्व, लौड़ी.	सिंहपुर बैराज परियोजना की देवीखेड़ा डिस्ट्रीब्यूटरी नहर हेतु भूमि का अर्जन.

(2) सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है—सिंहपुर बैराज परियोजना की देवीखेड़ा डिस्ट्रीब्यूटरी नहर हेतु भूमि का अर्जन.

(3) भूमि के नक्शे (प्लान) का निरीक्षण, अनुविभागीय अधिकारी, कार्यालय, लौंड़ी में किया जा सकता है.

प्र. क्र. 37-अ 82-2010-11—चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद (1) से (4) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के पद (6) में उल्लेखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक एक, सन् 1894) की धारा 4 की उपधारा (1) के उपबंधों के अनुसार, इसके द्वारा, सभी संबंधित व्यक्तियों को, इस आशय की सूचना दी जाती है. राज्य शासन, इसके द्वारा, अनुसूची के खाने (5) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में धारा 4 की उपधारा (2) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिये प्राधिकृत करता है :—

अनुसूची

भूमि का वर्णन				धारा 4 की उपधारा (2) द्वारा अधिकृत अधिकारी	सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन
जिला	तहसील	ग्राम	लगभग क्षेत्रफल (हे. में)		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
छतरपुर	लौंड़ी	पट्टी	0.479	अनुविभागीय अधिकारी, राजस्व, लौंड़ी.	सिंहपुर बैराज परियोजना की रेखा डिस्ट्रीब्यूटरी नहर हेतु भूमि का अर्जन.

(2) सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है—सिंहपुर बैराज परियोजना की रेखा डिस्ट्रीब्यूटरी नहर हेतु भूमि का अर्जन.

(3) भूमि के नक्शे (प्लान) का निरीक्षण, अनुविभागीय अधिकारी, कार्यालय, लौंड़ी में किया जा सकता है.

प्र. क्र. 38-अ 82-2010-11—चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद (1) से (4) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के पद (6) में उल्लेखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक एक, सन् 1894) की धारा 4 की उपधारा (1) के उपबंधों के अनुसार, इसके द्वारा, सभी संबंधित व्यक्तियों को, इस आशय की सूचना दी जाती है. राज्य शासन, इसके द्वारा, अनुसूची के खाने (5) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में धारा 4 की उपधारा (2) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिये प्राधिकृत करता है :—

अनुसूची

भूमि का वर्णन				धारा 4 की उपधारा (2) द्वारा अधिकृत अधिकारी	सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन
जिला	तहसील	ग्राम	लगभग क्षेत्रफल (हे. में)		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
छतरपुर	लौंड़ी	टहनंगा	4.583	अनुविभागीय अधिकारी, राजस्व, लौंड़ी.	सिंहपुर बैराज परियोजना की रेखा डिस्ट्रीब्यूटरी नहर हेतु भूमि का अर्जन.

(2) सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है—सिंहपुर बैराज परियोजना की रेखा डिस्ट्रीब्यूटरी नहर हेतु भूमि का अर्जन.

(3) भूमि के नक्शे (प्लान) का निरीक्षण, अनुविभागीय अधिकारी, कार्यालय, लौड़ी में किया जा सकता है.

प्र. क्र. 39-अ 82-2010-11—चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद (1) से (4) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के पद (6) में उल्लेखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक एक, सन् 1894) की धारा 4 की उपधारा (1) के उपबंधों के अनुसार, इसके द्वारा, सभी संबंधित व्यक्तियों को, इस आशय की सूचना दी जाती है. राज्य शासन, इसके द्वारा, अनुसूची के खाने (5) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में धारा 4 की उपधारा (2) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिये प्राधिकृत करता है :—

अनुसूची

भूमि का वर्णन				धारा 4 की उपधारा (2) द्वारा अधिकृत अधिकारी	सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन
जिला	तहसील	ग्राम	लगभग क्षेत्रफल (हे. में)		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
छतरपुर	लौंड़ी	हंसपुरा	4.223	अनुविभागीय अधिकारी, राजस्व, लौंड़ी.	सिंहपुर बैराज परियोजना की हंसपुरा माईनर हेतु भूमि का अर्जन.

(2) सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है—सिंहपुर बैराज परियोजना की हंसपुरा माईनर हेतु भूमि का अर्जन.

(3) भूमि के नक्शे (प्लान) का निरीक्षण, अनुविभागीय अधिकारी, कार्यालय, लौंड़ी में किया जा सकता है.

प्र. क्र. 40-अ 82-2010-11—चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद (1) से (4) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के पद (6) में उल्लेखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक एक, सन् 1894) की धारा 4 की उपधारा (1) के उपबंधों के अनुसार, इसके द्वारा, सभी संबंधित व्यक्तियों को, इस आशय की सूचना दी जाती है. राज्य शासन, इसके द्वारा, अनुसूची के खाने (5) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में धारा 4 की उपधारा (2) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिये प्राधिकृत करता है :—

अनुसूची

भूमि का वर्णन				धारा 4 की उपधारा (2) द्वारा अधिकृत अधिकारी	सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन
जिला	तहसील	ग्राम	लगभग क्षेत्रफल (हे. में)		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
छतरपुर	लौंड़ी	रेखा	4.924	अनुविभागीय अधिकारी, राजस्व, लौंड़ी.	सिंहपुर बैराज परियोजना की रेखा डिस्ट्रीब्यूटरी नहर हेतु भूमि का अर्जन.

(2) सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है—सिंहपुर बैराज परियोजना की रेखा डिस्ट्रीब्यूटरी नहर हेतु भूमि का अर्जन.

(3) भूमि के नक्शे (प्लान) का निरीक्षण, अनुविभागीय अधिकारी, कार्यालय, लौंड़ी में किया जा सकता है.

प्र. क्र. 41-अ 82-2010-11—चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद (1) से (4) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के पद (6) में उल्लेखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक एक, सन् 1894) की धारा 4 की उपधारा (1) के उपबंधों के अनुसार, इसके द्वारा, सभी संबंधित व्यक्तियों को, इस आशय की सूचना दी जाती है. राज्य शासन, इसके द्वारा, अनुसूची के खाने (5) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में धारा 4 की उपधारा (2) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिये प्राधिकृत करता है :—

अनुसूची

भूमि का वर्णन				धारा 4 की उपधारा (2) द्वारा अधिकृत अधिकारी	सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन
जिला	तहसील	ग्राम	लगभग क्षेत्रफल (हे. में)		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
छतरपुर	लौंड़ी	पीरा	2.736	अनुविभागीय अधिकारी, राजस्व, लौंड़ी.	सिंहपुर बैराज परियोजना की रेखा डिस्ट्रीब्यूटरी नहर हेतु भूमि का अर्जन.

(2) सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है—सिंहपुर बैराज परियोजना की रेखा डिस्ट्रीब्यूटरी नहर हेतु भूमि का अर्जन.

(3) भूमि के नक्शे (प्लान) का निरीक्षण, अनुविभागीय अधिकारी, कार्यालय, लौंड़ी में किया जा सकता है.

प्र. क्र. 42-अ 82-2010-11—चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि नीचे दी गई अनुसूची के खाने (1) से (4) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के खाने (6) में उल्लेखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक एक, सन् 1894) की धारा 4 की उपधारा (1) के उपबंधों के अनुसार, इसके द्वारा, सभी संबंधित व्यक्तियों को, इस आशय की सूचना दी जाती है. राज्य शासन, के द्वारा, अनुसूची के खाने (5) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में धारा 4 की उपधारा (2) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिये प्राधिकृत करता है :—

अनुसूची

भूमि का वर्णन				धारा 4 की उपधारा (2) द्वारा अधिकृत अधिकारी	सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन
जिला	तहसील	ग्राम	लगभग क्षेत्रफल (हे. में)		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
छतरपुर	चन्दला	शंकरगढ़	1.760	अनुविभागीय अधिकारी, राजस्व, लौंड़ी.	सिंहपुर बैराज परियोजना की ब्रान्च कैनाल वितरक नहर हेतु भूमि का अर्जन.

(2) सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है—सिंहपुर बैराज परियोजना की ब्रान्च कैनाल वितरक नहर हेतु भूमि का अर्जन.

(3) भूमि के नक्शे (प्लान) का निरीक्षण, अनुविभागीय अधिकारी, कार्यालय, लौंड़ी में किया जा सकता है.

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
राहुल जैन, कलेक्टर एवं पदेन उपसचिव.

कार्यालय, प्रशासक, भू-अर्जन एवं पुनर्वास, बाणसागर परियोजना, जिला रीवा, मध्यप्रदेश एवं पदेन उपसचिव, मध्यप्रदेश शासन, राजस्व विभाग

रीवा, दिनांक 30 जून 2011

क्र. 1079-भू-अर्जन-2010-11.—चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने (1) से (4) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के खाने (6) में उनके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता पड़ने के अनुसार इसके द्वारा संबंधित व्यक्तियों को इसके द्वारा, अनुसूची के खाने (5) में उल्लिखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 4 की उपधारा (2) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिये प्राधिकृत करता है. राज्य शासन यह भी निर्देश देता है कि उक्त अधिनियम के धारा 5-अ के उपबंध उक्त भूमि के संबंध में लागू नहीं होंगे, क्योंकि उसकी राय में उक्त अधिनियम की धारा 17 की उपधारा (1) के उपबंध उसके संबंध में लागू होते हैं :—

अनुसूची

भूमि का वर्णन				धारा 4(2) के अन्तर्गत प्राधिकृत अधिकारी	सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन
जिला	तहसील	नगर/ग्राम	लगभग क्षेत्रफल (हेक्टर में)		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
रीवा	हुजूर	पुरैनी 378	1.86	कार्यपालन यंत्री, अपर पुरवा नहर संभाग-रीवा (म. प्र.).	बाणसागर परियोजना अन्तर्गत चचाई वितरक नहर के खम्हरिया सबमाइनर नं. 1 में आने वाली भूमि के लिए भूमि पर स्थित संपत्तियों का अर्जन.

भूमि का नक्शा (प्लान) का निरीक्षण, प्रशासक बाणसागर परियोजना, रीवा के कार्यालय में किया जा सकता है.

क्र. 1081-भू-अर्जन-2010-11.—चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने (1) से (4) में अर्जित भूमि की, अनुसूची के खाने (6) में उनके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता पड़ने के अनुसार इसके द्वारा संबंधित व्यक्तियों को इसके द्वारा, अनुसूची के खाने (5) में उल्लिखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 4 की उपधारा (2) द्वारा दी गई शक्तियों को प्रयोग करने के लिये प्राधिकृत करता है. राज्य शासन यह भी निर्देश देता है कि उक्त अधिनियम के धारा 5-अ के उपबंध उक्त भूमि के संबंध में लागू नहीं होंगे, क्योंकि उसकी राय में उक्त अधिनियम की धारा 17 की उपधारा (1) के उपबंध उसके संबंध में लागू होते हैं :—

अनुसूची

भूमि का वर्णन				धारा 4(2) के अन्तर्गत	सार्वजनिक प्रयोजन
जिला	तहसील	नगर/ग्राम	लगभग क्षेत्रफल (हेक्टर में)	प्राधिकृत अधिकारी	का वर्णन
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
रीवा	हुजूर	खम्हरिया	0.103	कार्यपालन यंत्री, अपर पुरवा नहर संभाग-रीवा (म. प्र.).	बाणसागर परियोजना के अन्तर्गत चचाई वितरक नहर के खम्हरिया सबमाइनर नं. 2 में आने वाली भूमि के लिए भूमि पर स्थित संपत्तियों का अर्जन.

भूमि का नक्शा (प्लान) का निरीक्षण, प्रशासक बाणसागर परियोजना, रीवा के कार्यालय में किया जा सकता है.

क्र. 1083-भू-अर्जन-2010-11.—चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने (1) से (4) में अर्जित भूमि की, अनुसूची के खाने (6) में उनके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता पड़ने के अनुसार इसके द्वारा संबंधित व्यक्तियों को इसके द्वारा, अनुसूची के खाने (5) में उल्लिखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 4 की उपधारा (2) द्वारा दी गई शक्तियों काो प्रयोग करने के लिये प्राधिकृत करता है. राज्य शासन यह भी निर्देश देता है कि उक्त अधिनियम के धारा 5-अ के उपबंध उक्त भूमि के संबंध में लागू नहीं होंगे, क्योंकि उसकी राय में उक्त अधिनियम की धारा 17 की उपधारा (1) के उपबंध उसके संबंध में लागू होते हैं :—

अनुसूची

भूमि का वर्णन				धारा 4(2) के अन्तर्गत	सार्वजनिक प्रयोजन
जिला	तहसील	नगर/ग्राम	लगभग क्षेत्रफल (हेक्टर में)	प्राधिकृत अधिकारी	का वर्णन
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
रीवा	हुजूर	लपटा	0.043	कार्यपालन यंत्री, अपर पुरवा नहर संभाग-रीवा (म. प्र.).	बाणसागर परियोजना के अन्तर्गत चचाई वितरक नहर के अमवा सबमाइनर नं. 1 में आने वाली भूमि के लिए भूमि पर स्थित संपत्तियों का अर्जन.

भूमि का नक्शा (प्लान) का निरीक्षण, प्रशासक बाणसागर परियोजना, रीवा के कार्यालय में किया जा सकता है.

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
बी. बी. श्रीवास्तव, प्रशासक एवं पदेन उपसचिव.

कार्यालय, कलेक्टर, जिला रायसेन, मध्यप्रदेश एवं पदेन उपसचिव, मध्यप्रदेश शासन, राजस्व विभाग

रायसेन, दिनांक 1 जुलाई 2011

प्र. क्र. 8-अ-82-10-11.—चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि अनुसूची के खाने (1) से (4) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के खाने (6) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक एक, सन् 1894) की धारा 4 की उपधारा (1) के उपबंधों के अनुसार इसके द्वारा सभी संबंधित व्यक्तियों को इस आशय की सूचना दी जाती है. राज्य शासन इसके द्वारा अनुसूची के खाने 5 में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 4 की उपधारा (2) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिये प्राधिकृत करता है:—

अनुसूची

भूमि का वर्णन						धारा 4 (2) के अंतर्गत प्राधिकृत अधिकारी	सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन
जिला	तहसील	नगर/ग्राम	लगभग क्षेत्रफल (एकड़ में)				
(1)	(2)	(3)	(4)			(5)	(6)
			ख. न.	रकबा	अर्जित किया जाने वाला रकबा (एकड़ में)		
रायसेन	गौहरगंज	कनोरा	37/2	625	2.40	कार्यपालन यंत्री, लोक निर्माण विभाग सेतु निर्माण भोपाल संभाग, भोपाल.	पुल एवं पहुंच मार्ग के निर्माण हेतु.
				योग . .	2.40		

टीप.—भूमि का नक्शा (प्लान) एवं अर्जित की जाने वाली भूमि का विवरण अनुविभागीय अधिकारी, गौहरगंज के कार्यालय में देखा जा सकता है.

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
एस. सी. शुक्ला, कलेक्टर एवं पदेन उपसचिव.

कार्यालय, कलेक्टर, जिला भोपाल, मध्यप्रदेश एवं पदेन उपसचिव, मध्यप्रदेश शासन, राजस्व विभाग

भोपाल, दिनांक 1 जुलाई 2011

प्र. क्र.16-भू.अ.-अ-82-10-11-सात-1.—चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने (1) से (4) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के खाने (6) में उसके सामने दिये गये प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक एक, सन् 1894) की धारा 4 की उपधारा (1) के उपबंधों के अनुसार सभी व्यक्तियों को, इसके द्वारा इस आशय की सूचना दी जाती है. राज्य शासन, इसके द्वारा, अनुसूची के खाने (5) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 4 की उपधारा (2) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिये प्राधिकृत करता है :—

अनुसूची

भूमि का वर्णन					धारा 4 (2) के अन्तर्गत प्राधिकृत अधिकारी	सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन
जिला	तहसील/ तालुका	नगर/ग्राम का नाम	लगभग क्षेत्रफल खसरा नंबर अर्जित किया जाने वाले है			
			खसरा नं.	रकबा (हे.में.)		
(1)	(2)	(3)	(4)		(5)	(6)
भोपाल	बैरसिया/ भोपाल	छत्तरी	7	0.410	कार्यपालन यंत्री, सम्राट अशोक सागर संभाग क्रमांक 2, विदिशा.	सम्राट अशोक सागर जलाशय का जल स्तर 1504 फिट से 1508 फिट बढ़ाने हेतु.
			8	0.340		
			9	1.000		

(1)	(2)	(3)	(4)		(5)	(6)
			10/2	0.170		
			11/2	0.120		
			12/2	0.050		
			13/2	0.300		
			10/1	0.460		
			11/1	0.940		
			12/1/1	0.360		
			13/1	0.050		
			12/1/2	0.600		
			16/1	0.440		
			16/3	0.200		
			17/1	0.260		
			17/3	0.870		
			16/2	0.780		
			17/2	0.620		
			19	0.600		
			20	0.360		
			योग :	8.930		

भूमि का नक्शा (प्लान) अनुविभागीय अधिकारी राजस्व तहसील बैरसिया जिला भोपाल कार्यालय में देखा जा सकता है.

प्र. क्र.17-भू.अ.-ए-82-10-11-सात-1.—चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने (1) से (4) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के खाने (6) में उसके सामने दिये गये प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक एक, सन् 1894) की धारा 4 की उपधारा (1) के उपबंधों के अनुसार सभी व्यक्तियों को, इसके द्वारा इस आशय की सूचना दी जाती है. राज्य शासन, इसके द्वारा, अनुसूची के खाने (5) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 4 की उपधारा (2) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिये प्राधिकृत करता है :—

अनुसूची

भूमि का वर्णन					धारा 4 (2) के अन्तर्गत	सार्वजनिक प्रयोजन
जिला	तहसील/ तालुका	नगर/ग्राम का नाम	लगभग क्षेत्रफल खसरा नंबर अर्जित किया जाने वाले है खसरा नं.	रकबा (हे.में.)	प्राधिकृत अधिकारी	का वर्णन
(1)	(2)	(3)	(4)		(5)	(6)
भोपाल	बैरसिया/ भोपाल	चीलखेड़ा	8	1.000	कार्यपालन यंत्री, सम्राट अशोक सागर संभाग क्रमांक 2, विदिशा.	सम्राट अशोक सागर जलाशय का जल स्तर 1504 फिट से 1508 फिट बढ़ाने हेतु.
			9	1.000		
			10	0.700		
			11	0.310		
			13	0.440		
			15	1.610		
			17	0.280		
			67/21	0.250		
			34	1.390		
			35	1.700		
			36	2.000		

(1)	(2)	(3)	(4)		(5)	(6)
			21/2	0.740		
			22/2/2	0.260		
			21/1	3.170		
			22/1	0.050		
			23/1	0.700		
			19	0.480		
			22/2/1	1.000		
			22/2/3	0.300		
			23/2/1	0.945		
			25	0.600		
			27	0.620		
			28	0.420		
			29	1.000		
			30	0.570		
			31	1.000		
			32	0.560		
			33	0.530		
			50	0.430		
			43	0.160		
			44	0.160		
			48	0.110		
			46	0.150		
			49	1.320		
			51	0.200		
			59	0.330		
			53	0.280		
			54	0.640		
			57	0.210		
			58	1.010		
			61/1	0.290		
			61/2	0.295		
			63/1/1	0.840		
			63/1/2	0.800		
			63/2	1.200		
			योग :	32.050		

भूमि का नक्शा (प्लान) अनुविभागीय अधिकारी राजस्व तहसील बैरसिया जिला भोपाल के कार्यालय में देखा जा सकता है.

प्र. क्र.18-भू.अ.-ए-82-10-11-सात-1.—चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने (1) से (4) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के खाने (6) में उसके सामने दिये गये प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक एक, सन् 1894) की धारा 4 की उपधारा (1) के उपबंधों के अनुसार सभी व्यक्तियों को, इसके द्वारा इस आशय की सूचना दी जाती है. राज्य शासन, इसके द्वारा, अनुसूची के खाने (5) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के

संबंध में उक्त धारा 4 की उपधारा (2) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिये प्राधिकृत करता है :—

अनुसूची

भूमि का वर्णन					धारा 4 (2) के अन्तर्गत	सार्वजनिक प्रयोजन
जिला	तहसील/ तालुका	नगर/ग्राम का नाम	लगभग क्षेत्रफल खसरा नंबर अर्जित किया जाने वाले है		प्राधिकृत अधिकारी	का वर्णन
			खसरा नं.	रकबा (हे.में.)		
(1)	(2)	(3)	(4)		(5)	(6)
भोपाल	बैरसिया/ भोपाल	पिपलिया जुन्नारदार	151	1.330	कार्यपालन यंत्री, सम्राट अशोक सागर संभाग क्रमांक 2, विदिशा.	सम्राट अशोक सागर जलाशय का जल स्तर 1504 फिट से 1508 फिट बढ़ाने हेतु.
			152	0.080		
			153	0.260		
			154	0.080		
			170	0.310		
			171	0.740		
			169	1.640		
			155	0.050		
			156	0.100		
			162	0.060		
			163	2.150		
			167	0.210		
			90	1.210		
			157	0.860		
			158	0.060		
			159	0.040		
			160	0.420		
			161	0.040		
			164	0.060		
			165	0.040		
			166	0.090		
			168	0.880		
			26	0.270		
			27	0.280		
			24	0.090		
			68	0.190		
			70	0.100		
			71	0.030		
			77	0.240		
			72	0.260		
			88	2.030		
			87	2.000		
			89	3.020		
			योग :	19.220		

भूमि का नक्शा (प्लान) अनुविभागीय अधिकारी राजस्व तहसील बैरसिया जिला भोपाल के कार्यालय में देखा जा सकता है.

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
निकुंजकुमार श्रीवास्तव, कलेक्टर एवं पदेन उपसचिव.

राजस्व विभाग

कार्यालय, कलेक्टर, जिला सिवनी, मध्यप्रदेश एवं पदेन उपसचिव, मध्यप्रदेश शासन, राजस्व विभाग

सिवनी, दिनांक 31 मई 2011

क्र. 4003-जि.भू.अ.-2011.—चूंकि, राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है, कि नीचे दी गई अनुसूची के पद (1) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के पद (2) में उल्लेखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है. अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक एक सन् 1894) की धारा 6 के अन्तर्गत, इसके द्वारा, यह घोषित किया जाता है, उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिए आवश्यकता है:—

अनुसूची

(1) भूमि का वर्णन—

(क) जिला—सिवनी

(ख) तहसील—सिवनी रा.नि.मं. भोमा

(ग) ग्राम—बोथिया ब.नं. 437, प.ह.नं.-17/20

(घ) लगभग क्षेत्रफल—1.10 हेक्टर.

खसरा नम्बर	अर्जित रकबा (हेक्टर में)
अशासकीय भूमि	
(1)	(2)
24/2	0.02
27	0.16
28/1	0.05
28/3	0.27
32/2	0.32
41	0.08
योग . .	0.90
शासकीय भूमि	
42	0.02
40	0.09
37	0.08
35	0.01
योग . .	0.20

(2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिये आवश्यकता है:—बोथिया जलाशय की नहर निर्माण कार्य हेतु.

(3) भूमि के नक्शे (प्लान) का निरीक्षण कार्यालय कलेक्टर (भू-अर्जन) सिवनी में किया जा सकता है.

क्र. 4004-जि.भू.अ.-2011.—चूंकि, राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है, कि नीचे दी गई अनुसूची के पद (1) में वर्णित भूमि की अनुसूची के पद (2) में उल्लेखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है. अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक एक सन् 1894) की धारा 6 के अन्तर्गत इसके द्वारा यह घोषित किया जाता है, उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिए आवश्यकता है:—

अनुसूची

(1) भूमि का वर्णन—

(क) जिला—सिवनी

(ख) तहसील—सिवनी रा.नि.मं. भोमा

(ग) ग्राम—भाटीवाड़ा ब.नं. 452, प.ह.नं.-23,

(घ) लगभग क्षेत्रफल—5.75 हेक्टर.

खसरा नम्बर	अर्जित रकबा (हेक्टर में)
अशासकीय भूमि	
(1)	(2)
313	0.22
316/1	0.14
352	0.18
62	0.14
5/1	0.45
158	0.03
351	0.11
349	0.16
348	0.12
61	0.14
315	0.02
55/1	0.02
53	0.45
49	0.18
6/1	0.45
45	0.45
50/1	0.08
50/2	0.05
38/2	0.38
46/3	0.02
46/4	0.27
42/1	0.22
341	0.24
39	0.38
35	0.01
योग . .	5.05

(1)	(2)
शासकीय भूमि	
169	0.03
56	0.62
312	0.01
75	0.02
315	0.02
कुल योग . .	0.70

(2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिये आवश्यकता है:—बोथिया जलाशय की नहर निर्माण कार्य हेतु.

(3) भूमि के नक्शे (प्लान) का निरीक्षण, कार्यालय कलेक्टर (भू-अर्जन) सिवनी में किया जा सकता है.

क्र. 4005-जि.भू.अ.-2011.—चूंकि, राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है, कि नीचे दी गई अनुसूची के पद (1) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के पद (2) में उल्लेखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है. अत: भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक एक सन् 1894) की धारा 6 के अन्तर्गत, इसके द्वारा, यह घोषित किया जाता है, उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिए आवश्यकता है:—

अनुसूची

(1) भूमि का वर्णन—

(क) जिला—सिवनी

(ख) तहसील—सिवनी रा.नि.मं. भोमा

(ग) ग्राम—सरगापुर ब.नं. 537, प.ह.नं.-23,

(घ) लगभग क्षेत्रफल—0.90 हेक्टर.

खसरा नम्बर	अर्जित रकबा (हेक्टर में)
अशासकीय भूमि	
(1)	(2)
2	0.02
14/1	0.27
13	0.25
05	0.26
कुल योग . .	0.80
शासकीय भूमि	
01	0.05
04	0.05
कुल योग . .	0.10

(2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिये आवश्यकता है:—बोथिया जलाशय की नहर निर्माण कार्य हेतु.

(3) भूमि के नक्शे (प्लान) का निरीक्षण, कार्यालय कलेक्टर (भू-अर्जन) सिवनी में किया जा सकता है.

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
बी. एस. कुलेश, कलेक्टर एवं पदेन उपसचिव.

कार्यालय, कलेक्टर, जिला दतिया, मध्यप्रदेश एवं पदेन उपसचिव, मध्यप्रदेश शासन, राजस्व विभाग

दतिया, दिनांक 7 जून 2011

क्र. 20-अ-82-2010-11.—चूंकि, राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है, कि नीचे दी गई अनुसूची के खाने (1) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के खाने (2) में उल्लेखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है. अत: भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक एक सन् 1894) की धारा 6 के अन्तर्गत, इसके द्वारा, यह घोषित किया जाता है, उक्त भूमि की सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है:—

अनुसूची

(1) भूमि का वर्णन—

(क) जिला—दतिया

(ख) तहसील—दतिया

(ग) ग्राम—बडौनकला

(घ) लगभग क्षेत्रफल—11.99 हेक्टर.

खसरा नम्बर	अर्जित रकबा (हेक्टर में)
(1)	(2)
1256	0.18
1292	0.15
1293	0.05
1294	0.03
1295	0.13
1296	0.06
1300	0.09
1347	0.02
1349	0.10
1350	0.09
1351	0.06
1493	0.05
1494	0.02
1499	0.09
1500/2	0.01
1505	0.15
1506	0.21

(1)	(2)
1510	0.11
1511	0.12
1512	0.06
1531	0.01
1532	0.10
1533	0.17
1666	0.06
1667	0.19
1669	0.10
1670	0.19
1680	0.11
1681	0.08
1683/1	0.05
1683/2	0.03
1743	0.19
1744	0.05
1746	0.23
1760	0.18
1835	0.04
1837	0.01
1846	0.13
1847	0.32
1852	0.16
1853	0.17
1858	0.16
1860	0.22
1875	0.32
1880	0.11
1881	0.12
1882	0.02
1887	0.05
1888	0.05
1889	0.03
1891	0.26
1892	0.05
1907	0.02
1909	0.01
2365	0.07
2367	0.01
2368	0.21
2372	0.16
2382	0.19
2383	0.15
2384	0.17
2390	0.19
2408	0.28
2409/1	0.05
2409/2	0.02
2416	0.24
2426	0.18
2427	0.21
2436	0.21
2447	0.28
2448	0.04
2449	0.06
2450	0.05
2451	0.01
2454	0.02
2455	0.17
2471	0.14
2472	0.30
2473	0.22
2495	0.08
2496	0.22
2498	0.10
2560	0.18
2561	0.19
2564/1	0.10
2565	0.32
2574	0.20
2584	0.14
2585	0.08
2586	0.09
2587	0.09
2588	0.07
2593	0.01
2594	0.05
2595	0.22
2596	0.19
2600	0.06
2601	0.10
2602	0.10
कुल योग . .	11.99

(2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिये आवश्यकता है:—सिंध परियोजना आर.बी.सी. को (महुअर नदी पश्चात्) की डी-9 डिस्ट्रीब्यूटरी की शाखा एल.एम.-1, एल.एम.-4, एल.एम.-5 नहरों के निर्माण हेतु.

(3) भूमि का नक्शा (प्लान) भू-अर्जन अधिकारी, भू-अर्जन शाखा कलेक्ट्रेट दतिया के कार्यालय में देखा जा सकता है.

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,

जयश्री कियावत, कलेक्टर एवं पदेन उपसचिव.

कार्यालय, कलेक्टर, जिला खरगोन, मध्यप्रदेश एवं पदेन उपसचिव, मध्यप्रदेश शासन, राजस्व विभाग

खरगोन, दिनांक 10 जून 2011

क्र. 934-भू-अर्जन-11.—चूंकि, राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है, कि नीचे दी गई अनुसूची के पद (1) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के पद (2) में उल्लेखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है. अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक एक सन् 1894) की धारा 6 के अन्तर्गत, इसके द्वारा, यह घोषित किया जाता है, उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिए आवश्यकता है:—

भू-अर्जन की अतिआवश्यकता की घोषणा के संबंध में आयुक्त इन्दौर संभाग इन्दौर के पत्र क्रमांक-233-05-कोर्ट-11-इन्दौर दिनांक 21 मार्च 2011 से अधिनियम की धारा 17(1) सह 17(4) की अर्जेन्सी क्लाज की अनुमति प्राप्त है.

अनुसूची

(1) भूमि का वर्णन—

(क) जिला—खरगोन
(ख) तहसील—महेश्वर
(ग) ग्राम का नाम —पथराड़ खुर्द
(घ) लगभग क्षेत्रफल—42.707 हेक्टर.

खसरा नम्बर	रकबा (हेक्टर में)
(1)	(2)
139 पै	0.080
146	0.121
147	0.125
266	0.081
300	0.032
148, 149	0.513
282, 283	0.688
237/4	0.024
263	0.061
86	0.121
88	1.062
218/1 पै, 218/2 पै	0.340
219/2	0.317
262	0.138
272/14	0.101
72/8	0.121
77/4	0.121
81/2	0.129
84/1	0.554
85/2	0.563
87	0.036
164 पै	1.150
167	0.332
291	0.089
173/3 पै	0.400
276/2, 277/2	0.073
128, 129	0.729
215 पै	0.300
265	0.178
156/2 पै	0.080
258	0.040
272/13	0.077
307, 308/3	0.113
54/1 पै	0.550
67, 68	0.619
73, 74	1.137
252	0.077
255/2, 278	0.117
169/1	0.081
169/3, 170 पै	1.060
257/2	0.044
286/1	0.053
237/6	0.016
297, 299/2	0.073
166/1	0.486

(1)	(2)
272/7	0.052
150/2 पै	0.020
72/3	0.243
72/6	0.081
77/2	0.243
143/2, 144	1.416
272/8	0.166
142	0.845
272/4, 273, 298/2	0.089
140/1 पै	0.330
305/1	0.049
55/1 पै	0.040
55/2 पै	0.340
133/2	0.251
296/3	0.024
57/2	0.263
126/3	0.073
216/1 पै	0.210
132/1, 132/2	0.821
133/1	0.554
134/1	0.587
296/1	0.049
253	0.105
272/12 क	0.069
27/2 पै, 27/3 पै, 28/2 पै, 28/3 पै	0.110
260/1	0.032
288/2	0.020
271	0.101
272/6	0.024
71/2	0.190
72/1	0.720
244/2	0.040
246	0.275
130/1, 134/2	0.853
130/2, 134/3	0.506
257/1	0.045
72/2	0.263
72/5	0.081
75/1/1	0.260
77/1	0.162
165 पै	0.100
75/2	0.255
90	0.227
299/4	0.016
145/3, 145/4	0.235
251	0.065
62/1 पै, 62/2	0.200
153 पै	0.400
140/2 पै	0.440
141	0.849
227/2	0.672
54/2	0.303
54/3	0.304
63/1, 63/2	0.809
75/1/3	0.097
80/2, 82/3	0.405
84/5	0.081
96/1 पै	0.240
288/3	0.057
161/5 पै, 162/1 पै, 163/1 पै	0.596
84/2	0.316
145/2	0.145
288/5	0.020
138/2	0.401
301	0.106

(1)	(2)
313	0.089
314	0.073
52 पै	0.340
81/1	0.134
83/1, 83/2, 85/1	0.745
84/4	0.081
84/3	0.081
93/2 पै	0.210
166/2	0.482
272/18	0.053
272/11	0.101
276/1	0.097
272/12 ग	0.032
75/1/2	0.218
152	0.518
154	0.251
173/2 पै	0.240
264, 272/3, 272/5	0.223
94/1 पै, 95/1 पै	0.190
96/2 पै	0.130
72/4	0.122
72/7	0.041
77/3	0.122
272/15	0.016
298/3	0.077
69, 70, 71/1	0.939
254/2	0.085
64/2	1.239
122/9 पै	0.030
56/2	0.287
126/1	0.097
131/1	0.295
131/3	0.300
277/5, 289/2	0.069
294, 299/3	0.113
178 पै	1.260
122/4 ख पैकी	0.310
286/2	0.052
295	0.105
64/1	0.530
256	0.049
177 पै	0.750
272/2, 272/17	0.057
292	0.121
योग . .	42.707

(2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिये भूमि की आवश्यकता है:—महेश्वर जल विद्युत् परियोजना के डूब क्षेत्र में आने के कारण.

(3) भूमि का नक्शा (प्लान) 1. कलेक्टर जिला खरगोन, 2.भू-अर्जन अधिकारी महेश्वर जल विद्युत परियोजना मण्डलेश्वर मुख्यालय खरगोन, 3. कार्यपालन अभियंता (सिविल) महेश्वर जल विद्युत् परियोजना/म.प्र.रा.वि.मं., मण्डलेश्वर, 4. महाप्रबंधक, श्री महेश्वर हायडल पॉवर कार्पोरेशन लिमि., मण्डलेश्वर के कार्यालय में अवलोकन किया जा सकता है.

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
केदार शर्मा, कलेक्टर एवं पदेन उपसचिव.

खरगोन, दिनांक 25 जून, 2011

क्र. 996-भू-अर्जन-11.—चूंकि, राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है, कि नीचे दी गई अनुसूची के पद (1) में वर्णित भूमि की अनुसूची के पद (2) में उल्लेखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है. अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक एक, सन् 1894) की धारा 6 के अन्तर्गत इसके द्वारा यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिए आवश्यकता है:—

अनुसूची

(1) भूमि का वर्णन—

(क) जिला—खरगोन

(ख) तहसील—भीकनगांव

(ग) ग्राम—पचम्बा

(घ) लगभग क्षेत्रफल—11.582 हेक्टर.

खसरा नम्बर		रकबा (हेक्टर में)
(1)		(2)
46		0.283
48		1.963
49		2.222
50/1		0.437
52/1, 52/2	1	0.809
52/1, 52/2	2	0.534
54/1		1.262
54/2		1.012
54/3		1.741
54/4		0.495
54/5		0.358
55		0.466
योग . .		11.582

(2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिये भूमि की आवश्यकता है:—लाखापुरा तालाब के शीर्ष कार्य निर्माण हेतु डूब भूमि की आवश्यकता.

(3) भूमि का नक्शा (प्लान) कलेक्टर खरगोन भू-अर्जन अधिकारी एवं अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व) भीकनगांव व कार्यपालन यंत्री, जल संसाधन संभाग, खरगौन के कार्यालय में अवलोकन किया जा सकता है.

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
अशोक कुमार शर्मा, कलेक्टर एवं पदेन उपसचिव.

कार्यालय, कलेक्टर, जिला सागर, मध्यप्रदेश एवं पदेन उपसचिव, मध्यप्रदेश शासन, राजस्व विभाग

सागर, दिनांक 15 जून 2011

क्र. 4795-(क) प्र. भू-अर्जन-2011.—चूंकि, राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है, कि नीचे दी गई अनुसूची के पद (1) में वर्णित भूमि की अनुसूची के पद (2) में उल्लेखित भूमि सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है. अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक एक, सन् 1894) की धारा 6 के अन्तर्गत इसके द्वारा यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है:—

अनुसूची

(1) भूमि का वर्णन—

(क) जिला—सागर

(ख) तहसील—मालथौन

(ग) ग्राम—अटाकर्नेलगढ़

(घ) लगभग क्षेत्रफल—6.96 हेक्टर.

खसरा नम्बर	क्षेत्रफल (हेक्टर में)
(1)	(2)
46/1	0.21
164/1	0.16
44/2	0.01
46/2	0.14
164/2	0.02
36/1	0.20
42/2	0.26
38/2	0.16
34	0.03
42/3	0.04
37	0.15
35	0.34
231	0.05
36/2	0.14
33	1.60
160	0.12
225	0.19
174	0.04
162	0.24
158	0.03
161/1	0.03
171/1	0.22
172/2	0.05
173	0.06
175	0.01
169	0.09
155	0.04
161/2	0.03
171/2	0.15

(1)	(2)
223/1	0.16
170	0.18
41	0.33
45	0.50
166	0.40
165	0.05
223/2	0.03
230/1	0.15
232/1	0.01
228	0.08
230/2	0.12
229	0.13
232/2	0.01
योग . .	6.96

(2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिये भूमि की आवश्यकता है:—सागर ललितपुर मार्ग पर ग्राम अटाकर्नेलगढ़ में अंतर्राज्यीय एकीकृत जांच चौकी निर्माण कार्य हेतु.

(3) भूमि का नक्शा (प्लान) अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व) खुरई में देखा जा सकता है.

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
ई. रमेश कुमार, कलेक्टर एवं पदेन उपसचिव.

कार्यालय, कलेक्टर, जिला रतलाम, मध्यप्रदेश एवं पदेन उपसचिव, मध्यप्रदेश शासन, राजस्व विभाग

रतलाम, दिनांक 20 जून 2011

संशोधन

क्र. 3155-भू-अर्जन.-2011-प्र. क्र. 4-अ-82-2010-11.—चूंकि, राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है, कि नीचे दी गई अनुसूची के पद (1) में वर्णित भूमि की अनुसूची के पद (2) में उल्लेखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है. अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक एक, सन् 1894) की धारा 6 के अन्तर्गत इसके द्वारा यह घोषित किया जाता है कि उल्लेखित भूमि की उक्त प्रयोजन के लिए आवश्यकता है:—

अनुसूची

(1) भूमि का वर्णन—

(क) जिला—रतलाम
(ख) तहसील—पिपलोदा
(ग) नगर/ग्राम—पाड़लिया हसन
(घ) लगभग क्षेत्रफल—2.104 हेक्टर.

सर्वे नम्बर	रकबा (हेक्टर में)
(1)	(2)
268/1	0.240
125/2	0.310
125/3	0.390
286/6	0.328
278	0.070
308/1/3	0.100
308/6	0.006
399	0.200
308/2	0.100
309	0.040
310	0.020
308/4	0.020
308/5	0.030
283	0.030
285/1	0.030
288/2	0.030
286/3	0.030
286/4	0.030
289/1	0.060
283/423	0.040
योग . .	2.104

(2) सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन.—लेबड़ नयागांव एन. एच. (79) मार्ग के फोरलेन में छूटे गये सर्वे नम्बरों की भूमि का अर्जन.

(3) भूमि का नक्शा व (प्लान) का निरीक्षण, अनुविभागीय अधिकारी एवं भू-अर्जन अधिकारी, उपखण्ड जावरा के कार्यालय में किया जा सकता है.

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
राजेन्द्र शर्मा, कलेक्टर एवं पदेन उपसचिव.

कार्यालय, कलेक्टर, जिला छतरपुर, मध्यप्रदेश एवं पदेन उपसचिव, मध्यप्रदेश शासन, राजस्व विभाग

छतरपुर, दिनांक 22 जून 2011

प्र. क्र. 82-अ-82-10-11.—चूंकि, राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है, कि नीचे दी गई अनुसूची के पद (1) में वर्णित भूमि की अनुसूची के पद (2) में उल्लेखित भूमि की सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है. अत: भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक एक सन् 1894) की धारा 6 के अन्तर्गत इसके द्वारा यह घोषित किया जाता है, कि उक्त भूमि की सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है:—

अनुसूची

(1) भूमि का वर्णन—

(क) जिला—छतरपुर

(ख) तहसील—गौरिहार

(ग) ग्राम—खड्डी

(घ) लगभग क्षेत्रफल निजी भूमि —0.130 हेक्टर.

खसरा नम्बर	अर्जित रकबा (हेक्टर में)
(1)	(2)
4231	0.130
कुल . .	0.130

(2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिये भूमि की आवश्यकता है:—चन्दला सरबई मटोंध मार्ग पर केल पुल पहुंच मार्ग किलोमीटर 31/4 (पूरक प्रकरण) सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है.

(3) भूमि का नक्शों (प्लान) का निरीक्षण भू-अर्जन अधिकारी एवं अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व) लौंड़ी में किया जा सकता है.

प्र. क्र.-01-82-अ-82-2010-11.—चूंकि, राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है, कि नीचे दी गई अनुसूची के पद (1) में वर्णित भूमि की अनुसूची के पद (2) में उल्लेखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है. अत: भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक एक सन् 1894) की धारा 6 के अन्तर्गत इसके द्वारा यह घोषित किया जाता है, कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिए आवश्यकता है:—

अनुसूची

(1) भूमि का वर्णन—

(क) जिला—छतरपुर

(ख) तहसील—राजनगर

(ग) नगर/ग्राम—बसारी

(घ) लगभग क्षेत्रफल —35.357 हेक्टर.

खसरा नम्बर	अर्जित रकबा (हेक्टर में)
(1)	(2)
1143/2	0.100
1144	0.075
1145	0.089
1149	0.085
1150	0.100
1142/2	0.480
1143/1/2	0.205
1160/1	0.005
1164/1	0.055
1141	0.450
1140	0.660
1139	0.030
1138/2	0.050
1170	0.150
1171/2	0.200
1172	0.150
1171/1	0.290
1087	0.350
1220	0.110
1086	0.470
1046	0.010
1045/1	0.270
1085	0.730
1218	0.610
1233/1	0.080
1237/1	0.050
1237/2	0.050
1230/1	0.020
1026	0.134
1031/1	1.896
1228	0.090
1225	0.410
1227/1	0.795
1224/1	0.250
1227/2	0.305
1317/1	0.480
1317/2	0.400

(1)	(2)	(1)	(2)
1319	0.060	2832/2	0.137
1318	0.060	2831/2	0.003
1340/2	0.400	2836/2	0.108
1341/1	0.170	2831/3	0.006
1340/3	0.400	2833/3	0.190
1341/2	0.170	2832/3	0.275
1397	0.120	2836/3	0.215
1398/2	0.010	2950/1	0.070
1342	0.250	2949	0.090
1380	0.360	3001	0.800
1381	0.240	3013/1/1	0.385
1343	0.240	3011/1	0.075
1393	0.090	3012/1	0.045
1391	0.160	3013/1/2	0.385
1392	0.150	3011/2	0.060
1363	1.390	3012/2	0.044
1364	0.060	3005/1	0.025
1344	0.400	3007	0.600
1345	0.500	3010	0.580
1369/1	0.247	3022	0.690
1346/1	0.450	3025	0.600
1367	0.240	3028/1	0.305
1370	0.010	3034/1	0.594
1371	0.012	3035/1	0.045
1368	0.008	3034/3	0.594
1378	0.340	3035/3	0.045
1379	0.032	3036	0.080
1717	0.050	3037	1.000
1718	0.080	3039	0.180
1748	0.140	3042	0.640
1749	0.460	3046	0.960
1750	0.039	3044	0.965
1751	0.420	3045	0.085
1753	0.450	1089	0.070
1754	0.016	3027/1/1	0.320
2833/1	0.095	3027/1/3	0.400
2832/1	0.138	3041/1	0.940
2831/1	0.003	3041/2	0.470
2836/1	0.107	1207	0.230
2833/2	0.095	1208	0.030

(1)	(2)
1346/2	0.430
1369/2	0.247
1716	0.900
2953/3अ	0.320
2953/2/2अ	0.200
2953/2/3अ	0.200
2953/2/1अ	0.240
1148	0.015
3008	0.025
1088	0.070
1226	0.028
योग . .	35.357

(2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिये भूमि की आवश्यकता है:—ललितपुर-खजुराहो नई बड़ी रेल लाईन निर्माण हेतु.

(3) भूमि का नक्शा (प्लान) का निरीक्षण भू-अर्जन अधिकारी/अनुविभागीय अधिकारी, राजनगर के कार्यालय में किया जा सकता है.

प्र. क्र.-02-82-अ-82-2010-11.—चूंकि, राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है, कि नीचे दी गई अनुसूची के पद (1) में वर्णित भूमि की अनुसूची के पद (2) में उल्लेखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है. अत: भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक एक सन् 1894) की धारा 6 के अन्तर्गत इसके द्वारा यह घोषित किया जाता है, कि उक्त भूमि की उक्त प्रयेजन के लिए आवश्यकता है:—

अनुसूची

(1) भूमि का वर्णन—

(क) जिला—छतरपुर
(ख) तहसील—राजनगर
(ग) नगर/ग्राम—कदौहाँ
(घ) लगभग क्षेत्रफल —36.625 हेक्टर.

खसरा नम्बर	अर्जित रकबा (हेक्टर में)
(1)	(2)
95	0.150
96/3	0.275
96/4	0.075
115/1	0.330
117	0.630
118	0.850
144	2.620
147	1.450
148	0.050
149	1.500
150	0.117
151	0.109
153	0.530
154	0.630
160	0.100
161	0.015
813	1.345
1955	0.030
485	0.100
486	0.030
511	0.250
527	0.055
512	0.057
513	0.142
514	0.089
515	0.050
516	0.018
519	0.105
520	0.154
521	0.012
522	0.057
523	0.040
524	0.015
525	0.003
526	0.100
531	0.030
780	0.030
812	0.120
814	0.739
818	0.015
819	0.016
820	0.015
822	0.010
953	0.880

(1)	(2)	(1)	(2)
1084	0.160	1947	0.280
1085	0.750	1948	0.440
954	0.160	1953	0.270
955	0.100	1957/1ख	0.225
956	0.117	1957/2	0.550
957	0.140	1956/3/1	0.540
958	0.030	1973/1/1	0.100
959	0.009	1045	0.340
961	0.300	1956/3/2	0.540
962	0.010	1973/1/2	0.400
963	0.405	1048	0.050
1044	0.290	1049/1	0.147
1049/2	0.140	1050/1	0.100
1050/2	0.012	2307	0.095
1956/3/3	0.940	2310	0.190
1086	0.100	2313	0.001
1062	0.150	2316	0.138
1063	0.002	2321	0.175
1070	0.045	2326	0.093
1071	0.340	2324	0.146
1072	0.065	2311	0.200
1079	0.540	2314	0.001
1080	0.134	2315	0.105
1956/2	0.540	2327	0.097
1074/1	0.200	2328	0.045
1075/1	0.111	2312	0.107
1076/1	0.194	2317	0.154
1077/1	0.015	2320	0.045
1909/1	0.008	2325	0.040
1074/2	0.038	2330/1	0.297
1075/2	0.112	2330/2	0.040
1076/2	0.106	2332/2	0.060
1081	0.180	2331	0.770
1930	0.002	1805/2	0.030
1931	0.005	1806	0.110
1933	0.240	1808	0.075
1936	0.800	1807	0.580
1940/1	0.400	1787	1.270
1940/2	0.700	1810/4	0.050
1946/1	0.030	1809/2	0.230
1952/1	0.190	1809/1	0.230

(1)	(2)
1810/3	0.060
1809/3	0.020
1810/1	0.320
1810/2	0.060
1813/1	0.040
1689	0.050
1690	0.166
1704	0.050
1706	0.160
1708	0.002
1709	0.090
1710	0.109
1711	0.050
1712	0.002
1714	0.003
1715	0.050
1716	0.138
1717	0.113
1718	0.089
1720	0.045
1721	0.089
1722	0.160
1723	0.100
1726	0.030
1727	0.002
1728	0.120
1729	0.089
1730	0.089
1731	0.198
1732	0.117
1733	0.060
1780	0.190
1781	0.045
1789	0.300
1790	0.010
1741/1	0.201
1768/3/1	0.015
1688/1	0.175
1741/2	0.100
1688/2	0.175
1742	0.060
1768/1	0.020
1783	0.060
1661	0.002
1687	0.300
2503/1718	0.097
2505/797	0.100
योग . .	36.625

(2) ललितपुर-खजुराहो नई बड़ी रेल लाईन निर्माण हेतु सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है.

(3) भूमि का नक्शा प्लान का निरीक्षण भू-अर्जन अधिकारी/ अनुविभागीय अधिकारी राजनगर के कार्यालय में किया जा सकता है.

छतरपुर, दिनांक 30 जून 2011

प्र. क्र.-43-अ-82-09-10.---चूंकि, राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है, कि नीचे दी गई अनुसूची के पद (1) में वर्णित भूमि की अनुसूची के पद (2) में उल्लेखित भूमि की सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है. अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक एक सन् 1894) की धारा 6 के अन्तर्गत इसके द्वारा यह घोषित किया जाता है, कि उक्त भूमि की सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है:—

अनुसूची

(1) भूमि का वर्णन—

(क) जिला—छतरपुर

(ख) तहसील—गौरिहार

(ग) ग्राम—चकसरबई

(घ) लगभग क्षेत्रफल निजी भूमि—1.062

खसरा नम्बर	अर्जित रकबा (हेक्टर में)
(1)	(2)
12	0.11
13/2	0.13
14	0.042
20	0.124
21/1	0.008
21/2	0.152
24/1	0.008
24/2	0.008
25/1	0.170

(1)	(2)
25/2	0.010
32	0.062
33	0.075
34	0.118
37/2	0.045
कुल रकवा . .	1.062

(2) बरियारपुर बांयी नहर परियोजना की उमराहा शाखा नहर की सरबई नं. 1 वितरक नहर की किशोरीपुखरी माइनर के निर्माण हेतु सार्वजनिक प्रयोजन के लिए उक्त भूमि की आवश्यकता है.

(3) भूमि के नक्शे (प्लान) का निरीक्षण भू-अर्जन अधिकारी एवं अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व) लौंड़ी में किया जा सकता है.

प्र. क्र.-49-अ-82-09-10.—चूंकि, राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है, कि नीचे दी गई अनुसूची के पद (1) में वर्णित भूमि की अनुसूची के पद (2) में उल्लेखित भूमि की सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है. अत: भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक एक सन् 1894) की धारा 6 के अन्तर्गत इसके द्वारा यह घोषित किया जाता है, कि उक्त भूमि की सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है:—

अनुसूची

(1) भूमि का वर्णन—

(क) जिला—छतरपुर

(ख) तहसील—गौरिहार

(ग) ग्राम—सिंहपुर

(घ) लगभग क्षेत्रफल निजी भूमि—8.276

भू-अर्जन खसरा नम्बर	अर्जित रकबा (हेक्टर में)
(1)	(2)
42/1	0.078
43/1	0.056
44/1	0.104
47	0.010
48	0.032
130	0.074
132/1/2	0.108
132/2	0.028
133/3	0.080
136/1	0.020
137/1	0.010
137/2	0.014
170/1	0.020
170/2/1क	0.095
170/2/1ख	0.045
172/1	0.008
174	0.202
175/6	0.228
175/8/1	0.048
175/8/2	0.046
182	0.078
183/1	0.216
183/2	0.028
183/3	0.084
197	0.258
198/2	0.024
198/3	0.003
198/4	0.032
204/1/1	0.024
204/1/2	0.022
204/1/3	0.042
204/2	0.108
205/1	0.096
205/2	0.136
205/3	0.110
205/4/1	0.016
205/4/2	0.064
205/4/3	0.032
205/4/4	0.036
206/1	0.040
228/2	0.176
229/2	0.040
232	0.232
233	0.096
306	0.210
310	0.252
311	0.096
312	0.116
313	0.110
314	0.360
315	0.172
316/2/1	0.130

(1)	(2)
316/2/2	0.145
317	0.345
335	0.176
337	0.103
338	0.145
339	0.141
340/1	0.020
353	0.285
354	0.040
368	0.235
412/1	0.125
412/2	0.120
417	0.230
418/1	0.205
419/1	0.116
419/2	0.116
419/3	0.120
591	0.024
594	0.089
597	0.272
598/1	0.030
598/2	0.108
598/3	0.108
600/1	0.034
600/2	0.135
603	0.022
607/1	0.042
योग . .	8.276

(2) बरियारपुर बांयी नहर परियोजना की उमराहा शाखा नहर की पचवरा वितरक नहर के निर्माण हेतु सार्वजनिक प्रयोजन के लिए उक्त भूमि की आवश्यकता है.

(3) भूमि के नक्शे (प्लान) का निरीक्षण भू-अर्जन अधिकारी एवं अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व) लौंड़ी में किया जा सकता है.

प्र. क्र.-66-अ-82-09-10.—चूंकि, राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है, कि नीचे दी गई अनुसूची के पद (1) में वर्णित भूमि की अनुसूची के पद (2) में उल्लेखित भूमि की, सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है. अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक एक सन् 1894) की धारा 6 के अन्तर्गत इसके द्वारा यह घोषित किया जाता है, कि उक्त भूमि की सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है:—

अनुसूची

(1) भूमि का वर्णन—

(क) जिला—छतरपुर
(ख) तहसील—गौरिहार
(ग) ग्राम—गोयरा
(घ) लगभग क्षेत्रफल निजी भूमि—10.999

भू-अर्जन खसरा नम्बर	अर्जित रकबा (हेक्टर में)

सिंगारपुर वितरक नहर

(1)	(2)
768	0.160
769	0.007
770/1	0.073
770/2	0.093
770/3	0.044
770/4	0.044
775	0.019
777	0.038
790/1	0.156
790/2	0.104
791/1	0.011
793/1	0.038
794/2	0.068
797	0.146
798	0.263
799	0.078
800/2	0.093
801	0.282
803/2	0.024
804	0.072
योग . .	1.813

कंदैला बांयी माइनर क्र. 1
(सिंगारपुर वितरक नहर)

(1)	(2)
1256	0.345
1257/1	0.070
1257/2	0.161

(1)	(2)
1258	0.021
1260/1	0.029
1260/2	0.016
1261/1	0.025
1261/2	0.097
1262/1	0.026
1266/3	0.096
1266/4	0.010
1266/5	0.020
1267	0.057
1273	0.070
1274/1	0.153
1275	0.080
1276	0.035
1277	0.122
योग . .	1.433

गोयरा माइनर
(रामपुरघाट वितरक नहर)

(1)	(2)
669	0.121
670	0.057
671	0.029
673	0.079
674	0.021
726	0.025
727	0.108
728	0.048
729	0.048
730	0.076
751	0.102
752/1	0.026
752/2	0.031
752/3	0.044
756/2	0.153
759/2/2	0.066
760	0.081
761	0.128
762	0.024
779/1	0.064
779/3	0.022
783	0.067
844	0.096
845	0.036
846/1	0.033
846/2	0.012
847	0.057
853	0.051
854/2	0.028
855	0.006
858/1	0.049
858/2	0.128
876	0.078
877	0.026
878	0.076
879	0.036
880	0.050
881	0.019
954	0.045
2532/868	0.038
योग . .	2.284

माइनर नं.—आर 3 (रामपुरघाट वितरक नहर से)

(1)	(2)
302	0.006
303	0.053
304	0.097
305/3	0.044
517	0.064
519	0.336
525	0.015
526/1	0.102
527	0.077
528	0.057
529	0.115
531	0.081
533	0.150
534	0.016
योग .	.1.213

गोयरा बांयी सब-माइनर नं. 1
(ठकुराइनपुरवा माइनर नं. 2)

(1)	(2)
1821	0.062
1822	0.141
1824/1	0.018
1824/2/1	0.040
1824/2/2	0.041
1824/3	0.088
1825	0.040
1854	0.012
1863/2	0.020
1864	0.076
1865/1	0.108
1865/2	0.090
1879	0.089
1880	0.062
1882	0.014
1883	0.063
1884	0.019
1885	0.037
1886	0.012
1887	0.049
1907	0.048
1908	0.049
2307	0.070
2308	0.140
2310	0.060
2312	0.104
2313	0.072
योग .	.1.624

गोयरा दांयी सब-माइनर नं. 1
(ठकुराइनपुरवा माइनर नं. 2)

(1)	(2)
1795	0.004
1796	0.080
1802	0.048
1803	0.003
1807	0.076
1808	0.008
1812	0.198
1813	0.075
1815	0.112
1816	0.105
1817/1	0.028
1817/2	0.076
1817/3	0.009
1818/1	0.045
1818/2	0.008
1819	0.086
1821	0.041
2395	0.099
2396	0.051
2397	0.051
2398/1	0.070
2398/2	0.070
योग .	.1.343

गोयरा बांयी सब-माइनर नं. 2
(ठकुराइनपुरवा माइनर नं. 2)

(1)	(2)
1848	0.096
1849	0.006
1850	0.014
1857	0.192
1859	0.046
2297/3/1/1	0.128
2297/3/1/2	0.038
2297/3/1/3	0.083
2299	0.102
2300	0.061
2328/2	0.006
2329/1/1	0.007
2329/1/2	0.086
2329/2	0.096
2330	0.024
2331	0.057
2338	0.077
2340	0.116
2341	0.054
कुल योग .	.10.999

(2) बरियारपुर बांयी नहर परियोजना की उमराहा शाखा नहर की सिंगारपुर वितरक नहर एवं कदैला बांयी माइनर एवं रामपुरघाट वितरक नहर की गोयरा, आर-3 माइनर और ठकुरनपुरवा माइनर नं. 2 की गोयरा दांयी सबमाइनर एवं

गोयरा बांयी सबमाइनर क्र. 1 व 2 के निर्माण हेतु सार्वजनिक प्रयोजन के लिए उक्त भूमि की आवश्यकता है.

(3) भूमि के नक्शे (प्लान) का निरीक्षण, भू-अर्जन अधिकारी एवं अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व) लौंड़ी में किया जा सकता है.

प्र. क्र.-68-अ-82-09-10.—चूंकि, राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद (1) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के पद (2) में उल्लेखित भूमि की सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है. अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक एक सन् 1894) की धारा 6 के अन्तर्गत, इसके द्वारा, यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की सार्वजनिक प्रयेजन के लिए आवश्यकता है:—

अनुसूची

(1) भूमि का वर्णन—

(क) जिला—छतरपुर

(ख) तहसील—गौरिहार

(ग) ग्राम—कुर्मिनपुरवा

(घ) लगभग क्षेत्रफल निजी भूमि—1.455 हेक्टर

खसरा नम्बर	अर्जित रकबा (हेक्टर में)
(1)	(2)
गुमानपुर मरकटहार माईनर	
3	0.160
4	0.077
18/1	0.128
18/2	0.051
योग . .	0.416
कुरमिनपुरवा माईनर	
27	0.086
28	0.041
49/1	0.089
49/2	0.032
50/2	0.137
52	0.128
53/1	0.048
56/2	0.002
59	0.105
415/2	0.093
415/3	0.061
418/1	0.077
418/2/1	0.115
418/2/1/1	0.025
	1.039
महायोग . .	1.455

(2) बरियारपुर बांयी नहर परियोजना की उमराहा शाखा नहर की हाजीपुर वितरक नहर की कुर्मिनपुरवा माइनर एवं गुमानपुर मरकटहार माइनर के निर्माण हेतु सार्वजनिक प्रयोजन के लिए उक्त भूमि की आवश्यकता है.

(3) भूमि के नक्शे (प्लान) का निरीक्षण, भू-अर्जन अधिकारी एवं अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व) लौंड़ी में किया जा सकता है.

प्र. क्र.-70-अ-82-09-10.—चूंकि, राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद (1) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के पद (2) में उल्लेखित भूमि की सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है. अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक एक सन् 1894) की धारा 6 के अन्तर्गत, इसके द्वारा, यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है:—

अनुसूची

(1) भूमि का वर्णन—

(क) जिला—छतरपुर

(ख) तहसील—गौरिहार

(ग) ग्राम—बछेडाखेडा

(घ) लगभग क्षेत्रफल निजी भूमि—2.192 हेक्टेयर

खसरा क्रमांक	अर्जित रकबा (हेक्टर में)
(1)	(2)
हाजीपुर माईनर	
121	0.018
123	0.166
140	0.080
142	0.029
143/1	0.102
143/2	0.024
144	0.115
147	0.038
148	0.153
152	0.214
योग . .	0.939

बछेडाखेडा माईनर

(1)	(2)
15/2	0.260
51	0.173
74/1	0.179
75	0.038
87/1	0.025
87/2	0.128
90	0.109
91	0.011
92	0.103
योग . .	1.026

हाजीपुर वितरक नहर

(1)	(2)
9/1	0.035
155/8/2	0.192
योग . .	0.227
महायोग . .	2.192

(2) बरियारपुर बांयी नहर परियोजना की उमराहा शाखा नहर की हाजीपुर वितरक नहर की हाजीपुर माइनर एवं बछेडाखेडा माइनर के निर्माण हेतु सार्वजनिक प्रयोजन के लिए उक्त भूमि की आवश्यकता है.

(3) भूमि के नक्शे (प्लान) का निरीक्षण, भू-अर्जन अधिकारी एवं अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व) लौंड़ी में किया जा सकता है.

प्र. क्र.-76-अ-82-09-10.—चूंकि, राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है, कि नीचे दी गई अनुसूची के पद (1) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के पद (2) में उल्लेखित भूमि की सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है. अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक एक सन् 1894) की धारा 6 के अन्तर्गत, इसके द्वारा, यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की सार्वजनिक प्रयेजन के लिए आवश्यकता है:—

अनुसूची

(1) भूमि का वर्णन—

(क) जिला—छतरपुर
(ख) तहसील—गौरिहार
(ग) ग्राम—रामपुरघाट
(घ) लगभग क्षेत्रफल निजी भूमि—0.543 हेक्टेयर

खसरा नं.	अर्जित रकबा (हेक्टर में)
(1)	(2)
231/1	0.288
231/11	0.080
245	0.137
246	0.038
योग . .	0.543

(2) बरियारपुर बांयी नहर परियोजना की उमराहा शाखा नहर की सिंगारपुर वितरक नहर की आर. 7 के निर्माण हेतु सार्वजनिक प्रयोजन के लिए उक्त भूमि की आवश्यकता है.

(3) भूमि के नक्शे (प्लान) का निरीक्षण, भू-अर्जन अधिकारी एवं अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व) लौंड़ी में किया जा सकता है.

प्र. क्र.-77-अ-82-09-10.—चूंकि, राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद (1) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के पद (2) में उल्लेखित भूमि की सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है. अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक एक सन् 1894) की धारा 6 के अन्तर्गत, इसके द्वारा, यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है:—

अनुसूची

(1) भूमि का वर्णन—

(क) जिला—छतरपुर
(ख) तहसील—गौरिहार
(ग) ग्राम—फतेहपुर
(घ) लगभग क्षेत्रफल निजी भूमि—0.370 हेक्टेयर

खसरा नं.	अर्जित रकबा (हेक्टर में)
(1)	(2)
425	0.074
426	0.064
427	0.232
योग . .	0.370

(2) बरियारपुर बांयी नहर परियोजना की उमराहा शाखा नहर की सिंगारपुर वितरक नहर की आर. 7 के निर्माण हेतु सार्वजनिक प्रयोजन के लिए उक्त भूमि की आवश्यकता है.

(3) भूमि के नक्शे (प्लान) का निरीक्षण, भू-अर्जन अधिकारी एवं अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व) लौंड़ी में किया जा सकता है.

प्र. क्र.-78-अ-82-09-10.—चूंकि, राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद (1) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के पद (2) में उल्लेखित भूमि की सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है. अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक एक सन् 1894) की धारा 6 के अन्तर्गत,

इसके द्वारा यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है:—

अनुसूची

(1) भूमि का वर्णन—

(क) जिला—छतरपुर
(ख) तहसील—गौरिहार
(ग) ग्राम—गुमानपुर मरकटहार
(घ) लगभग क्षेत्रफल निजी भूमि—0.893

खसरा नम्बर	अर्जित रकबा (हेक्टर में)
(1)	(2)
25	0.100
46	0.072
47	0.038
48	0.090
49	0.070
53	0.077
54	0.173
106/1	0.051
108/1	0.016
109	0.053
111	0.054
114	0.006
115	0.093
योग . .	0.893

(2) बरियारपुर बांयी नहर परियोजना की उमराहा शाखा नहर की हाजीपुर वितरक नहर की गुमानपुर मरकटहार बांयी माइनर के निर्माण हेतु सार्वजनिक प्रयोजन के लिए उक्त भूमि की आवश्यकता है.

(3) भूमि के नक्शे (प्लान) का निरीक्षण, भू-अर्जन अधिकारी एवं अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व) लौंड़ी में किया जा सकता है.

प्र. क्र.-79-अ-82-09-10.—चूंकि, राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद (1) में वर्णित भूमि की अनुसूची के पद (2) में उल्लेखित भूमि की सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है. अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक एक सन् 1894) की धारा 6 के अन्तर्गत इसके द्वारा यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है:—

अनुसूची

(1) भूमि का वर्णन—

(क) जिला—छतरपुर
(ख) तहसील—गौरिहार
(ग) ग्राम—राजौरा
(घ) लगभग क्षेत्रफल निजी भूमि—3.853

खसरा नं.	अर्जित रकबा (हेक्टर में)
(1)	(2)
26	0.168
28	0.176
29	0.050
33	0.004
34	0.005
35	0.010
42	0.026
43/2	0.117
45	0.041
47	0.103
48	0.045
49	0.045
50	0.102
51/2	0.025
52	0.002
230	0.078
231	0.076
232/2	0.072
233	0.058
240/1	0.065
240/2	0.070
243	0.014
244	0.106
246/2	0.016
253/1	0.095
253/3	0.102
254	0.145
270	0.120
271	0.068
272	0.076

(1)	(2)
283/1	0.012
293/1	0.105
293/2	0.110
295	0.002
296	0.162
366	0.018
367	0.230
368/1	0.070
369	0.146
370	0.040
383	0.288
406	0.135
407	0.065
411/1/2	0.220
412/2	0.170
योग . .	3.853

(2) बरियारपुर बांयी नहर परियोजना की उमराहा शाखा नहर की सरबई नं. 1 वितरक नहर की राजौरा माइनर के निर्माण हेतु सार्वजनिक प्रयोजन के लिए उक्त भूमि की आवश्यकता है.

(3) भूमि के नक्शे (प्लान) का निरीक्षण, भू-अर्जन अधिकारी एवं अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व) लौंड़ी में किया जा सकता है.

प्र. क्र.-81-अ-82-09-10.—चूंकि, राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है, कि नीचे दी गई अनुसूची के पद (1) में वर्णित भूमि की अनुसूची के पद (2) में उल्लेखित भूमि की सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है. अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक एक सन् 1894) की धारा 6 के अन्तर्गत इसके द्वारा यह घोषित किया जाता है, कि उक्त भूमि की सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है:—

अनुसूची

(1) भूमि का वर्णन—

(क) जिला—छतरपुर

(ख) तहसील—गौरिहार

(ग) ग्राम—ओदी

(घ) लगभग क्षेत्रफल निजी भूमि—5.557

खसरा नम्बर	अर्जित रकबा (हेक्टर में)
(1)	(2)
177	0.142
178	0.132
179	0.130
185	0.078
187	0.016
228	0.162
229/4/2	0.310
229/4/3 में से	0.070
231	0.140
236	0.138
251	0.125
252	0.106
253	0.132
254	0.042
264	0.092
274	0.192
275	0.092
276	0.070
293	0.077
296	0.291
300	0.008
301	0.245
314/1	0.102
315	0.008
317	0.008
321	0.012
321/2	0.080
328	0.164
329	0.142
333	0.108
334/1	0.080
334/2	0.012
335	0.100
336	0.080
337	0.162
345	0.048
346	0.052
347	0.125
352	0.160
353	0.188
354	0.042
355	0.006
356	0.092

(1)	(2)
357	0.094
358	0.005
426	0.185
427	0.184
428	0.122
429	0.160
430	0.062
440/275	0.092
442/342/1	0.080
442/342/2	0.012
योग . .	5.557

(2) बरियारपुर बांयी नहर परियोजना की उमराहा शाखा नहर की सरबई नं. 1 वितरक नहर की ओदी माइनर 1, 2 एवं ओदी सबमाइनर के निर्माण हेतु सार्वजनिक प्रयोजन के लिए उक्त भूमि की आवश्यकता है.

(3) भूमि के नक्शे (प्लान) का निरीक्षण भू-अर्जन अधिकारी एवं अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व) लौंड़ी में किया जा सकता है.

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
राहुल जैन, कलेक्टर एवं पदेन उपसचिव.

कार्यालय, कलेक्टर, जिला जबलपुर, मध्यप्रदेश एवं पदेन उपसचिव, मध्यप्रदेश शासन, राजस्व विभाग

जबलपुर, दिनांक 24 जून 2011

क्र. 7-अ-82-10-11-भू.अ.अ.-इकाई क्र.1.—चूंकि, राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है, कि नीचे दी गई अनुसूची के पद (1) में वर्णित भूमि की अनुसूची के पद (2) में उल्लेखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है. अत: भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक एक सन् 1894) एवं अधिनियम क्र. 68 सन् 1984 की धारा 6 के अन्तर्गत इसके द्वारा यह घोषित किया जाता है, कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिए आवश्यकता है:—

अनुसूची

(1) भूमि का वर्णन—हथलेवा माइनर निर्माण हेतु.

(क) जिला—जबलपुर
(ख) तहसील—मझौली
(ग) ग्राम—लमकना, प.ह.नं. 58 नं. ब. 687 तह. मझौली.
(घ) लगभग क्षेत्रफल—0.09 हेक्टेयर

खसरा नम्बर	रकबा (हेक्टेयर में)
(1)	(2)
513/3	0.09
कुल योग . .	0.09

(2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिये आवश्यकता है के कारण :—हथलेवा माइनर निर्माण हेतु.

(3) भूमि के नक्शे (प्लान) का निरीक्षण, कार्यालय, भू-अर्जन अधिकारी, रा.अ.बा. सागर परियोजना इकाई क्र. 1, बरगी हिल्स, जबलपुर में किया जा सकता है.

क्र. 8 अ-82-10-11-भू.अ.अ.-इकाई क्र. 1.—चूंकि, राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है, कि नीचे दी गई अनुसूची के पद (1) में वर्णित भूमि की अनुसूची के पद (2) में उल्लेखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है. अत: भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक एक सन् 1894) एवं अधिनियम क्र. 68 सन् 1984 की धारा 6 के अन्तर्गत इसके द्वारा यह घोषित किया जाता है, कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिए आवश्यकता है:—

अनुसूची

(1) भूमि का वर्णन—बटरंगी नहर निर्माण हेतु.

(क) जिला—जबलपुर
(ख) तहसील—सिहोरा
(ग) ग्राम—बटरंगी, प.ह.नं. 58 नं. ब. 486
(घ) लगभग क्षेत्रफल—0.19 हेक्टेयर

खसरा नम्बर	रकबा (हेक्टेयर में)
(1)	(2)
189	0.19
कुल योग . .	0.19

(2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिये आवश्यकता है के कारण :—बटरंगी नहर निर्माण हेतु.

(3) भूमि के नक्शे (प्लान) का निरीक्षण, कार्यालय, भू-अर्जन अधिकारी, रा.अ.बा. सागर परियोजना इकाई क्र. 1, बरगी हिल्स, जबलपुर में किया जा सकता है.

क्र. 20 अ-82-08-09-भू.अ.अ.-इकाई क्र.1.—चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के पद (1)

में वर्णित भूमि की अनुसूची के पद (2) में उल्लेखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है. अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक एक सन् 1894) की धारा 6 के अन्तर्गत इसके द्वारा यह घोषित किया जाता है, कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिए आवश्यकता है:—

अनुसूची

(1) भूमि का वर्णन—मगरमुंहा माइनर नं. 3 के निर्माण हेतु.

(क) जिला—जबलपुर

(ख) तहसील—शहपुरा

(ग) ग्राम—मगरमुंहा, प.ह.नं. 58 नं. ब. 339

(घ) लगभग क्षेत्रफल—(एक बोर बारो एरिया स्थित)

खसरा नम्बर	रकबा (हेक्टेयर)
(1)	(2)
351	1 बोर (बारो एरिया में स्थित)

(2) सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यक है.

(3) भूमि के नक्शे (प्लान) का निरीक्षण, कार्यालय, भू-अर्जन अधिकारी, रा.अ.बा. सागर परियोजना इकाई क्र. 1, बरगी हिल्स, जबलपुर में किया जा सकता है.

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
गुलशन बामरा, कलेक्टर एवं पदेन उपसचिव.

कार्यालय, कलेक्टर, जिला अशोकनगर, मध्यप्रदेश एवं पदेन उपसचिव, मध्यप्रदेश शासन, राजस्व विभाग

अशोकनगर, दिनांक 25 जून 2011

क्र. 26 अ-82-भू-अर्जन-07-08.—चूंकि, राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है, कि नीचे दी गई अनुसूची के पद (1) में वर्णित भूमि, की अनुसूची के पद (2) में उल्लेखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यक है, अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक एक सन् 1894) की धारा 6 के अन्तर्गत इसके द्वारा यह घोषित किया जाता है, कि उक्त भूमि की सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है:—

अनुसूची

(1) भूमि का वर्णन—

(क) जिला—अशोकनगर

(ख) तहसील—अशोकनगर

(ग) नगर/ग्राम—छपराई माफी प.ह.नं. 20

(घ) लगभग क्षेत्रफल—0.450 हेक्टेयर.

सर्वे नम्बर	प्रस्तावित क्षेत्रफल (हेक्टेयर में)
(1)	(2)
43	0.021
46	0.356
53	0.073
योग . .	0.450

(2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिये आवश्यक है :—अशोकनगर पिपरई मार्ग का निर्माण हेतु स्थायी अर्जन.

(3) भूमि के नक्शे (प्लान) का निरीक्षण, भू-अर्जन अधिकारी, लोक निर्माण विभाग, अशोकनगर के कार्यालय में किया जा सकता है.

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
ए. के. सिंह, कलेक्टर एवं पदेन उपसचिव.

कार्यालय, कलेक्टर, जिला धार, मध्यप्रदेश एवं पदेन उपसचिव, मध्यप्रदेश शासन, राजस्व विभाग

मनावर, दिनांक 25 जून 2011

क्र. 870-वाचक-प्र. क्र. 01-अ-82-2010-11 **संशोधित अधिसूचना.**—चूंकि, राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि, नीचे दी गई अनुसूची के पद (1) में वर्णित भूमि की अनुसूची के पद (2) में उल्लेखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है. अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक एक, सन् 1894) अंतर्गत इसके द्वारा यह घोषित किया जाता है कि उक्त प्रयोजन के लिए आवश्यकता है:—

अनुसूची

(1) भूमि का वर्णन—

(क) जिला—धार

(ख) तहसील—मनावर

(ग) ग्राम—कवठी (पूरक प्रकरण)

(घ) लगभग क्षेत्रफल—2.745 हेक्टर.

खसरा नम्बर	रकबा (हेक्टर में)
(1)	(2)
10	0.200
35/1	0.090
35/2	0.080

(1)		(2)
35/3		0.080
35/4		0.050
35/5		0.040
37/2, 44		0.405
29		0.385
18, 20/3/1		0.280
136/1/3/1, 136/3/3/1		0.220
86/2, 90/2, 95/2		0.260
273/2/2, 274/2/2		0.085
255/7/2 271/1 271/2/1/1	क	0.145
240/1/1/1, 240/1/2		0.220
85/1/1		0.205
	योग :	2.745

(2) सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है—ओंकारेश्वर परियोजना की मुख्य नहर आर.डी. 145000 मी. से निकलने वाली डी. व्हाय. 16 एवं डी.एम. 73 की माईनरों के निर्माण हेतु.

(3) भू-अर्जन की धारा 6 के अंतर्गत अर्जन कार्यवाही हेतु आदेशित किया जाता है.

(4) भूमि का नक्शा (प्लान), कलेक्टर, जिला धार एवं भू-अर्जन अधिकारी सरदार सरोवर परियोजना मनावर एवं कार्यपालन यंत्री, नर्मदा विकास संभाग क्रमांक-30 मनावर जिला धार के कार्यालय में कार्यालयीन समय में अवलोकन किया जा सकता है.

धार, दिनांक 27 जून 2011

क्र. 6846-भू-अर्जन-2011.—चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि, नीचे दी गई अनुसूची के पद (1) में वर्णित भूमि की अनुसूची के पद (2) में उल्लेखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है. अत: भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक एक, सन् 1894) की धारा 6 के अंतर्गत इसके द्वारा यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिए आवश्यकता है:—

अनुसूची

(1) भूमि का वर्णन—

(क) जिला—धार

(ख) तहसील—सरदारपुर

(ग) ग्राम—इडरिया

(घ) लगभग क्षेत्रफल—0.300 हेक्टर.

सर्वे क्रमांक	अर्जन हेतु प्रस्तावित क्षेत्रफल (हेक्टर में)
(1)	(2)
430/3	0.090
433/3	0.010
433/4	0.080
433/5	0.080
431/1	0.040
योग :	0.300

(2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिये भूमि की आवश्यकता है—मकोड़ा नाला तालाब अंतर्गत नहर निर्माण में प्रभावित होने से.

(3) भूमि का नक्शा (प्लान) अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व) एवं भू-अर्जन अधिकारी सरदारपुर तथा कार्यपालन यंत्री जल संसाधन संभाग मनावर जिला धार के कार्यालय में कार्यालयीन समय में देखा जा सकता है.

क्र. 6851-भू-अर्जन-2011.—चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि, नीचे दी गई अनुसूची के पद (1) में वर्णित भूमि की अनुसूची के पद (2) में उल्लेखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है. अत: भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक एक, सन् 1894) की धारा 6 के अंतर्गत इसके द्वारा यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिए आवश्यकता है:—

अनुसूची

(1) भूमि का वर्णन—

(क) जिला—धार

(ख) तहसील—सरदारपुर

(ग) ग्राम—अमझेरा

(घ) लगभग क्षेत्रफल—0.950 हेक्टर.

सर्वे क्रमांक	अर्जन हेतु प्रस्तावित क्षेत्रफल (हेक्टर में)
(1)	(2)
473	0.220
475	0.100
476	0.170
477	0.110
478	0.220

(1)	(2)
479	0.070
480	0.060
योग :	0.950

(2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिये भूमि की आवश्यकता है—मकोड़ा नाला तालाब अंतर्गत नहर निर्माण में प्रभावित होने से.

(3) भूमि का नक्शा (प्लान) अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व) एवं भू-अर्जन अधिकारी सरदारपुर तथा कार्यपालन यंत्री जल संसाधन संभाग मनावर जिला धार के कार्यालय में कार्यालयीन समय में देखा जा सकता है.

धार, दिनांक 29 जून 2011

क्र. 6898-भू-अर्जन-2011.—चूंकि, राज्य शासन को इस बात का समाधान हो चुका है कि, नीचे दी गई अनुसूची के पद (1) में वर्णित भूमि की अनुसूची के पद (2) में उल्लेखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है. अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक एक, सन् 1894) की धारा 6 के अंतर्गत इसके द्वारा यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिए आवश्यकता है:—

अनुसूची

(1) भूमि का वर्णन—

(क) जिला—धार

(ख) तहसील—कुक्षी

(ग) ग्राम—घटबोरी

(घ) लगभग क्षेत्रफल—15.660 हेक्टर.

सर्वे नम्बर	अधिग्रहण हेतु प्रस्तावित रकबा (हेक्टर में)
(1)	(2)
186/1	0.166
188/1	0.115
188/4	0.344
188/5	0.493
137	0.105
209/1	0.459
235	0.276
199/1	0.460
135/2	0.053
207/1/2	0.183
207/2	0.300
205/1	0.460
204/2	0.158
205/3	0.250
201/3	0.092
198	0.276
199/3	0.551
230/1	0.170
232	0.170
233	0.170
236/1	0.230
299/2/2	0.100
299/2/3	0.300
299/2/7	0.130
300/1/1	0.122
290/1	0.460
299/1	0.161
303/5	0.042
306/6	0.104
303/7	0.114
306/8	0.229
303/8	0.115
303/10	0.124
306/7	0.320
305/2	0.092
479/2	0.328
455/4/1	0.367
480/4	0.157
481	0.278
543/15	0.554
470/1	0.402
471	0.230
469	0.080
473	0.010
474	0.414
459/3	0.435
456	0.315
477/1	0.229
459/1	0.435
455/4/2	0.367
300/1/2	0.100
480/1	0.305
501	0.125
480/3	0.275
497/2	0.276
486/5	0.315

(1)	(2)
486/3/1	0.100
486/3/2	0.100
486/3/3	0.100
486/3/4	0.100
486/4	0.344
486/3/5	0.100
123/1	0.072
129	0.239
122	0.179
130	0.197
135/1/1	0.238
योग :	15.660

(2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिये भूमि की आवश्यकता है—थाना सिंचाई तालाब नहर निर्माण से प्रभावित होने से.

(3) भूमि का नक्शा (प्लान) भू-अर्जन कार्यालय कुक्षी जिला धार एवं कार्यपालन यंत्री, जल संसाधन संभाग क्रमांक 1 धार, जिला धार के कार्यालय में कार्यालयीन समय में देखा जा सकता है.

क्र. 6903-भू-अर्जन-2011.—चूंकि, राज्य शासन को इस बात का समाधान हो चुका है कि, नीचे दी गई अनुसूची के पद (1) में वर्णित भूमि की अनुसूची के पद (2) में उल्लेखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है. अत: भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक एक, सन् 1894) की धारा 6 के अंतर्गत इसके द्वारा यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिए आवश्यकता है:—

अनुसूची

(1) भूमि का वर्णन—

(क) जिला—धार

(ख) तहसील—कुक्षी

(ग) ग्राम—नीमखेड़ा

(घ) लगभग क्षेत्रफल—3.870 हेक्टर.

सर्वे नम्बर	अधिग्रहण हेतु प्रस्तावित रकबा (हेक्टर में)
(1)	(2)
76/3	0.092
81/3	0.334
117/3	0.068
104	0.206
80/2	0.200
81/1/1	0.305
120/3	0.422
117/2/2	0.040
120/2	0.421
158/2	0.436
117/2/1	0.033
120/1	0.422
114	0.288
112	0.135
172/2	0.012
172/3	0.200
171/1	0.164
168	0.092
योग :	3.870

(2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिये भूमि की आवश्यकता है—थाना सिंचाई तालाब नहर निर्माण से प्रभावित होने से.

(3) भूमि का नक्शा (प्लान) भू-अर्जन कार्यालय कुक्षी जिला धार एवं कार्यपालन यंत्री, जल संसाधन संभाग क्रमांक 1 धार, जिला धार के कार्यालय में कार्यालयीन समय में देखा जा सकता है.

क्र. 6908-भू-अर्जन-2011.—चूंकि, राज्य शासन को इस बात का समाधान हो चुका है कि, नीचे दी गई अनुसूची के पद (1) में वर्णित भूमि की अनुसूची के पद (2) में उल्लेखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है. अत: भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक एक, सन् 1894) की धारा 6 के अंतर्गत इसके द्वारा यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिए आवश्यकता है:—

अनुसूची

(1) भूमि का वर्णन—

(क) जिला—धार

(ख) तहसील—कुक्षी

(ग) ग्राम—थाना

(घ) लगभग क्षेत्रफल—3.728 हेक्टर.

सर्वे नम्बर	अधिग्रहण हेतु प्रस्तावित रकबा (हेक्टर में)
(1)	(2)
43	0.923
57	0.689
61	0.069

(1)	(2)
67/1/3	0.160
66/2	0.137
65	0.367
77/2	0.034
77/3	0.039
79	1.310
योग :	3.728

(2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिये भूमि की आवश्यकता है—थाना सिंचाई तालाब नहर निर्माण से प्रभावित होने से.

(3) भूमि का नक्शा (प्लान) भू-अर्जन कार्यालय कुक्षी जिला धार एवं कार्यपालन यंत्री, जल संसाधन संभाग क्रमांक 1 धार, जिला धार के कार्यालय में कार्यालयीन समय में देखा जा सकता है.

क्र. 6913-भू-अर्जन-2011.—चूंकि, राज्य शासन को इस बात का समाधान हो चुका है कि, नीचे दी गई अनुसूची के पद (1) में वर्णित भूमि की अनुसूची के पद (2) में उल्लेखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है. अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक एक, सन् 1894) की धारा 6 के अंतर्गत इसके द्वारा यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिए आवश्यकता है:—

अनुसूची

(1) भूमि का वर्णन—

(क) जिला—धार

(ख) तहसील—कुक्षी

(ग) ग्राम—बेकल्या

(घ) लगभग क्षेत्रफल—6.921 हेक्टर.

सर्वे नम्बर	अधिग्रहण हेतु प्रस्तावित रकबा (हेक्टर में)
(1)	(2)
66/1	0.345
68/2	0.257
66/1	0.188
63/2	0.134
65/2	0.042
61	0.102
75/1	0.240
75/2	0.240
87	0.120
88	0.323
128/1/2	0.421
129/2	0.100
124/1	0.314
127/2	0.100
124/3	0.314
127/1	0.061
131	0.236
137/2	0.108
138/2	0.270
141/1	0.314
140/1	0.208
138/1	0.090
256	0.411
252	0.035
254	0.550
260	0.068
270/2	0.330
205/2	0.215
207/1	0.179
206	0.134
38/2	0.281
40	0.191
योग :	6.921

(2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिये भूमि की आवश्यकता है—थाना सिंचाई तालाब नहर निर्माण से प्रभावित होने से.

(3) भूमि का नक्शा (प्लान) भू-अर्जन कार्यालय कुक्षी जिला धार एवं कार्यपालन यंत्री, जल संसाधन संभाग क्रमांक 1 धार, जिला धार के कार्यालय में कार्यालयीन समय में देखा जा सकता है.

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
बी. एम. शर्मा, कलेक्टर एवं पदेन उपसचिव.

कार्यालय, कलेक्टर, जिला बैतूल, मध्यप्रदेश एवं पदेन उपसचिव, मध्यप्रदेश शासन, राजस्व विभाग

बैतूल, दिनांक 27 जून 2011

प्र. क्र. 1-अ-82-वर्ष 2010-11-भू-अर्जन-4765.—चूंकि, राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद (1) में वर्णित भूमि की अनुसूची पद (2) में उल्लेखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है. अतः भू-अर्जन

अधिनियम, 1894 (क्रमांक एक, सन् 1894) की धारा 6 के अंतर्गत इसके द्वारा यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिये आवश्यकता है:—

अनुसूची

(1) भूमि का वर्णन—

(क) जिला—बैतूल
(ख) तहसील—मुलताई
(ग) नगर/ग्राम—बिसनूर
(घ) पटवारी हल्का नम्बर—119
(ङ) लगभग क्षेत्रफल—0.110 हेक्टर

खसरा नम्बर	रकबा (हेक्टर में)
(1)	(2)
55/2	0.110
योग . .	0.110

(2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिये भूमि की आवश्यकता है.—पचधार जलाशय बांध में आने वाली निजी भूमि का अर्जन.

(3) भूमि का नक्शा (प्लान), कलेक्टर (भू-अर्जन), जिला-बैतूल एवं अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व), मुलताई के न्यायालय में देखा जा सकता है.

(4) भूमि का नक्शा (प्लान) कार्यपालन यंत्री (जल संसाधन क्र.-2, बैतूल) के कार्यालय में भी देखा जा सकता है.

प्र. क्र. 2-अ-82-वर्ष 2010-11-भू-अर्जन-4764.—चूंकि, राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद (1) में वर्णित भूमि की अनुसूची के पद (2) में उल्लेखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है. अत: भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक एक, सन् 1894) की धारा 6 के अंतर्गत इसके द्वारा यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिये आवश्यकता है:—

अनुसूची

(1) भूमि का वर्णन—

(क) जिला—बैतूल
(ख) तहसील—मुलताई
(ग) नगर/ग्राम—पचधार
(घ) पटवारी हल्का नम्बर 118
(ङ) लगभग क्षेत्रफल—9.248 हेक्टर

खसरा नम्बर	रकबा (हेक्टर में)
(1)	(2)
181/6	0.121
181/7	0.121
177/3	0.053
177/6	0.067
177/2	0.080
177/4	0.440
177/1	0.210
173/2	0.214
173/1	0.366
168/1	0.050
166/3	0.110
166/4	0.010
166/5	0.120
166/1	0.060
166/2	0.252
158	0.380
161	0.040
162	0.460
141/2	0.040
157/2	0.200
156/3	0.150
157/1	0.170
154/2	0.270
151	0.350
153/2	0.607
150	0.320
147/3	0.135
147/1	0.025
148	0.100
146	0.060
133/1	0.060
145	0.265
136/3	0.202
70/4	0.400
78	0.500
85	0.302
79	0.210
80	0.040

(1)	(2)
81/3	0.081
81/4	0.050
83/1	0.342
84	0.430
159/2	0.256
159/4	0.011
159/6	0.206
159/8	0.040
159/5	0.126
159/9	0.146
योग . .	9.248

(2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिये भूमि की आवश्यकता है.—पचधार जलाशय नहर में आने वाली निजी भूमि का अर्जन.

(3) भूमि का नक्शा (प्लान), कलेक्टर (भू-अर्जन), जिला-बैतूल एवं अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व), मुलताई के न्यायालय में देखा जा सकता है.

(4) भूमि का नक्शा (प्लान) कार्यपालन यंत्री (जल संसाधन क्र.-2, बैतूल) के कार्यालय में भी देखा जा सकता है.

प्र. क्र. भू-अर्जन-2-अ-82-2010-11-4771.—चूंकि, राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद (1) में वर्णित भूमि की अनुसूची के पद (2) में उल्लेखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है. अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक एक, सन् 1894) की धारा 6 के अंतर्गत इसके द्वारा यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिये आवश्यकता है:—

अनुसूची

(1) भूमि का वर्णन—

(क) जिला—बैतूल

(ख) तहसील—बैतूल

(ग) नगर/ग्राम—बड़गीबुजुर्ग

(घ) पटवारी हल्का नम्बर—30

(ङ) लगभग क्षेत्रफल—1.817 हेक्टेयर

खसरा नम्बर	रकबा (हेक्टर में)
(1)	(2)
15	0.250
16	0.057
88	0.041
80	0.180
82/3	0.760
102/3	0.065
102/4	0.161
111	0.303
योग . .	1.817

(2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिये भूमि की आवश्यकता है.—गौली बड़गी जलाशय नहर निर्माण हेतु निजी भूमि का अर्जन.

(3) भूमि का नक्शा (प्लान)अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व), बैतूल के न्यायालय में देखा जा सकता है.

(4) भूमि का नक्शा (प्लान) कार्यपालन यंत्री जल संसाधन क्र.-2, बैतूल के कार्यालय में भी देखा जा सकता है.

प्र. क्र. भू-अर्जन-3-अ-82-2010-11-4772.—चूंकि, राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद (1) में वर्णित भूमि की अनुसूची के पद (2) में उल्लेखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है. अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक एक, सन् 1894) की धारा 6 के अंतर्गत इसके द्वारा यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिये आवश्यकता है:—

अनुसूची

(1) भूमि का वर्णन—

(क) जिला—बैतूल

(ख) तहसील—बैतूल

(ग) नगर/ग्राम—रावणवाड़ी

(घ) पटवारी हल्का नम्बर—30

(ङ) लगभग क्षेत्रफल—0.775 हेक्टेयर.

खसरा नम्बर	रकबा (हेक्टर में)
(1)	(2)
193	0.128
194	0.080
197	0.567
योग . .	0.775

(2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिये भूमि की आवश्यकता है:—गौली बड़गी जलाशय नहर निर्माण हेतु निजी भूमि का अर्जन.

(3) भूमि का नक्शा (प्लान)अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व), बैतूल के न्यायालय में देखा जा सकता है.

(4) भूमि का नक्शा (प्लान) कार्यपालन यंत्री जल संसाधन क्र.-2, बैतूल के कार्यालय में भी देखा जा सकता है.

बैतूल, दिनांक 29 जून 2011

प्र. क्र. भू-अर्जन-1-अ-82-2010-11-4827.—चूंकि, राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद (1) में वर्णित भूमि की अनुसूची के पद (2) में उल्लेखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है. अत: भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक एक, सन् 1894) की धारा 6 के अंतर्गत इसके द्वारा यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिये आवश्यकता है:—

अनुसूची

(1) भूमि का वर्णन—

(क) जिला—बैतूल

(ख) तहसील—बैतूल

(ग) नगर/ग्राम—सिल्लौट

(घ) पटवारी हल्का नम्बर—30

(ङ) लगभग क्षेत्रफल—6.059 हेक्टेयर.

खसरा नम्बर	रकबा (हेक्टर में)
(1)	(2)
511	0.080
524	0.132
523/2	0.080
516	0.251
517	0.260
506/1	0.255
503/1	0.162
503/2	0.085
367	0.045
358	0.150
361	0.101
368/1	0.132
368/5	0.132
370	0.220
463	0.220
459	0.178
460	0.005
462	0.175
448/1	0.661
447	0.247
443	0.300
444/2	0.229
429/3	0.060
429/4	0.065
429/5	0.065
172/1	0.300
173	0.218
177	0.255
180	0.342
182/1	0.290
182/2	0.204
175/1	0.160
योग . .	6.059

(2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिये भूमि की आवश्यकता है:—गौली बड़गी जलाशय नहर निर्माण हेतु निजी भूमि का अर्जन.

(3) भूमि का नक्शा (प्लान)अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व), बैतूल के न्यायालय में देखा जा सकता है.

(4) भूमि का नक्शा (प्लान) कार्यपालन यंत्री जल संसाधन संभाग क्र.-2, बैतूल के कार्यालय में भी देखा जा सकता है.

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
बी. चन्द्रशेखर, कलेक्टर एवं पदेन उपसचिव.

कार्यालय, कलेक्टर, जिला विदिशा, मध्यप्रदेश एवं पदेन उपसचिव, मध्यप्रदेश शासन, राजस्व विभाग

विदिशा, दिनांक 30 जून 2011

प्र. क्र. 10-अ-82-10-11.—चूंकि, राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद (1) में वर्णित भूमि की अनुसूची के पद (2) में उल्लेखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है. अत: भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक एक, सन् 1894) की धारा 6 के अंतर्गत एतद्द्वारा यह

घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिये आवश्यकता है:—

अनुसूची

(1) भूमि का वर्णन—

(क) जिला—विदिशा
(ख) तहसील—विदिशा
(ग) नगर/ग्राम—विदिशा
(घ) लगभग क्षेत्रफल—300 वर्गमीटर

खसरा नम्बर	रकबा (वर्ग मीटर में)
(1)	(2)
2161/2/1	300

(2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिये आवश्यकता है—सार्वजनिक नाला निर्माण हेतु.

(3) भूमि के नक्शे (प्लान) मुख्य नगरपालिका अधिकारी विदिशा/ उपखण्ड अधिकारी विदिशा के कार्यालय में अवलोकन किया जा सकता है.

प्र. क्र. 36-ए-82-2009-2010.—चूंकि, राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद (1) में वर्णित भूमि की, अनुसूची पद (2) में उल्लेखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यक है. अत: भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक एक, सन् 1894) की धारा 6 के अंतर्गत इसके द्वारा यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिये आवश्यकता है:—

अनुसूची

(1) भूमि का वर्णन—

(क) जिला—विदिशा
(ख) तहसील—नटेरन
(ग) ग्राम—सूखा आमखेड़ा
(घ) वास्तविक क्षेत्रफल—0.145 हेक्टेयर.

खसरा नम्बर	रकबा (हेक्टेयर में)
(1)	(2)
105/13	0.145
योग .	.0.145

(2) सार्वजनिक प्रयोजन की आवश्यकता:—सूखा आमखेड़ा-सतपाड़ा हाट मार्ग पर निर्माणाधीन पुल एवं पहुंच मार्ग के निर्माण हेतु.

(3) भूमि का नक्शा (प्लान) निरीक्षण, जिलाध्यक्ष के कार्यालय, भू-अर्जन अधिकारी, नटेरन एवं कार्यपालन यंत्री, लोक निर्माण सेतु संभाग, भोपाल के कार्यालय में किया जा सकता है.

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
सी. बी. सिंह, कलेक्टर एवं पदेन उपसचिव.

कार्यालय, कलेक्टर, जिला सिंगरौली, मध्यप्रदेश एवं पदेन उपसचिव, मध्यप्रदेश शासन, राजस्व विभाग

बैढ़न, दिनांक 1 जुलाई 2011

क्र. 1108-भू-अर्जन-2011.—चूंकि, राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद (1) में वर्णित भूमि की अनुसूची के पद (2) में उल्लेखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है. अत: भूमि अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक एक, सन् 1894) संशोधित 1984 की धारा 6 के अंतर्गत इसके द्वारा यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिए आवश्यकता है:—

अनुसूची

(1) भूमि का वर्णन—

(क) जिला—सिंगरौली
(ख) तहसील—देवसर
(ग) ग्राम का नाम—गोरगी, पटवारी हल्का—पापल, क्रमांक 43, रा.नि.म. धौहनी
(घ) लगभग क्षेत्रफल—56.570 हेक्टर.

खसरा नम्बर	रकबा (हेक्टर में)
(1)	(2)
2/1	0.170
2/2	0.170
5/1	0.050
6/1	0.675
7	0.210
8	0.280
9	0.120
12	0.310
15	0.220
16/1	0.310
17/1	0.140
17/2	0.140
17/3	0.030
17/4	0.040
17/5	0.070
21	0.130
23	0.130
24	0.130
26	0.300
27	0.660
28	0.240

(1)	(2)
29	0.240
31	0.280
33	0.280
34	0.310
35	0.250
38	0.100
40/1	1.100
41/1	0.130
42/1	0.750
44/1	0.310
45/1	0.020
46/1	0.410
46/3	0.200
46/4	0.200
46/5	0.200
47/1	0.010
49/1	0.010
50/1	0.230
54/1	0.310
54/2	0.930
54/3	0.310
54/4	0.300
56/2	0.010
59/2	0.040
61	0.520
67	0.200
68	0.240
71	0.800
72	0.820
73	0.810
74	0.100
76/1	0.050
77	0.400
83/2	0.200
84/2	0.030
86	0.110
89	0.130
90	0.060
92	0.230
99	0.020
104/1	0.010
104/2	0.040
105/1	0.060
105/2	0.060
106	0.240
108/1	0.685
108/2	0.330
111/1	0.200
113/1	2.350
113/2	0.400
114	0.220
116	0.220
117	0.380
118	0.070
119	0.200
120	0.210
142	3.100
143	3.180
199	0.150
201	0.020
205/2	0.165
208/1	0.660
208/2	0.060
209/1	0.510
210	0.810
211	0.060
212	0.400
214	0.310
215	0.540
217	0.820
220	0.200

(1)	(2)
222	0.330
223	0.030
224	0.140
225	1.470
227	1.190
238	0.620
243	0.300
299 में	0.610
303/1	0.490
303/2	0.120
304/1	0.110
305	0.810
307	0.140
309	0.030
312/1	0.310
313	1.070
315/2	0.050
316	0.850
317	2.100
323/1	0.120
336/2	0.200
339/2	0.010
340	0.420
342	0.630
343	0.420
344 में	0.200
346	1.970
348	0.400
350	1.650
352/1	0.280
355	0.400
356/1	0.210
364/1	0.330
364/3	0.160
366	0.340
372	0.810
375	0.460
389/1	0.095
395	0.400
408/1	1.160
409	0.490
412	0.290
413/1	0.200
413/2	0.210
413/3	0.200
413/4	0.200
420/1	0.030
420/2	0.040
421/1	0.260
421/2	0.380
योग . .	56.570

(2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिये भूमि की आवश्यकता है—डी. बी. पावर (म. प्र.) लिमिटेड द्वारा 1320 मेगावाट विद्युत उत्पादन के लिए पावर प्लांट की स्थापना.

(3) भूमि का नक्शा (प्लान) उपखण्ड अधिकारी/भू-अर्जन अधिकारी तहसील देवसर, जिला-सिंगरौली के कार्यालय में कार्यालयीन समय में देखा जा सकता है.

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,

पी. नरहरि, कलेक्टर एवं पदेन उपसचिव.

उच्च न्यायालय के आदेश और अधिसूचनाएं

उच्च न्यायालय, मध्यप्रदेश, जबलपुर

जबलपुर, दिनांक 25 जून 2011

क्र. E-2673-दो-2-41-2011.—श्री अनिल ठाकरे, अतिरिक्त प्रधान न्यायाधीश, कुटुंब न्यायालय, जबलपुर को दिनांक 30 मई 2011 से दिनांक 10 जून 2011 तक, बारह दिन के पूर्व स्वीकृत ग्रीष्मकालीन अवकाश के अनुक्रम में दिनांक 11 जून 2011 से दिनांक 18 जून 2011 तक, आठ दिन का अर्जित अवकाश और स्वीकृत किया जाता है. साथ ही अवकाश के पश्चात में दिनांक 19 जून 2011 के सार्वजनिक अवकाश का लाभ उठाने की अनुमति प्रदान की जाती है.

अवकाश से लौटने पर श्री अनिल ठाकरे, अतिरिक्त प्रधान न्यायाधीश, कुटुंब न्यायालय, जबलपुर को जबलपुर पुनः पदस्थापित किया जाता है.

अर्जित अवकाशकाल में उन्हें अवकाश वेतन तथा भत्ता उसी दर से देय होगा जो उन्हें अवकाश पर जाने के तत्काल पूर्व मिलता था.

प्रमाणित किया जाता है कि श्री अनिल ठाकरे, उपरोक्तानुसार अवकाश पर नहीं जाते तो अतिरिक्त प्रधान न्यायाधीश के पद पर कार्यरत रहते.

क्र. E-2675-दो-2-32-2011.—श्री ए. के. पाण्डेय, जिला एवं सत्र न्यायाधीश, सीधी को दिनांक 23 मई 2011 से दिनांक 6 जून 2011 तक, पन्द्रह दिन का ग्रीष्मकालीन अवकाश एवं दिनांक 7 जून 2011 से दिनांक 10 जून 2011 तक, चार दिन का अर्जित अवकाश स्वीकृत किया जाता है. साथ ही अवकाश के पश्चात में दिनांक 11 एवं 12 जून 2011 के सार्वजनिक अवकाश का लाभ उठाने की अनुमति प्रदान की जाती है.

अवकाश से लौटने पर श्री ए. के. पाण्डेय, जिला एवं सत्र न्यायाधीश, सीधी को सीधी पुनः पदस्थापित किया जाता है.

अर्जित अवकाश/ग्रीष्मकालीन अवकाशकाल में उन्हें अवकाश वेतन तथा भत्ता उसी दर से देय होगा जो उन्हें अवकाश पर जाने के तत्काल पूर्व मिलता था.

प्रमाणित किया जाता है कि श्री ए. के. पाण्डेय, उपरोक्तानुसार अवकाश पर नहीं जाते तो जिला एवं सत्र न्यायाधीश के पद पर कार्यरत रहते.

जबलपुर, दिनांक 27 जून 2011

क्र. C-4968-दो-2-3-2009.—श्री सुभाष काकडे, रजिस्ट्रार जनरल, उच्च न्यायालय मध्यप्रदेश, जबलपुर को दिनांक 3 जून 2011 से दिनांक 10 जून 2011 तक दोनों दिन सम्मिलित करते हुए आठ दिन का अर्जित अवकाश स्वीकृत किया जाता है. साथ ही अवकाश के पश्चात में दिनांक 11 एवं 12 जून 2011 के सार्वजनिक अवकाश का लाभ उठाने की अनुमति प्रदान की जाती है.

अवकाश से लौटने पर श्री सुभाष काकडे, रजिस्ट्रार जनरल, उच्च न्यायालय मध्यप्रदेश, जबलपुर को जबलपुर पुनः पदस्थापित किया जाता है.

अर्जित अवकाशकाल में उन्हें अवकाश वेतन तथा भत्ता उसी दर से देय होगा जो उन्हें अवकाश पर जाने के तत्काल पूर्व मिलता था.

प्रमाणित किया जाता है कि श्री सुभाष काकडे, उपरोक्तानुसार अवकाश पर नहीं जाते तो रजिस्ट्रार जनरल के पद पर कार्यरत रहते.

क्र. C-4972-दो-2-36-2010.—श्री अनुराग श्रीवास्तव, जिला एवं सत्र न्यायाधीश, बालाघाट को दिनांक 6 जून 2011 से दिनांक 17 जून 2011 तक, बारह दिन का ग्रीष्मकालीन अवकाश एवं दिनांक 18 जून 2011 का एक दिन का अर्जित अवकाश स्वीकृत किया जाता है. साथ ही अवकाश के पूर्व में दिनांक 5 जून 2011 के एवं पश्चात् में दिनांक 19 जून 2011 के सार्वजनिक अवकाश का लाभ उठाने की अनुमति प्रदान की जाती है.

अवकाश से लौटने पर श्री अनुराग श्रीवास्तव, जिला एवं सत्र न्यायाधीश, बालाघाट को बालाघाट पुनः पदस्थापित किया जाता है.

अर्जित अवकाश /ग्रीष्मकालीन अवकाशकाल में उन्हें अवकाश वेतन तथा भत्ता उसी दर से देय होगा जो उन्हें अवकाश पर जाने के तत्काल पूर्व मिलता था.

प्रमाणित किया जाता है कि श्री अनुराग श्रीवास्तव उपरोक्तानुसार अवकाश पर नहीं जाते तो जिला एवं सत्र न्यायाधीश के पद पर कार्यरत रहते.

क्र. C-4974-दो-3-65-2002.—श्री अशोक कुमार जैन, अतिरिक्त प्रधान न्यायाधीश, कुटुंब न्यायालय, जबलपुर को दिनांक 24 मई 2011 से दिनांक 25 मई 2011 तक दोनों दिन सम्मिलित करते हुए दो दिन का अर्जित अवकाश स्वीकृत किया जाता है.

अवकाश से लौटने पर श्री अशोक कुमार जैन, अतिरिक्त प्रधान न्यायाधीश, कुटुंब न्यायालय, जबलपुर को जबलपुर पुनः पदस्थापित किया जाता है.

अर्जित अवकाश काल में उन्हें अवकाश वेतन तथा भत्ता उसी दर से देय होगा जो उन्हें अवकाश पर जाने के तत्काल पूर्व मिलता था.

प्रमाणित किया जाता है कि श्री अशोक कुमार जैन, उपरोक्तानुसार अवकाश पर नहीं जाते तो अतिरिक्त प्रधान न्यायाधीश के पद पर कार्यरत रहते.

क्र. C-4983-दो-2-19-2003.—श्री ऋषभ कुमार जैन, जिला एवं सत्र न्यायाधीश, राजगढ़-ब्यावरा को दिनांक 10 मई 2011 से दिनांक 13 मई 2011 तक दोनों दिन सम्मिलित करते चार दिन का कम्युटेड अवकाश स्वीकृत किया जाता है. साथ ही अवकाश के पश्चात में दिनांक 14 एवं 15 मई 2011 के सार्वजनिक अवकाश का लाभ उठाने की अनुमति प्रदान की जाती है.

अवकाश से लौटने पर श्री ऋषभ कुमार जैन, जिला एवं सत्र न्यायाधीश, राजगढ़-ब्यावरा को राजगढ़-ब्यावरा पुनः पदस्थापित किया जाता है.

कम्युटेड अवकाशकाल में उन्हें अवकाश वेतन तथा भत्ता उसी दर से देय होगा जो उन्हें अवकाश पर जाने के तत्काल पूर्व मिलता था.

प्रमाणित किया जाता है कि श्री ऋषभ कुमार जैन, उपरोक्तानुसार अवकाश पर नहीं जाते तो जिला एवं सत्र न्यायाधीश के पद पर कार्यरत रहते.

क्र. C-4989-दो-2-5-2011.—सुश्री प्रतिभा रत्नपारखी, जिला एवं सत्र न्यायाधीश, सागर को दिनांक 5 मई 2011 से दिनांक 7 मई 2011 तक दोनो दिन सम्मिलित करके तीन दिन का कम्युटेड अवकाश स्वीकृत किया जाता है. साथ ही अवकाश के पश्चात में दिनांक 8 मई 2011 के सार्वजनिक लाभ उठाने की अनुमति प्रदान की जाती है.

अवकाश से लौटने पर सुश्री प्रतिभा रत्नपारखी, जिला एवं सत्र न्यायाधीश, सागर को सागर पुनः पदस्थापित किया जाता है.

कम्युटेड अवकाशकाल में उन्हें अवकाश वेतन तथा भत्ता उसी दर से देय होगा जो उन्हें अवकाश पर जाने के तत्काल पूर्व मिलता था.

प्रमाणित किया जाता है कि सुश्री प्रतिभा रत्नपारखी, उपरोक्तानुसार अवकाश पर नहीं जातीं तो जिला एवं सत्र न्यायाधीश के पद पर कार्यरत रहतीं.

माननीय मुख्य न्यायाधिपति महोदय के आदेशानुसार,
ए. एम. येवलेकर, रजिस्ट्रार.

जबलपुर, दिनांक 20 जून 2011

क्र. C-4684-दो-2-73-2000.—श्री सी. व्ही. सिरपुरकर, जिला एवं सत्र न्यायाधीश, देवास को दिनांक 24 मई 2011 से दिनांक 27 मई 2011 तक दोनों दिन सम्मिलित करते हुए चार दिन का अर्जित अवकाश स्वीकृत किया जाता है.

अवकाश से लौटने पर श्री सी. व्ही. सिरपुरकर, जिला एवं सत्र न्यायाधीश, देवास को देवास पुनः पदस्थापित किया जाता है.

अर्जित अवकाश काल में उन्हें अवकाश वेतन तथा भत्ता उसी दर से देय होगा जो उन्हें अवकाश पर जाने के तत्काल पूर्व मिलता था.

प्रमाणित किया जाता है कि श्री सी. व्ही. सिरपुरकर, उपरोक्तानुसार अवकाश पर नहीं जाते तो जिला एवं सत्र न्यायाधीश के पद पर कार्यरत रहते.

क्र. C-4694-दो-2-17-2011.—श्री गिरीश कुमार शर्मा, जिला एवं सत्र न्यायाधीश, उज्जैन को दिनांक 24 मई 2011 से दिनांक 26 मई 2011 तक दोनो दिन सम्मिलित करके तीन दिन का कम्युटेड अवकाश स्वीकृत किया जाता है.

अवकाश से लौटने पर श्री गिरीश कुमार शर्मा, जिला एवं सत्र न्यायाधीश, उज्जैन को उज्जैन पुनः पदस्थापित किया जाता है.

कम्युटेड अवकाशकाल में उन्हें अवकाश वेतन तथा भत्ता उसी दर से देय होगा जो उन्हें अवकाश पर जाने के तत्काल पूर्व मिलता था.

प्रमाणित किया जाता है कि श्री गिरीश कुमार शर्मा, उपरोक्तानुसार अवकाश पर नहीं जाते तो जिला एवं सत्र न्यायाधीश के पद पर कार्यरत रहते.

क्र. E-2522-दो-2-10-2011.—श्रीमती आराधना चौबे, अतिरिक्त प्रधान न्यायाधीश, कुटुंब न्यायालय, भोपाल को दिनांक 30 मई 2011 से दिनांक 31 मई 2011 तक, दिनांक 13 जून 2011 से दिनांक 17 जून 2011 तक कुल सात दिन का ग्रीष्मकालीन अवकाश एवं दिनांक 18 जून 2011 का एक दिन का अर्जित अवकाश स्वीकृत किया जाता है. साथ ही अवकाश के पश्चात में दिनांक 19 जून 2011 के सर्वाजनिक अवकाश का लाभ उठाने की अनुमति प्रदान की जाती है.

अवकाश से लौटने पर श्रीमती आराधना चौबे, अतिरिक्त प्रधान न्यायाधीश, कुटुंब न्यायालय, भोपाल को भोपाल पुनः पदस्थापित किया जाता है.

ग्रीष्मकालीन/अर्जित अवकाशकाल में उन्हें अवकाश वेतन तथा भत्ता उसी दर से देय होगा जो उन्हें अवकाश पर जाने के तत्काल पूर्व मिलता था.

प्रमाणित किया जाता है कि श्रीमती आराधना चौबे, उपरोक्तानुसार अवकाश पर नहीं जातीं तो अतिरिक्त प्रधान न्यायाधीश के पद पर कार्यरत रहती.

क्र. E-2524-दो-2-34-2010.—श्री आलोक वर्मा, जिला एवं सत्र न्यायाधीश, सतना को दिनांक 16 मई 2011 से दिनांक 20 मई 2011 तक दोनो दिन सम्मिलित करके पांच दिन का कम्युटेड अवकाश स्वीकृत किया जाता है.

अवकाश से लौटने पर श्री आलोक वर्मा, जिला एवं सत्र न्यायाधीश, सतना को सतना पुनः पदस्थापित किया जाता है.

कम्युटेड अवकाशकाल में उन्हें अवकाश वेतन तथा भत्ता उसी दर से देय होगा जो उन्हें अवकाश पर जाने के तत्काल पूर्व मिलता था.

प्रमाणित किया जाता है कि श्री आलोक वर्मा उपरोक्तानुसार अवकाश पर नहीं जाते तो जिला एवं सत्र न्यायाधीश के पद पर कार्यरत रहते.

क्र. E-2538-दो-2-40-2009.—श्रीमती कुमुदबाला बरणा, जिला एवं सत्र न्यायाधीश, मण्डलेश्वर को दिनांक 16 मई 2011 से दिनांक 21 मई 2011 तक दोनो दिन सम्मिलित करके छः दिन का अर्जित अवकाश स्वीकृत किया जाता है. साथ ही अवकाश के पूर्व में दिनांक 14 एवं 15 मई 2011 के एवं पश्चात् में दिनांक 22 मई 2011 के सार्वजनिक अवकाश का लाभ उठाने की अनुमति प्रदान की जाती है.

अवकाश से लौटने पर श्रीमती कुमुदबाला बरणा, जिला एवं सत्र न्यायाधीश, मण्डलेश्वर को मण्डलेश्वर पुनः पदस्थापित किया जाता है.

अर्जित अवकाशकाल में उन्हें अवकाश वेतन तथा भत्ता उसी दर से देय होगा जो उन्हें अवकाश पर जाने के तत्काल पूर्व मिलता था.

प्रमाणित किया जाता है कि श्रीमती कुमुदबाला बरणा, उपरोक्तानुसार अवकाश पर नहीं जातीं तो जिला एवं सत्र न्यायाधीश के पद पर कार्यरत रहतीं.

जबलपुर, दिनांक 27 जून 2011

क्र. C-4987-दो-2-13-2005.—श्री नवल किशोर गर्ग, प्रधान न्यायाधीश, कुटुंब न्यायालय, जबलपुर को पूर्व स्वीकृत ग्रीष्मकालीन अवकाश दिनांक 23 मई 2011 से दिनांक 28 मई 2011 तक के पूर्व के अनुक्रम में दिनांक 21 मई 2011 से दिनांक 22 मई 2011 तक दो दिन का अर्जित अवकाश और स्वीकृत किया जाता है.

अवकाश से लौटने पर श्री नवल किशोर गर्ग, प्रधान न्यायाधीश, कुटुंब न्यायालय, जबलपुर को जबलपुर पुनः पदस्थापित किया जाता है.

अर्जित अवकाशकाल में उन्हें अवकाश वेतन तथा भत्ता उसी दर से देय होगा जो उन्हें अवकाश पर जाने के तत्काल पूर्व मिलता था.

प्रमाणित किया जाता है कि श्री नवल किशोर गर्ग उपरोक्तानुसार अवकाश पर नहीं जाते तो प्रधान न्यायाधीश के पद पर कार्यरत रहते.

माननीय प्रशासनिक न्यायाधिपति महोदय के आदेशानुसार,
ए. एम. येवलेकर, रजिस्ट्रार.

जबलपुर, दिनांक 27 जून 2011

क्र. C-4970-दो-2-33-2009.—श्री जे. आर. बच्चन, रजिस्ट्रार (इंस्पेक्शन एण्ड विजिलेन्स), उच्च न्यायालय मध्यप्रदेश, जबलपुर को दिनांक 30 मई 2011 से दिनांक 10 जून 2011 तक बारह दिन के पूर्व स्वीकृत ग्रीष्मकालीन अवकाश के अनुक्रम में दिनांक 11 जून 2011 से दिनांक 17 जून 2011 तक 07 दिन का अर्जित अवकाश और स्वीकृत किया जाता है. साथ ही अवकाश के पश्चात् में दिनांक 18 एवं 19 जून 2011 के सार्वजनिक अवकाश का लाभ उठाने की अनुमति प्रदान की जाती है.

अवकाश से लौटने पर श्री जे. आर. बच्चन, रजिस्ट्रार (इंस्पेक्शन एण्ड विजिलेन्स), उच्च न्यायालय मध्यप्रदेश, जबलपुर को जबलपुर पुनः पदस्थापित किया जाता है.

अर्जित अवकाश काल में उन्हें अवकाश वेतन तथा भत्ता उसी दर से देय होगा जो उन्हें अवकाश पर जाने के तत्काल पूर्व मिलता था.

प्रमाणित किया जाता है कि श्री जे. आर. बच्चन, उपरोक्तानुसार अवकाश पर नहीं जाते तो रजिस्ट्रार (इंस्पेक्शन एण्ड विजिलेन्स) के पद पर कार्यरत रहते.

उच्च न्यायालय के आदेशानुसार,
ए. एम. येवलेकर, रजिस्ट्रार.

जबलपुर, दिनांक 23 अप्रैल 2011

क्र. 620-गोपनीय-2011-दो-3-21-2011.—कु. कविता इवनाती, व्यवहार न्यायाधीश, वर्ग-2, बैहर, जिला बालाघाट का विवाह श्री अब्दुल शफीक खान के साथ होने के फलस्वरूप, उनकी प्रार्थनानुसार उनका नाम "कु. कविता इवनाती" के स्थान पर "श्रीमती कविता इवनाती" परिवर्तित करने की एतद्द्वारा अनुमति प्रदान की जाती है. उनके संबंधित प्रपत्रों में उनका परिवर्तित नाम अंकित किया जावे.

जबलपुर, दिनांक 13 जून, 2011

क्र. 813-Confdl.-2011--दो-2-इक्कीस-63 (भाग-पांच).—भारतीय संविधान के अनुच्छेद 235 के अंतर्गत प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, उच्च न्यायालय, निम्नलिखित जिला एवं सत्र न्यायाधीशों (चयन ग्रेड) को उनके नामों के समक्ष स्तम्भ क्रमांक (3) में दर्शाये गये दिनांक से, स्तम्भ क्रमांक (4) में दर्शित रिक्त पदों पर सुपर समय वेतनमान (Super Time Scale) रूपये 70290—1540—76450/- में नियुक्त करता है:—

सारणी

क्रमांक	नाम तथा पदनाम	सुपर समय वेतनमान में नियुक्ति का दिनांक	रिक्त पद के संदर्भ में टिप्पणी
(1)	(2)	(3)	(4)
1	श्री हरीश चन्द्र शर्मा, सेवानिवृत्त जिला एवं सत्र न्यायाधीश.	03-01-2011	रिक्त पद पर
2	श्री महेन्द्र पाल सिंह अरोरा, जिला एवं सत्र न्यायाधीश, श्योपुर.	03-01-2011	रिक्त पद पर
3	श्री चन्द्रहास सिरपुरकर, जिला एवं सत्र न्यायाधीश, देवास.	01-02-2001	नवसृजित रिक्त पद पर.
4	श्री जगदीश बाहेती, जिला एवं सत्र न्यायधीश, खण्डवा.	01-03-2011	श्री हरीश चन्द्र शर्मा, सुपर समय वेतनमान धारक तत्कालीन जिला एवं सत्र न्यायाधीश, भिण्ड के दिनांक 28-02-2011 को सेवानिवृत्ति के फलस्वरूप रिक्त हुए पद पर.

क्र. 815-गोपनीय-2011-दो-3-250-57 (भाग-29).—भारतीय संविधान के अनुच्छेद 235 सहपठित सिविल कोर्ट्स एक्ट, 1958 की धारा 8 की उपधारा (1) एवं दण्ड प्रक्रिया संहिता 1973 की धारा 11 की उपधारा (3) द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए, उच्च न्यायालय, मध्यप्रदेश, जबलपुर द्वारा निम्न न्यायिक अधिकारी को, जिनका नाम निम्न सारणी के स्तंभ क्रमांक (2) में अंकित है, और जिन्हें मध्यप्रदेश शासन, विधि और विधायी कार्य विभाग, भोपाल के आदेश क्रमांक फा. 3 (बी) 1/2010/इक्कीस-ब (एक) (मेरिट क्रमांक-41) दिनांक 11 अप्रैल, 2011 द्वारा अस्थायी तौर से (दो वर्ष की परीवीक्षा अवधि पर) मध्यप्रदेश न्यायिक सेवा, वर्ग-2 (प्रवेश स्तर) में नियुक्त किया गया है, उनके नाम के समक्ष स्तंभ क्रमांक (3) में दर्शाये स्थान पर एवं स्तंभ क्रमांक (4) में अंकित व्यवहार न्यायाधीश, वर्ग-2 के न्यायालय के अतिरिक्त न्यायाधीश तथा न्यायिक दण्डाधिकारी द्वितीय श्रेणी की हैसियत से उनके कार्यभार ग्रहण करने के दिनांक से पदस्थ किया जाता है:—

सारणी

क्रमांक	नाम	प्रशिक्षण हेतु पदस्थापना का स्थान	न्यायालय का नाम जिसके अतिरिक्त न्यायाधीश नियुक्त एवं पदस्थ
(1)	(2)	(3)	(4)
1	श्री रवि शंकर दोहरे	ग्वालियर	प्रथम व्यवहार न्यायाधीश, वर्ग-2, ग्वालियर के न्यायालय के तेरहवें अतिरिक्त न्यायाधीश (ट्रेनी जज).

जबलपुर, दिनांक 14 जून, 2011

क्र. 827-गोपनीय -2011-दो-2-10-62 (भाग-पांच).—भारतीय संविधान के अनुच्छेद 235 के अंतर्गत प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, उच्च न्यायालय, मध्यप्रदेश निम्नलिखित जिला न्यायाधीशों (प्रवेश स्तर) उच्च न्यायिक सेवा के अधिकारियों को उनके नामों के समक्ष स्तंभ क्रमांक (3) में दर्शाये गये दिनांक से तथा स्तंभ क्रमांक (4) में उल्लिखित रिक्त पदों पर चयन ग्रेड (Selection Grade Scale) के वेतनमान रुपये 57,700—1,230—58,930—1,380—67,210—1,540—70,290/- में नियुक्त करता है:—

सारणी

क्रमांक	नाम	चयन ग्रेड वेतनमान में नियुक्ति का दिनांक	रिक्त पद के संबंध में टिप्पणी
(1)	(2)	(3)	(4)
1	श्री रामप्रसाद सोलंकी	22-05-2010	रिक्त पद पर.
2	श्री राज कुमार भावे	22-05-2010	रिक्त पद पर.
3	श्री जयराम सिंह कटारिया	02-06-2010	रिक्त पद पर.
4	श्रीमती शशिकला चन्द्रा	07-06-2010	रिक्त पद पर.
5	श्री तुलसी राम उइके	21-06-2010	रिक्त पद पर.
6	श्री शिव बदन वर्मा	21-06-2010	रिक्त पद पर.
7	श्री राजेन्द्र कुमार नागपुरे	21-06-2010	रिक्त पद पर.
8	श्री भारत सिंह औहरिया	21-06-2010	रिक्त पद पर.
9	श्री इन्द्रपाल सिंह सोलंकी	31-07-2010	रिक्त पद पर.
10	श्री महादेव मुवेल	19-08-2010	रिक्त पद पर.
11	श्री सतीश कुमार ताराम	20-08-2010	रिक्त पद पर.
12	श्रीमती लक्ष्मी शर्मा	26-08-2010	रिक्त पद पर.
13	श्री गोविन्द सिंह काकोड़िया	13-09-2010	रिक्त पद पर.
14	श्री कौशिक चौहान	01-01-2011	रिक्त पद पर.
15	श्री प्रदीप कुमार व्यास	03-01-2011	श्री हरीश चन्द्र शर्मा, चयन ग्रेड वेतनमान धारक, सेवानिवृत्त जिला एवं सत्र न्यायाधीश को सुपर समय वेतनमान दिये जाने के फलस्वरूप हुए रिक्त पद पर.
16	श्री सुधीर कुमार अवस्थी	03-01-2011	श्री महेन्द्र पाल सिंह अरोरा, चयन ग्रेड वेतनमान धारक, जिला एवं सत्र न्यायाधीश को सुपर समय वेतनमान दिये जाने के फलस्वरूप हुए रिक्त पद पर.
17	श्री संजय शुक्ला	01-02-2011	श्री चन्द्रहास सिरपुरकर, चयन ग्रेड वेतनमान धारक, जिला एवं सत्र न्यायाधीश को सुपर समय वेतनमान दिये जाने के फलस्वरूप हुए रिक्त पद पर.
18	श्री दिनेश कुमार पालीवाल	01-03-2011	श्री जगदीश बाहेती, चयन ग्रेड वेतनमान धारक, जिला एवं सत्र न्यायाधीश को सुपर समय वेतनमान दिये जाने के फलस्वरूप हुए रिक्त पद पर.
19	श्री चन्देश कुमार खरे	30-03-2011	रिक्त पद पर.
20	श्री राजेन्द्र प्रसाद वाणी	11-05-2011	रिक्त पद पर.
21	श्री कैलाश चन्द्र बांगर	11-05-2011	श्री राजेन्द्र कुमार वाणी, चयन ग्रेड धारक, के प्रतिनियुक्ति पर होने से हुए रिक्त पद पर.

जबलपुर, दिनांक 21 जून 2011

क्र. 866-गोपनीय-2011-दो-2-10-62.—भारतीय संविधान के अनुच्छेद 235 के अन्तर्गत प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, उच्च न्यायालय, एतद्द्वारा उच्च न्यायालय आदेश क्रमांक 113-गोपनीय-2006-दो-2-10-62-(भाग-पांच), दिनांक 01 मार्च, 2006 एवं आदेश क्रमांक 12-गोपनीय-2007-दो-2-10-62-(भाग-पांच), दिनांक 06 जनवरी, 2007 में आंशिक संशोधन करते हुए, उक्त आदेशों के स्तम्भ क्रमांक (2) में दर्शाये गये उच्च न्यायिक सेवा के न्यायिक अधिकारियों को उनके नामों के समक्ष स्तम्भ क्रमांक (3) में दर्शाये गये दिनांक के स्थान पर स्तम्भ क्रमांक (4) में दर्शाये गये पुनरीक्षित दिनांक से तथा स्तम्भ क्रमांक (5) में अंकित रिक्त पद पर चयन ग्रेड (Selection Grade Scale) के वेतनमान रुपये (पूर्व में) 18,750—400—19,150—450—21,850—500—22,850/- (वर्तमान में) 57700—1230—58930—1380—67210—1540—70290/- में नियुक्त करता है:—

सारणी

क्रमांक	नाम तथा पदनाम	चयन ग्रेड वेतनमान में पूर्व में नियुक्ति का दिनांक	चयन ग्रेड वेतनमान में नियुक्ति का पुनरीक्षित दिनांक	पद के संदर्भ में टिप्पणी
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
1	श्री ज्योतेन्द्र कुमार वैद्य	26-02-2006	26-02-2006	कोई परिवर्तन नहीं.
2	श्री बाल कृष्ण जाटव	10-10-2007	26-02-2006	श्री ज्योतेन्द्र कुमार वैद्य, चयन ग्रेड धारक अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश के, तत्समय एडीशनल रजिस्ट्रार, कार्यालय कल्याण आयुक्त, भोपाल गैस त्रासदी, भोपाल के पद पर प्रतिनियुक्ति पर रहने के फलस्वरूप रिक्त हुये पद पर.
3	श्री हरि निवास बाजपेयी	26-02-2006	15-05-2006	तत्समय रिक्त पद पर.
4	श्री राधा किशन गुप्ता	15-05-2006	19-05-2006	तत्समय रिक्त पद पर.
5	श्री मोहम्मद शमीम	19-05-2006	24-07-2006	तत्समय रिक्त पद पर.
6	श्री सुरेन्द्र सिंह रघुवंशी	24-07-2006	31-07-2006	तत्समय रिक्त पद पर.
7	श्री राजीव कृष्ण जोशी	24-07-2006	31-07-2006	श्री सुरेन्द्र सिंह रघुवंशी, चयन ग्रेड वेतनमान धारक, अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश के तत्समय अतिरिक्त सचिव, म. प्र. शासन, विधि और विधायी कार्य विभाग, भोपाल के पद पर प्रतिनियुक्ति के फलस्वरूप हुए रिक्त पद पर.
8	श्री राजीव कुमार श्रीवास्तव (सीनियर)	31-07-2006	11-09-2006	तत्समय रिक्त पद पर.
9	श्रीमती पारो रायजादा	31-07-2006	11-09-2006	श्री राजीव कुमार श्रीवास्तव (सीनियर), चयन ग्रेड वेतनमान धारक, अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश के तत्समय एडीशनल रजिस्ट्रार, उच्च न्यायालय, म. प्र. जबलपुर के पद पर प्रतिनियुक्ति के फलस्वरूप हुए रिक्त पद पर.

जबलपुर, दिनांक 24 जून 2011

क्र. 885-गोपनीय-2011-दो-3-1-2011 (भाग-ए).—भारतीय संविधान के अनुच्छेद 235 के अन्तर्गत प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए, उच्च न्यायालय, मध्यप्रदेश, निम्नलिखित व्यवहार न्यायाधीश, वर्ग-1 तथा मुख्य न्यायिक दण्डाधिकारी/अतिरिक्त मुख्य न्यायिक दण्डाधिकारी को उसी हैसियत में स्थानांतरित कर उनके नाम के समक्ष अंकित स्थान एवं पद पर उनके कार्यभार ग्रहण करने के दिनांक से पदस्थ करता है.

दण्ड प्रक्रिया संहिता, 1973 (क्रमांक 2 सन् 1974) की धारा 12 की उपधारा (2) द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए, उच्च न्यायालय, मध्यप्रदेश, निम्नलिखित व्यवहार न्यायाधीश को उनके नाम के समक्ष स्तंभ (5) में अंकित जिले में मुख्य न्यायिक दण्डाधिकारी/ अतिरिक्त मुख्य न्यायिक दण्डाधिकारी की हैसियत से उनके कार्यभार ग्रहण करने के दिनांक से नियुक्त करता है:—

सारणी

क्रमांक	नाम	कहां से	कहां को	पदस्थापना के जिले का नाम	न्यायालय में पदस्थापना के संदर्भ में टिप्पणी
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
1	श्री महिपति सिंह रावत	खातेगांव	पेटलावद	झाबुआ	व्यवहार न्यायाधीश, वर्ग-1 एवं अतिरिक्त मुख्य न्यायिक दण्डाधिकारी की हैसियत से श्री घरम पाल सिंह सिवाच के स्थान पर.

क्र. 886-गोपनीय-2011-दो-3-1-2011 (भाग-ए).—भारतीय संविधान के अनुच्छेद 235 के अन्तर्गत प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए, उच्च न्यायालय, मध्यप्रदेश, निम्नलिखित व्यवहार न्यायाधीश, वर्ग-1 तथा न्यायिक दण्डाधिकारी प्रथम श्रेणी को उसी हैसियत में स्थानांतरित कर उनके नाम के समक्ष अंकित स्थान एवं पद पर उनके कार्यभार ग्रहण करने के दिनांक से पदस्थ करता है:—

सारणी

क्रमांक	नाम	कहां से	कहां को	पदस्थापना के जिले का नाम	न्यायालय में पदस्थापना के संदर्भ में टिप्पणी
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
1	श्री राज कुमार वर्मा	खरगोन	बड़वाहा	मण्डलेश्वर	व्यवहार न्यायाधीश, वर्ग-1 की हैसियत से रिक्त न्यायालय में.
2	श्री धरम पाल सिंह सिवाच.	पेटलावद	खातेगांव	देवास	व्यवहार न्यायाधीश, वर्ग-1 की हैसियत से श्री महिपति सिंह रावत के स्थान पर.

टिप्पणी:—(1) श्री राजकुमार वर्मा, तृतीय व्यवहार न्यायाधीश, वर्ग-1, खरगोन, जिला मण्डलेश्वर,

(2) श्री धरम पाल सिंह सिवाच, व्यवहार न्यायाधीश, वर्ग-1, पेटलावद, जिला झाबुआ के स्थानांतरण उनके अभ्यावेदन के आधार पर विचारोपरांत स्वयं के व्यय पर किये गये है.

उच्च न्यायालय के आदेशानुसार,
सुभाष काकडे, रजिस्ट्रार जनरल.